

Vol. 253  
No. 6



Friday,  
5<sup>th</sup> February, 2021  
16 Magha, 1942 (Saka)

## PARLIAMENTARY DEBATES

# RAJYA SABHA

## OFFICIAL REPORT (FLOOR VERSION) (PART-II)

### CONTENTS

Papers Laid on the Table (pages 1 - 4)

Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Social Justice and Empowerment — *Laid on the Table* (page 4)

Leave of Absence - *Granted* (pages 4 - 5)

Statement regarding Government Business (pages 5 - 6)

Motion of Thanks on the President's Address - *Discussion concluded* (pages 6 - 105)

[P.T.O

©  
RAJYA SABHA SECRETARIAT  
NEW DELHI

PRICE: ₹ 100.00

Special Mention — *Laid on the Table*

Need for giving adequate compensation to farmers whose land is being acquired for Bansagar Irrigation Project (pages 105)

[Answers to Starred and Unstarred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part-I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link <https://rajyasabha.nic.in/Debates/OfficialDebatesDateWise>]

Website : <http://rajyasabha.nic.in>

<http://parliamentofindia.nic.in>

E-mail : [rsedit-e@sansad.nic.in](mailto:rsedit-e@sansad.nic.in)

## RAJYA SABHA

*Friday, the 5<sup>th</sup> February, 2021/16 Magha, 1942 (Saka)*

*The House met at nine of the clock,*

*MR. CHAIRMAN in the Chair.*

### PAPERS LAID ON THE TABLE

#### **Report and Accounts (2019-20) of NRLPS, New Delhi and related papers**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, I, on behalf of Shri Narendra Singh Tomar, lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

- (a) Annual Report and Accounts of the National Rural Livelihoods Promotion Society (NRLPS), New Delhi, for the year 2019-20, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Review by Government on the working of the above Society.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 2913/17/2021]

#### **Report and Accounts (2019-20) of MPEDA, Kochi, Kerala and related papers**

SHRI V. MURALEEDHARAN: Sir, I, on behalf of Shri Hardeep Singh Puri, lay on the Table, under sub-section (4) of Section 19 of the Marine Products Export Development Authority Act, 1972, a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

- (a) Annual Report and Accounts of the Marine Products Export Development Authority (MPEDA), Kochi, Kerala, for the year 2019-20, together with the Auditor's Report on the Account.
- (b) Review by Government on the working of the above Authority.

[Placed in Library. See No. L.T. 3167/17/2021]

#### **I. Report and Accounts (2018-19) of FCI, New Delhi and CWC, New Delhi and related papers**

**II. Report and Accounts (2019-20) of CWC, New Delhi and related papers**

**III. MoU between the Government of India and CWC**

SHRI V. MURALEEDHARAN: Sir, I, on behalf of Shri Danve Raosaheb Dadarao, lay on the Table—

I.(1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (2) of Section 35 of the Food Corporations Act, 1964:—

- (a) Annual Report and Accounts of the Food Corporation of India (FCI), New Delhi, for the year 2018-19, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Review by Government on the working of the above Corporation.
- (2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 2921/17/2021]

II.(1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (11) of Section 31 of the Warehousing Corporation Act, 1962:—

- (a) Sixty-third Annual Report and Accounts of the Central Warehousing Corporation (CWC), New Delhi, for the year 2019-20, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Review by Government on the working of the above Corporation.
- (2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 3097/17/2021]

III. A copy (in English and Hindi) of the Memorandum of Understanding between the Government of India (Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution) and the Central Warehousing Corporation (CWC), for the year 2020-21.

[Placed in Library. See No. L.T. 2916/17/2021]

**I. Notifications of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare**

**II. Report and Accounts (2019-20) of Coconut Development Board, Kochi, Kerala and related papers**

**III. MoU between the Government of India and NSC**

SHRI V. MURALEEDHARAN: Sir, I, on behalf of Shri Parshottam Rupala, lay on the

Table—

I. A copy each (in English and Hindi) of the following Notification of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare), issued under sub-section (1) of Section 3 of the Destructive Insects and Pests Act, 1914:—

- (1) S.O. 953 (E), dated the 3<sup>rd</sup> March, 2020, publishing the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Third Amendment) Order, 2020.
- (2) S.O. 1404 (E), dated the 30<sup>th</sup> April, 2020, publishing the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Fourth Amendment) Order, 2020.
- (3) S.O. 2390 (E), dated the 20<sup>th</sup> July, 2020, publishing the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Fifth Amendment) Order, 2020.

[Placed in Library. For (1) to (3) See No. L.T. 2930/17/2021]

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (4) of Section 15 and sub-section (4) of Section 17 of the Coconut Development Board Act, 1979:—

- (a) Annual Report of the Coconut Development Board, Kochi, Kerala, for the year 2019-20.
- (b) Annual Accounts of the Coconut Development Board, Kochi, Kerala, for the year 2019-20, and the Audit Report thereon.
- (c) Review by Government on the working the above Board.

[Placed in Library. See No. L.T. 2931/17/2021]

III. A copy (in English and Hindi) of the Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Agriculture and Farmers Welfare) and the National Seeds Corporation (NSC) Limited, for the year 2020-21.

[Placed in Library. See No. L.T. 3107/17/2021]

#### **Report and Accounts (2018-29) of LDCL, Kavaratti, Lakshadweep and related papers**

SHRI V. MURALEEDHARAN: Sir, I, on behalf of Shri Pratap Chandra Sarangi, lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

- (a) Annual Report and Accounts of the Lakshadweep Development Corporation Limited (LDCL), Kavaratti, Lakshadweep, for the year 2018-19, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

- (b) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 2937/17/2021]

---

## REPORTS OF THE DEPARTMENT RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

**श्री रामकृमार वर्मा (राजस्थान)** : महोदय, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों\* की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (i) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की अनुदान मांगों (2019-20) के संबंध में समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समुक्तियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में दसवां प्रतिवेदन;
  - (ii) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) की अनुदान मांगों (2019-20) के संबंध में समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समुक्तियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में ग्यारहवां प्रतिवेदन;
  - (iii) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदान मांगों (2019-20) के संबंध में समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समुक्तियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में बारहवां प्रतिवेदन; और
  - (iv) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदान मांगों (2019-20) के संबंध में समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समुक्तियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में तेरहवां प्रतिवेदन।
- 

## LEAVE OF ABSENCE

**MR. CHAIRMAN:** I have to inform Members that letters have been received from Shrimati M. C. Mary Kom, Shri Oscar Fernandes, Dr. Anbumani Ramadoss and Shri K.K. Ragesh for grant of Leave of Absence during the ongoing 253<sup>rd</sup> Session of Rajya Sabha. Shrimati M. C. Mary Kom has requested for leave for preparation for the upcoming international competitions and Tokyo Olympics; and Shri Oscar Fernandes, Dr. Anbumani Ramadoss and Shri K.K. Ragesh have

---

\* Tenth to Thirteenth Reports were presented to Hon'ble Speaker, Lok Sabha on 10th September, 2020 under Direction 71A of the Directions by the Speaker, Lok Sabha and the same were seen by the Hon'ble Chairman, Rajya Sabha on 14th September, 2020. The Speaker was pleased to order the printing, publication and circulation of the Reports under Rule 280 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.

requested for leave on medical ground.

Shrimati Mary Kom and Shri Oscar Fernandes have sought Leave of Absence for the entire sittings of the Session while Dr. Anbumani Ramadoss and Shri K.K. Ragesh have sought Leave of Absence from 1<sup>st</sup> February, 2021 till end of the 1<sup>st</sup> part of the Session.

Do they have the permission of the House for remaining absent from the sittings of the current 253<sup>rd</sup> Session of Rajya Sabha for the period as requested by them.

*(No Hon. Member dissented)*

Mr. CHAIRMAN: Permission to remain absent is granted.

---

### STATEMENT REGARDING GOVERNMENT BUSINESS

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): With your permission Sir, I rise to announce that Government Business for the week commencing Monday, the 8<sup>th</sup> of February, 2021, will consist of:-

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's order paper:-
2. General Discussion on Union Budget 2021-22.
3. Consideration and passing of following Bills:-
  - (i) Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Ordinance, 2021 (No. 01 of 2021) and Consideration and passing of the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2021.
  - (ii) Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Ordinance, 2020 (No. 15 of 2020) and consideration and passing of the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Bill, 2021 after its introduction.
  - (iii) The National Commission for Allied and Healthcare Professions Bill, 2020.
  - (iv) The National Institutes of Food Technology Entrepreneurship and Management Bill, 2019.
4. Consideration and passing of the following Bill after it is passed by Lok Sabha:-

- (i) Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Arbitration and Conciliation (Amendment) Ordinance, 2020 (No. 14 of 2020) and Consideration and passing of the Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2021.
  - 5. Consideration and passing of following Bills as passed by Lok Sabha:
    - (i) The Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Bill, 2020
    - (ii) The Major Port Authorities Bill, 2020.
- 

### **MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS\***

**MR. CHAIRMAN:** Now, we shall take up further discussion on the Motion of Thanks on the President's Address. Hon. Members, I have to make an observation. Some of the Members yesterday have exceeded their allotted time. So, that time will be reduced from their Parties' quota. This has to be understood by all.

**श्री सतीश चन्द्र मिश्रा** (उत्तर प्रदेश) : सर, आप इसको बढ़ा कर हमें भी मौका दे दीजिए, ताकि हम लोगों को भी थोड़ा-थोड़ा समय मिल जाए। Today, we will be speaking. ...*(Interruptions)*...

**MR. CHAIRMAN:** No bargaining, please. I can't help it.

**SHRI JAIRAM RAMESH** (Karnataka): Sir, please be a little liberal.

**MR. CHAIRMAN:** I will be more liberal, but Parties have to be liberal towards their colleagues. They are not becoming liberal to their Party colleagues and they are asking me to be liberal at the cost of other Parties. ...*(Interruptions)*...

**SHRI PRAFUL PATEL** (Maharashtra): We are speaking from our Party's time...  
*(Interruptions)*...

**MR. CHAIRMAN:** I understand. ...*(Interruptions)*... Prafulji, again, we are losing time. Yesterday, we were a little lenient to Devegowdaji because he is a former Prime Minister and only one Member from his Party. We also took a little extra time. But, the fact is that we have to conclude the discussion today and we have to provide

---

\* Further discussion continued from the 4<sup>th</sup> February, 2021

time gap between the sittings of two Houses for sanitizing also. Otherwise, I would have been liberal -- I do agree -- to extend the time further. But I can't do it now.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, there was a small confusion because the Chair had allotted fifteen hours for the discussion. Since half-an-hour was taken on the first day for Zero Hour, only fourteen-and-a-half hours were left, if we want to conclude it by 2 o'clock today. So, my suggestion is that we may conclude it in fourteen-and-a-half hours. The BJP is ready to reduce its time.

MR. CHAIRMAN: My advice to the Presiding Officers is, take half-an-hour extra.

SHRI JAIRAM RAMESH: But the time allocation was based on fifteen hours.

MR. CHAIRMAN: I agree. Now, keeping that in mind, everybody has to reduce the time. Whoever is going to be there in the Chair will strictly follow the time and secondly, the Parties have to make adjustment within their Members. If Members come to me personally and then make a request, I can't help it.

SHRI JAIRAM RAMESH: But the time allocation was based on fifteen hours. Please don't reduce it to fourteen-and-a-half hours.

MR. CHAIRMAN: You resolve the issue and tell me how to resolve it. Now, Shri Binoy Viswam, you have three minutes more.

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): Sir, can you give me five minutes more?

MR. CHAIRMAN: Already, we have lost half a minute, please. You are a very shrewd man.

SHRI BINOY VISWAM: Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: Really shrewd. I am not joking. आपके नाम में 'विनय' भी है।

SHRI BINOY VISWAM: Sir, my good friends are making lovely comments. I cannot respond to them now.

MR. CHAIRMAN: No comments please; only positive things. Now, please start.

SHRI BINoy VISWAM (Kerala): Sir, the President was so eloquent to explain the measures that the Government had taken to help the poor during the COVID days, but I would just like to remind the Government the happenings in the country during those days. To cite only one example, at the railway track in Aurangabad, how the poor migrant labourers were killed after being hit by a train is known to everybody. It speaks a lot about the plight of the poor and the Government has no reason to tell them that their interests and their concerns are taken care of, which is not at all true. The Finance Minister termed the COVID and the crisis in the economy as an 'act of God'. How can it be termed as an 'act of God'? Of course, in the lockdown days, the country, as a whole, faced a lot of difficulties. It is true. But the economy was trembling down even before the COVID and the lockdown happened. Just to cite one example, in March, 2020, the economy fell down to the level of 3.1 per cent. In March, 2018, it was 8.2 per cent. From 8.2 per cent in March, 2018 to 3.1 per cent in the beginning of the lockdown itself speaks that under the BJP Government, the economy was in shambles. Please do not try to put the blame on God. Sir, let me tell this House that I am a non-believer but I believe in the true believers of all religions. I am sure that God is not so cruel and God cannot be so cruel. So, do not put the blame on the God. God is not the culprit, the culprit was the policies of the Government. Instead of admitting its failures, the Government was trying to tell the people that it all happened because of the acts of God, which is not a good thing.

Sir, I would like to tell one more thing. The Private Final Consumption Expenditure was 5.1 per cent in 2019-20 and it collapsed to 2.7 per cent in March, 2020. This was the situation and this figure was the lowest since 2012. Sir, a sum of 20 lakh crore of rupees was earmarked by the Finance Minister but that money did not reach the people of the country. In fact, it was a gimmick with figures. This was only two lakh crore of rupees at the maximum and the Government is preaching everywhere that it spent lakhs and lakhs of crores for the poor to save their interests, which cannot be understood and accepted.

Sir, the Government should be very keen to understand the real issues of the youth of the country. The most important issue is unemployment. I do not want to quote figures here. The situation is very grave. I can only request the Government to think of ensuring a Bhagat Singh National Employment Guarantee Act on the MNREGA model to help the youth in urban and rural places, and, see that like Mahatma Gandhi Employment Scheme, there should be a Bhagat Singh Employment

Scheme to address the gravest issue and concern of the youth, that is, unemployment. Sir, according to some studies, during Covid days, the profits of the corporate houses rose up to the level of 35 per cent. If we take the income of 100 billionaires...

**MR. CHAIRMAN:** Mr. Binoy Viswam, please conclude. You have already been given more time than what was allocated. Please conclude.

**SHRI BINOY VISWAM:** I am concluding in a minute, Sir. If we take the income of the 100 billionaires, the money is enough to give to 138 million poorest of the poor a sum of Rs. 94,045 but the Government is not keen on that. Once again, I would like to say that I cannot support this Motion. Thank you.

**MR. CHAIRMAN:** You have got every right. Next speaker is Shri Praful Patel. You have six minutes' time.

**SHRI PRAFUL PATEL:** Sir, can I stand and speak?

**MR. CHAIRMAN:** Yes, you can do so. The choice is yours.

**श्री प्रफुल्ल पटेल (महाराष्ट्र) :** सभापति महोदय, आज राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। अपने अभिभाषण में उन्होंने विभिन्न सरकारी नीतियों पर प्रकाश डालने का काम किया है। पिछले एक साल से हम लोग अपने देश में ही नहीं, पूरे विश्व में कोरोना का जो संक्रमण है, उसकी वजह से बहुत परेशान हैं। पूरे विश्व ने इसकी वजह से बहुत परेशानियों का सामना किया है। यहां मैं एक बात जरूर कहूँगा कि चाहे केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों, ये सारे स्टेकहोल्डर्स हैं और सबने मिलकर सामने आए इस बहुत बड़े संकट का मुकाबला करने का काम किया है।

महोदय, मैं सारे डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, पुलिस विभाग के कर्मी, म्युनिसिपल वर्कर्स, सफाई कर्मचारी, सरकारी अधिकारी और बाकी सभी को अपनी ओर से तथा पूरे देश की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इन लोगों के कमिटमेंट की वजह से, जिस परिमाण में हमारे मुल्क में यह परेशानी बढ़ सकती थी, उससे हमें बचाने का काम किया गया है।

करीब 1 लाख 55 हजार मौतें हुई हैं, वैसे एक मौत का होना भी गलत होता है, लेकिन 135 करोड़ के मुल्क में अगर 1 लाख 55 हजार जो कोरोना की वजह से मौतें हुई हैं, मैं समझता हूं कि यदि किसी अन्य देश से हम उसकी तुलना करें तो हम उस मामले में काफी बेहतर हैं। पिछले छः महीने में जिस तरह से डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स ने कोरोना पर काबू करने का काम किया है, उसकी वजह से आज हमारा मॉर्टलिटी रेट करीब एक परसेन्ट से भी कम नज़र आ रहा है। मैं समझता हूं कि यह हमारे लिए एक समाधान का विषय है। वैक्सीन प्रोग्राम भी लाँच हुआ है और हमारे लिए यह बहुत गर्व की बात है कि भारतीय कम्पनीज इसमें अग्रणी रही हैं और आज विश्व

का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोग्राम हमारे देश में रोल आउट हो चुका है। मुझे विश्वास है कि सभी लोगों ने जिस तरह से आज तक इस महामारी का सामना किया है, इसमें भी सबका सहयोग मिलेगा - राज्यों का सहयोग रहेगा, केन्द्र का सहयोग रहेगा, पूरे स्टेकहोल्डर्स का रहेगा। कोविड में हमारे देश का बहुत आर्थिक नुकसान भी हुआ है, लोगों की नौकरियां गई हैं, छोटे व्यवसायों पर आर्थिक संकट आया है, कई व्यवसाय बंद भी हो चुके हैं। इसका भी हम सब लोगों को मिलकर मुकाबला करना पड़ेगा और इस परिस्थिति में से बाहर निकल कर लोगों को ज्यादा नौकरियां कैसे वापस मिल सकें, इसके लिए भी काम करना पड़ेगा।

महोदय, एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि अभी हमारे देश के किसानों का जो एक बहुत बड़ा एजिटेशन चल रहा है, यह एक चिंता का कारण है। हमारा अन्नदाता अपने आपको क्यों असुरक्षित महसूस कर रहा है, इसके बारे में भी चिंता करने और सोचने की जरूरत है। सरकार ने कहा कि हम किसान की प्रगति के लिए काम करना चाहते हैं, नये कानून बनाना चाहते हैं। आप किसानों की प्रगति के बारे में सोचते हैं, यह स्वागत की बात है। हम भी सोचते हैं। हमारे देश में पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी हरित क्रान्ति भी कैसे आए, यह हम भी चाहते हैं। आप भी जानते हैं कि हमारे नेता, श्री शरद पवार जी 10 दस साल इस देश के कृषि मंत्री रहे। वे केवल कृषि मंत्री ही नहीं रहे, बल्कि जीवन भर उन्होंने किसानों की भलाई के लिए काम किया है। इसलिए जब पिछली बार ये ऑर्डिनेन्स निकले, उसके बाद पिछले सत्र में जब ये पारित होने के लिए हाउस में आए तो हम सभी लोगों, खास करके विपक्ष में बैठे सभी लोगों ने एक मत से कहा कि इन्हें सेलेक्ट कमिटी में भेजा जाए, जल्दबाज़ी क्यों हो रही है? अगर हमारी यह बात मानी जाती, शायद अगर वाइडर कन्सल्टेशन होता तो आज जो हम पूरी दिल्ली के चारों ओर दृश्य देख रहे हैं, वे हमें देखने को नहीं मिलते। हमें भी इसके बारे में सोचना चाहिए। खास करके अपने भाषण में मैंने पिछली बार कहा था कि श्री प्रकाश सिंह बादल हैं, श्री शरद पवार जी हैं, श्री एच.डी. देवेगौड़ा जी, जिनका अभी आपने नाम लिया और बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण लोग हैं, जिन्होंने जीवन भर कृषि के मामले में बहुत जानकारी प्राप्त की है, काम भी किया है। ..(व्यवधान)...

**पर्यावरणवन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ; सूचना और प्रसारण मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रकाश जावडेकर):** राजनाथ सिंह जी हैं।

**श्री प्रफुल्ल पटेल:** राजनाथ सिंह जी हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कृषि के क्षेत्र में काम किया है, आप उनको भी लीजिए। डा. स्वामीनाथन आयोग की बात होती है, सी2+50 फीसदी की बात होती है। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे, तब स्वामीनाथन आयोग बना था और उन्होंने ..(व्यवधान)...

**श्री प्रकाश जावडेकर :** उनके पहले बना था, राजनाथ सिंह जी के समय बना।..(व्यवधान)...

**श्री प्रफुल्ल पटेल:** ठीक है, यह मेरा व्यू है, आप अपना बोल दीजिए।

**श्री प्रकाश जावडेकर :** इसे राजनाथ सिंह जी ने नियुक्त किया।

**श्री प्रफुल्ल पटेल:** चलो अच्छी बात है, किसी ने भी किया, मैं तो कह रहा हूं कि सभी बधाई के पात्र हैं- मैं तो उनका भी नाम ले रहा हूं कि जिन्होंने भी काम किया है, सभी को इस मामले में इन्वॉल्व करते तो शायद हमारे लिए बेहतर रहता।

**श्री सभापति:** प्रफुल्ल जी, आपका टाइम पूरा हो गया। Already we are suffering... You have to conclude.

**श्री प्रफुल्ल पटेल:** नहीं कन्कलूड क्या सर?

**MR.CHAIRMAN:** There are 19 more...

**श्री प्रफुल्ल पटेल:** सर, एक मिनट।

**श्री सभापति:** प्लीज़, आगर्युमेन्ट मत करिये।

**श्री प्रफुल्ल पटेल:** 15 घंटे की बहस में हमारी पार्टी के चार एम.पीज. हैं, अगर आप प्रप्रोशनेटली भी देखेंगे तो हमारी पार्टी को 9-10 मिनट मिलने चाहिए।

**श्री संजय राउत:** सर, 15 hours का मतलब ...(व्यवधान)...

**श्री प्रफुल्ल पटेल:** सर, 15 घंटे का मतलब क्या है?

**श्री सभापति:** 15 hours के हिसाब से ही चल रहे हैं।

**श्री प्रफुल्ल पटेल:** सर, मैं अपनी पार्टी से अकेला बोल रहा हूं। उसके बाद भी इस तरह से बात होती है। ...(व्यवधान)...

**श्री सभापति:** आपके 3 मिनट थे, मैंने 6 मिनट कराये हैं।

**श्री प्रफुल्ल पटेल:** नहीं, सर।

**श्री सभापति:** मैं क्या करूँ? ...(व्यवधान)...

**श्री प्रफुल्ल पटेल:** सर, अभी मैं एक बात बताता हूं।

**श्री सभापति:** जनता को बताना पड़ेगा।

**श्री प्रफुल्ल पटेल:** यहाँ मुझे एक खुलासा करना है।

**श्री सभापति:** जनता से मैं प्रार्थना करूँगा कि अन्याय मत करो। ...**(व्यवधान)**... संख्या में भेजो।

**श्री प्रफुल्ल पटेल:** सर, मैं यहाँ शरद पवार जी के बारे में एक खुलासा करना चाहूँगा। ...**(व्यवधान)**... यहाँ पर शरद पवार जी के एक पत्र को लेकर सदन में कई बार कहा गया, कल सिंधिया जी ने और अन्य लोगों ने भी कहा है। तोमर जी ने भी बाहर कहीं इसके बारे में अपना वक्तव्य दिया कि उन्होंने राज्यों को लिखा था कि कृषि कानून में संशोधन करने की जरूरत है। यह पत्र 2007 का है। उस पत्र में उन्होंने लिखा है कि मैं एक ड्राफ्ट बिल आपको भेज रहा हूँ, इस पर आप अपने कमेंट्स दीजिए, आप चर्चा करेंगे, इस पर बाद में बातचीत होगी, इसके बाद यह बिल संसद में लाया जाएगा। वह बिल उसके बाद संसद में कभी आया ही नहीं। चर्चा जारी रही होगी, जो भी कोई वजह रही होगी, लेकिन एक पत्र को लेकर किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा उछाला जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी हो या यूपीए की गवर्नमेंट हो या शरद पवार जी हों, ये यही चाहते थे जो आज किया गया है। यह बात बिल्कुल गलत है। इसका मैं कहीं न कहीं खुलासा करना चाहता हूँ।

MR. CHAIRMAN: Right.

**श्री प्रफुल्ल पटेल:** नहीं, सर। एक मिनट। एक-दो चीज़ें तो बतानी पड़ेंगी।

MR. CHAIRMAN: Please, please.

**श्री प्रफुल्ल पटेल:** सर, एक-दो चीज़ें तो बतानी पड़ेंगी।

**श्री सभापति:** नहीं, नहीं।

**श्री प्रफुल्ल पटेल:** सर, ड्राफ्ट रॉल्स में स्टेट गवर्नमेंट्स को empower किया जा रहा था कि any market as special market of special commodity market functioning under market committee. That was the draft. आज के कानून में यह है कि new law has placed agribusiness out of the ambit of mandi system. एक दूसरा विषय यह था कि empowers market committee, उस वक्त की, to collect levy, fees under the aegis of the State Government, आज का यह है कि restricts APMC or State Government from collecting levy, fees from private markets. तीसरा यह था कि empowers mandi committees for dispute resolution. यह बहुत महत्व का है। And farmers are represented in these committees. आज के बिल में यह है कि designates SDM or higher officials for arbitration in dispute resolution. आज का किसान किस-किस अधिकारी के दरवाजे पर भटकेगा? चौथा, mandi committee has the power to issue licences for agricultural trade.

MR. CHAIRMAN: Please.

**श्री प्रफुल्ल पटेल:** आज कहते हैं कि empowers Union Government to issue licences to those who are not part of agri-trade.

MR. CHAIRMAN: Thank you, Praful ji. Shri Sanjay Raut.

**श्री प्रफुल्ल पटेल:** नहीं, नहीं। सर, मेरे कहने का मतलब है..

MR. CHAIRMAN: Please. No, no. ऐसा मत कीजिए।

**श्री प्रफुल्ल पटेल:** सर, अन्त में..

MR. CHAIRMAN: Be fair with the Chair.

**श्री प्रफुल्ल पटेल:** सर, अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आज किसानों का जो इतना बड़ा प्रदर्शन चल रहा है, धरना चल रहा है, इसके बारे में सरकार ने खुद ही जब कहा है कि डेढ़ साल के लिए हम कानून को abeyance में रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो एक बार पूरी तरह से इसको हटा कर नये सिरे से सब से बात करके कानून लाने की कोशिश कीजिए। उसमें सभी का सहयोग मिलेगा, हमारा भी सहयोग आपको मिलेगा, तो देश में किसानों में हम जो क्रांति चाहते हैं, ...**(व्यवधान)**... हमारी जो चिन्ता है ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Thank you. Shri Sanjay Raut. Six minutes.

**श्री संजय राऊत:** धन्यवाद, सर। 15 घंटे में हमें 15 मिनट तो दीजिए।

**श्री सभापति:** नहीं, यह सम्भव नहीं है।

**श्री संजय राऊत:** सर, 15 घंटे किसके लिए हैं? ...**(व्यवधान)**...

**श्री सभापति:** इस argument में आधा मिनट खो जाएगा। ...**(व्यवधान)**... मेरे हाथ में रहेगा, तो मैं जरूर दूँगा।

**श्री संजय राऊत:** नहीं, नहीं। आपके हाथ में बहुत कुछ है, सर। ...**(व्यवधान)**...

**श्री सतीश चन्द्र मिश्रा:** सर, ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: No arguments. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*...

**श्री संजय राउत (महाराष्ट्र):** आप चेयर पर बैठते हैं, तो हमें डर लगता है। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: No arguments. ...**(Interruptions)**... Shri Sanjay Raut. ...**(Interruptions)**...

**श्री सतीश चन्द्र मिश्रा:** सर, ...**(व्यवधान)**... हम लोग 5 मिनट बोल लेंगे। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Shri Sanjay Raut. Please. ...**(Interruptions)**... जो टाइम दिया गया है, उसके हिसाब से ...**(व्यवधान)**...

**श्री संजय राउत:** सर, हम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

**श्री सतीश चन्द्र मिश्रा:** सर, ...**(व्यवधान)**...

**श्री सभापति:** 5 मिनट जरूर मिलेंगे।

**श्री संजय राउत (महाराष्ट्र):** सर, कल धर्मेंद्र प्रधान जी यहाँ पर बोल रहे थे और बार-बार हमारी तरफ कटाक्ष करके हमें यह बोल रहे थे कि सच सुनो, सच सुनने से मोक्ष प्राप्त होता है। हम तो 6 सालों से सच सुन रहे हैं और असत्य को भी सच मान रहे हैं। लेकिन आज जो चल रहा है, हमारे देश में जो माहौल है, मैं देखता हूँ कि जो सच बोलता है, जो सच लिखता है, उसे 'गदार', 'देशद्रोही' कह कर पुकारा जाता है, बोल दिया जाता है। कल इस बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की, उस बारे में दिग्विजय साहब ने बहुत कहा है। सर, सरकार से जो सवाल पूछेगा, उस पर आज देशद्रोह का मुकदमा ठोक दिया जाता है। कितने ही नाम में आपको बता सकता हूँ। हमारे सदन में संजय सिंह हैं, जो हमारे सदस्य हैं, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा है, राजदीप सरदेसाई जाने-माने पत्रकार हैं, जिनको सरकार ने 'पद्मश्री' दिया है, पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है, उनको देशद्रोही बना दिया गया है और शशि थरूर, जो यूनाइटेड नेशंस में हमारे देश के प्रतिनिधि थे, एमपी हैं, कैबिनेट में थे, उनके ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा ठोक दिया गया है। सिंघू बॉर्डर पर रिपोर्टिंग करने वाले मनजीत सिंह, धर्मेन्द्र सिंह तथा और भी जो ऐसे बहुत से पत्रकार हैं या लेखक हैं, उनके ऊपर देशद्रोह के कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मुझे लगता है कि हमारे कानून की किताब में से सारी आईपीसी की धाराएँ खत्म कर दी गई हैं और उसमें सिर्फ एक देशद्रोह की धारा रख दी है। Domestic violence हो, तो भी आप देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दें। पंत प्रधान मोदी हमारे लिए आदरणीय हैं, देश के प्रधान मंत्री जी का हम सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। उन्हें देश चलाने के लिए प्रचंड बहुमत मिला है, हम यह मानते हैं, लेकिन बहुमत जो होता है, वह अहंकार से नहीं चलाया जाता है, क्योंकि बहुमत बड़ा चंचल होता है। हमारे मराठी के एक संत, संत तुकाराम हैं। उन्होंने कहा है कि "निन्दकाचे घर असावे शेजारी", इसका मतलब यह है कि जो आपका निन्दक है, जो आपकी आलोचना करता है,

आपको आईना दिखाता है, उसको आपके आसपास रहना चाहिए, उसका घर आपके बगल में रहे, लेकिन आज ऐसा है कि जो निन्दा करे, जो टीका करे, आप उसको बदनाम कर देते हैं, जैसे किसान आंदोलन। जिस तरह से इस किसान आंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश या साजिश चल रही है, मुझे लगता है कि यह देश की प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं है, किसानों के लिए ठीक नहीं है, हम सब के लिए ठीक नहीं है।

26 जनवरी को लाल किले पर तिरंगे का अपमान हुआ, उससे हमारे प्रधान मंत्री जी बहुत दुखी हो गए, इससे पूरा देश दुखी हो गया, लेकिन लाल किले पर तिरंगे का अपमान करने वाला जो कोई दीप सिद्धू है, वह कौन है, किसका आदमी है - उस बारे में तो आप नहीं बताते। वह किसका आदमी है? उसको किसने ताकत दी है? यह सिद्धू अब तक पकड़ा नहीं गया, लेकिन 200 से ज्यादा किसान इस प्रकरण में तिहाड़ जेल में बंद हैं और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। सौ से ज्यादा युवा आंदोलक लापता हैं, वे कहाँ हैं? पुलिस ने उनका क्या किया - उनका एनकाउंटर किया है, क्या किया है, क्या मार दिया है, यह पता नहीं है। क्या वे देशद्रोही हैं? वे अपने हक के लिए लड़ते हैं, लेकिन हमारे देश में देशप्रेमी कौन है, अरनब गोस्वामी, जिसकी वजह से एक निरपराध व्यक्ति ने महाराष्ट्र में आत्महत्या की! कंगना रनौत! ये देशप्रेमी हैं! उसने national security के संदर्भ में जो पूरा ऑफिशियल सीक्रेट सामने लाया है, इससे उसने हमारा ऑफिशियल सीक्रेट तोड़ दिया है। उसने बालाकोट स्ट्राइक के बारे में पहले से ही सबको जानकारी दे दी। वह आपकी शरण में है, उसको आपका प्रोटेक्शन है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। आप उसके ऊपर बात नहीं करते हैं। यही आदमी, यह अरनब गोस्वामी, हमारे जो मंत्री वहाँ बैठे हुए हैं, प्रकाश जावडेकर जी, हम उनका आदर करते हैं, वे हमारे महाराष्ट्र से हैं - उसने उनके बारे में क्या लिखा है? प्रकाश जी के बारे में उसका जो पूरा डायलॉग आया है, यह सरकार के लिए ठीक नहीं है। एक केन्द्रीय मंत्री के बारे में एक टीवी एंकर जिस भाषा का इस्तेमाल करता है - मेरे बारे में छोड़िए, हम राजनीति में हैं, हमारे बारे में आप कुछ भी बोलिए, हम सहन कर लेंगे, लेकिन कैबिनेट के एक मंत्री के बारे में जो बात करते हैं, आप सबको शर्म आनी चाहिए, आपने उसको शरण दे रखी है। यह जो चल रहा है, यह नहीं चलेगा।

राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में कहा है कि भारत जब-जब एकजुट हुआ है, तब-तब उसने अंसभव से लगने वाले लक्ष्यों को प्राप्त किया है। एकजुटता की बात की गयी है। अगर यह बात सच है, तो गत तीन महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन की एकजुटता तोड़ने में सरकार क्यों लगी है?

**श्री सभापति :** संजय जी, आपके 6 मिनट हो गए हैं।

**श्री संजय राउत :** हजारों किसान गाजीपुर, सिंधू बॉर्डर पर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और आपको इस एकजुटता में देशद्रोह दिखता है!

**श्री सभापति :** प्लीज़।

**श्री संजय राउत :** चेयरमैन सर, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी का यह किसान पूरे देश के किसानों की लड़ाई लड़ रहा है। यह सिर्फ तीन राज्यों की लड़ाई नहीं है, पूरा देश उनके साथ है, इसलिए उनको देशद्रोही कहना ठीक नहीं है। यह पंजाब का किसान, हमारा सिख भाई जब मुगलों से लड़ा, तब हम उसे योद्धा कहते थे, जब अंग्रेजों से लड़ा, तब हम उसे देशभक्त कहते थे।

**श्री सभापति :** प्लीज़, प्लीज़।

**श्री संजय राउत :** जब वह कोरोना काल में लंगर बॉट रहा था, तब वह देशप्रेमी था, लेकिन जब आज वह अपने हक के लिए लड़ता है, तो वह खालिस्तानी हो गया, वह देशद्रोही हो गया, यह कौन सा न्याय है? आप उसको रोकने के लिए बॉर्डर पर कीलें ठोकते हैं, बड़े-बड़े बैरिकेड्स लगाते हैं। अगर आप यह बैरिकेडिंग, यह कीलों का जाल लदाख बॉर्डर पर बिछाते, तो चीन की फैज 30 किलोमीटर अंदर नहीं आती। सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह ठीक नहीं है।

MR. CHAIRMAN: Right Sanjayji, please. You have taken seven minutes.

**श्री संजय राउत :** लेकिन जब तक यह आंदोलन जिंदा है, तब तक हिन्दुस्तान ज़िन्दाबाद रहेगा। यह आंदोलन ही हमारी ताकत है, देश की ताकत है।

MR. CHAIRMAN: Thank you very much. Now, Shri Ramdas Athawale.

**श्री संजय राउत :** सर, सर...(व्यवधान)... सर, इन तीन कृषि कानूनों के बारे में सरकार किसानों से बात करें।

**श्री सभापति :** नहीं। मैं क्या कर सकता हूँ?

**श्री संजय राउत :** प्रधान मंत्री जी किसानों से बात करें। अगर ये किसानों से सीधी बात करते हैं, तो कुछ न कुछ हल निकल जाएगा। इस देश में हमें सबको साथ लेकर चलना है।

MR. CHAIRMAN: Thank you, Sanjayji. Now, Shri Ramdas Athawale. ...(Interruptions)...

**श्री संजय राउत :** सर, राजनाथ सिंह जी और बाकी वरिष्ठ सदस्यों को मिलकर किसानों से बात करनी चाहिए।

**श्री सभापति :** अब उन्हें बुलाया गया है और वे नहीं आए। अब आगे मौका नहीं मिलेगा। श्री सतीश चन्द्र मिश्रा।

**श्री सतीश चन्द्र मिश्रा :** सर, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आधा सेकंड लेकर यह कहना चाहता हूँ कि मैं यह कल-परसों से पूछ रहा हूँ कि हम लोगों को कितना समय मिलेगा?

**श्री सभापति :** आपके पास छः मिनट हैं।

**श्री सतीश चन्द्र मिश्रा :** सर, हम लोगों को बताया गया कि दस मिनट मिलेंगे। सर, लोगों को 12 मिनट दिए गए हैं।

**श्री सभापति :** मैं आपको बता रहा हूँ कि आज की स्थिति में छः मिनट हैं। आप एक मिनट एकस्ट्रा भी ले लीजिए।

**श्री सतीश चन्द्र मिश्रा :** सर, आपने पाँच घंटे बढ़ाए हैं।

**श्री सभापति :** सतीश जी, आप बोलिए। You know how to speak.

**श्री संजय राउत :** सर, पाँच घंटे किसके लिए बढ़ाए गए हैं?

**श्री सभापति :** वह समय सबके लिए है और सभी को बाँटा गया है।

**श्री सतीश चन्द्र मिश्रा :** इनके पास पाँच घंटे हैं और हम लोगों के पास पाँच मिनट हैं।

**श्री सभापति :** इस बारे में क्या कर सकते हैं? उनके पास नंबर ज्यादा है और आपके पास नंबर कम है।

**श्री सतीश चन्द्र मिश्रा :** सर, नंबर की बात नहीं है।

**श्री सभापति :** आप समझौता करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।

**श्री सतीश चन्द्र मिश्रा :** सर, हम लोगों ने तो बात...

**MR. CHAIRMAN :** Please Satisji.

**श्री सतीश चन्द्र मिश्रा (उत्तर प्रदेश) :** महोदय, मैंने हमेशा अपनी बात बिना पढ़े कही है, लेकिन आज आपने समय की बाध्यता कर दी है, तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारी बातें हैं, वे कम से कम रिकॉर्ड में तो जरूर आ जाएं, इसलिए मैं आपकी इजाजत से इसे पढ़ रहा हूँ। यह मैं आपके द्वारा लाई गई समय बाध्यता की वजह से कर रहा हूँ।

सर, मैं सबसे पहले किसानों के बारे में कहना चाहूँगा कि इस समय आपने किसानों को रोकने के लिए, उनके आंदोलन को रोकने के लिए, उनके प्रोटेस्ट को रोकने के लिए खाइयाँ खोद दी हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप यह खाई उनके लिए नहीं खोद रहे हैं, बल्कि अपने लिए खोद रहे हैं। जवानों को बंदूक लेकर खड़ा कर दिया है, पानी की बौछारें डाल रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, उनका पानी बंद कर दिया, उनका खाना बंद कर दिया, यहाँ तक कि आपने शौचालय भी बंद कर दिए और यह भी नहीं सोचा कि उनमें महिलाएं भी हैं। सर, यह human rights का कितना बड़ा violation है, यह सब आपको देखना चाहिए था। सड़क पर काँटे और कीलें गाड़ी गई हैं। शायद सरकार ने इतनी तैयारी पाकिस्तान बॉर्डर पर भी नहीं की होगी, जितनी दिल्ली के बॉर्डर पर कर दी है। जो हमारे अन्नदाता हैं, उन्हें आज देश के दुश्मनों का दर्जा दिया जा रहा है। याद रखिए, यह किसान, जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, खोने को कुछ नहीं है, इन पर आप डरा-धमकाकर अपने कानून नहीं थोप सकते हैं। ये कानून इन्हें पसंद नहीं हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि जब आप इस कानून को डेढ़ साल तक रोकने के लिए तैयार हो गए हैं, तो ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप इन्हें वापस लेने में हिचकिचा रहे हैं? आप इन कानूनों को डेढ़ साल के लिए रोक रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आप अनाउंस कर दीजिए कि आप इन कानूनों को तीन साल के लिए रोक रहे हैं, तो शायद किसान कहेंगे कि हम अगले चुनाव के बाद देखेंगे कि इस बारे में क्या होने वाला है। हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप अपना ईगो छोड़कर, बड़े बनकर, इन किसानों की माँगों को मानते हुए इन तीनों कानूनों को वापस लें। यह बहुत अफसोस की बात है कि कल सत्ता पक्ष के एक व्यक्ति ने कह दिया, वे किसानों के बारे में कह रहे थे कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे पर बोझ नहीं बनना चाहिए। सर, ये बोझ नहीं हैं, ये हम लोगों को खाना देते हैं, इनको बोझ कहना बहुत ही निंदनीय बात है। यह आपकी कैसी ज़िद है, कैसी ईगो है, जिसे आप खत्म नहीं करना चाहते हैं और इन तीनों कानूनों को वापस नहीं लेना चाहते हैं? किसान आप ही के बच्चे हैं, आप ही के भाई-बहन हैं, माता-पिता हैं उनको आपने देशद्रोही बना दिया, उनके बारे में आपने कह दिया कि ये तो terrorist हैं। आपने यह मीडिया के माध्यम से कहा, मीडिया का इस्तेमाल किया, क्योंकि दस प्रतिशत मीडिया को छोड़ दें, तो बाकी सारी मीडिया इंडस्ट्रियलिस्ट्स के हाथों में हैं और आपने उन दस प्रतिशत के ऊपर भी इतनी दहशत फैला रखी है कि आज आपने मीडिया को एक पिंजरे में बंद तोते की तरह बना दिया है कि जो उसे पढ़ाया जाएगा, जो रटाया जाएगा, मीडिया का व्यक्ति दिन भर वही बोलेगा और आपसे भी चाहेगा कि आप भी वही बोलिए। फर्म, इंश्योरेंस, पुलिस और फोर्स में इनके घर के ही बच्चे रहते हैं। जिन जवानों को आपने उनके विरोध में आज यह कहकर खड़ा कर दिया है कि आप इनके लिए आँसू गैस लेकर तैयार रहिए, गोली लेकर तैयार रहिए और जरूरत पड़े तो गोली चलाइए, उस फोर्स में उन्हीं के बच्चे भर्ती हो रहे हैं। उन्हीं के बच्चे हम लोगों की सुरक्षा करने के लिए देश के बॉर्डर्स पर भी तैनात हैं और वे हमारी तथा आपकी सुरक्षा करते हैं। ये धूप, बरसात और कड़कड़ाती ठंड में भी छप्परों में रहकर, खुले आसमान के नीचे बैठकर हमारे लिए अन्न उगाते हैं। उसके बाद, हर वर्ष जो उनका नुकसान होता रहता है, उसको भी ये सहते रहते हैं और शायद इसीलिए हम इनको अन्नदाता भी कहते हैं। सरकार इनको 500 रुपया महीना देकर अपनी पीठ थपथपाती रहती है और कहती है कि हमने इतने हज़ार करोड़ रुपए किसानों को दे दिए। 500 रुपए महीना देकर आप इनको खरीदना चाहते हैं और इनके ऊपर कानून थोपना चाहते हैं। इन तीन कानूनों से

किसानों को भय लगता है और सही भय लगता है। उनको भय लगता है कि आप उनकी जमीनें हमेशा के लिए उनसे छीन लेंगे।

आप जिस तरीके से कुछ चुनिंदा industrialists के हाथों में एक-एक चीज़ को बेच रहे हैं, चाहे वह रेल हो, टेल हो, गैस हो, जमीन हो, आसमान हो, आप सब चीज़ें उनको बेच रहे हैं। अब तो आपने नदी किनारे ports भी बेचने का काम कर दिया, एलआईसी को बेचने का काम कर दिया। एलआईसी, जहाँ पर लोगों की लाइफ इंश्योर्ड रहती है, उसके बारे में भी आपने तय कर लिया है कि आप उसे इनके हाथों बेच देंगे। आज आप बैंक को भी बेचने की तैयारी में आ गए। आपने कह दिया कि हम प्राइवेट बैंक बेच रहे थे, अब आप सरकारी बैंक बेचने की बात कर रहे हैं। जब आप सरकारी बैंकों को बेचना चाहते हैं, जिन बैंकों में ये ही industrialists घोटाला करके, पैसा लेकर विदेशों की सैर कर रहे हैं, तो किसान भी डर रहा है कि उसका क्या होगा।

आज से 70 वर्ष पहले जब जुलाई, 1952 में ज़मींदारी एबॉलिशन ऐक्ट आया था, तो ज़मींदारी खत्म करके किसानों के हक में पूरे देश के लिए यह कानून लाया गया था और उससे उनको फायदा भी हुआ था। आज आप ठेकेदारी के नाम पर उस ज़मींदारी को वापस लाना चाहते हैं। आज इन किसानों से ज़मीनों की लेन-देन करके, उनके पट्टे कराकर, उनको ठेके पर लेकर आप उनको इन ज़मीनों से महरूम करना चाहते हैं, इसीलिए वे परेशान हैं कि इसके बाद इन ज़मीनों का क्या होगा और हमारे साथ क्या होगा?

आप यह अच्छी तरह जानते हैं कि जो तीन कानून बनाए गए हैं, उनमें एक नहीं, अनेक खामियाँ हैं। उसमें किसानों के हक की कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई बात होती है, तो एसडीएम तय करेगा, एसडीएम आपकी सुनेगा अब एस डी एम industrialists की सुनेगा कि एक गरीब किसान की सुनेगा? इसमें जो appeal, revision और review की power है, उसमें किसान के लिए आपने महीने भर की limitation छोड़ रखी है, जबकि जो industrialist होगा, जो ठेकेदार होगा, उसके लिए आपने कोई review की limitation नहीं रखी है। आप इस तरह का कानून लेकर आए हैं! किसान एमएसपी के लिए लड़ रहा है। वह कह रहा है कि आप इसमें एमएसपी जोड़ दीजिए। आप इस कानून में एमएसपी क्यों नहीं डालते हैं? आप इसमें एमएसपी इसलिए नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि आपकी नीयत साफ नहीं है। अगर नीयत साफ होती, तो कानून में एमएसपी को डालने में क्या परेशानी है? आप बार-बार बाहर कह रहे हैं, हर जगह कह रहे हैं कि हम तो एमएसपी देंगे, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अगर आप एमएसपी देना चाहते हैं, तो इस कानून में आप एमएसपी की बात क्यों नहीं रखते हैं?

आप कहते हैं कि हम यह कानून इसलिए ला रहे हैं, क्योंकि किसानों का भला हो जाएगा, किसानों का उद्धार हो जाएगा। आप जिसके उद्धार की बात कर रहे हैं, जिसके भले के लिए कह रहे हैं, वह स्वयं कह रहा है कि हमें यह पसंद नहीं है। यह हमारे हक में नहीं है, इसको आप हमारे ऊपर लागू मत कीजिए, इसको हम पर मत थोपिए, लेकिन आप कहते हैं कि हम तो इसे आप पर थोपेंगे। यह तो वैसी ही ज़िद हो गई कि एक स्टूडेंट कहता है कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, हम पोलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, हम इंग्लिश लिट्रेचर में आगे पढ़ेंगे आप कहेंगे नहीं, आपको तो मेडिकल में ही जाना पड़ेगा, इस देश के सारे लड़कों को मेडिकल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यही देश के हित में है और यही सारे बच्चों के हित में है। इस तरह की भावना रखकर इसको थोपना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए हम लोगों की यह माँग है और हमारी पार्टी की भी माँग है। हमारी पार्टी की तरफ से

हमारी पार्टी की मुखिया, बहन मायावती जी ने भी माँग की है कि इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाए, हर फसल में एमएसपी दिए जाने के लिए legal provisions लाए जाएँ, किसानों की प्रताड़ना बन्द की जाए। 26 जनवरी को जो हुआ, उसकी हम लोग बहुत भर्त्सना करते हैं। हमारे लिए भी इस देश का तिरंगा जान, शान तथा हर चीज से, सबसे ऊपर है। अगर उस पर कोई भी दाग लगता है, तो हम लोग उसको सह नहीं सकते। ऐसे लोग, जिन्होंने उस पर दाग लगाने की कोशिश की है और लाल किले के ऊपर चढ़कर तिरंगे झण्डे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

सर, मैं आखिर में आपसे दो मिनट इसलिए माँग रहा हूँ, क्योंकि आपने कह दिया था कि किसान का डिस्कशन अलग से नहीं होगा, बल्कि वह इसके साथ ही होगा, इसलिए दोनों पर बात करनी जरूरी है। इसलिए अब मैं बहुत ही short में President's Address के बारे में कुछ और बातें कहूँगा। महोदय, आज देश में अनइम्प्लॉयमेंट मैक्सिमम स्तर पर बढ़ा हुआ है। आपने सालाना दो करोड़ लोगों को नौकरी देने का वायदा किया था, जिस तरह से आपने गरीबों को 15 लाख रुपये देने का वायदा किया था, लेकिन एक करोड़ से ज्यादा नौकरियां जाने का काम हो रहा है। ये सब demonetization का असर है। आज पीएचडी स्टूडेंट भी क्लास-IV की नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, तो लाखों में आवेदन आते हैं। आज हम लोग इस स्थिति में पहुंच गए हैं। आपने एजुकेशन की पॉलिसी ऐसी बनायी है, जिसमें आप एक पीएचडी होल्डर को कहते हैं कि आप नर्सरी पास बच्चे को पढ़ाने का काम कीजिए और उससे पहले eligibility test pass कीजिए। इसकी वजह से अनेक एमबीए और अन्य पढ़े-लिखे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को नौकरियां नहीं मिल रहीं। जो पहले पढ़ाने का काम करते थे, जिन्होंने हम लोगों को भी पढ़ाने का काम किया, वे कोई पीएचडी होल्डर्स या सिर्फ वही नहीं थे, जिन्होंने स्कूलों में पढ़ाने का काम किया, वे गैजुएट्स भी थे, पोस्ट ग्रेजुएट्स भी थे, जो पढ़ाते थे।

आज आपने एलआईसी को बेचने का जो डिसीजन लिया है, वह बहुत ही घातक है। आप पहले 49 परसेंट स्टेक बेच रहे थे, अब आपने 75 परसेंट बेचने का उल्लेख किया है। एक व्यक्ति, जो इंश्योरेंस करवाता है, उसको लगता है कि उसकी लाइफ इंश्योर्ड है या उसके बाद उसके बच्चों को इंश्योरेंस मिलेगा। आज आप उसको भी प्राइवेट हाथों में बेच रहे हैं, जिस तरह से आप हर चीज को बेचने का काम कर रहे हैं, यह उचित नहीं है।

**MR. CHAIRMAN:** Thank you, Satish Chandra Misraji.

**SHRI SATISH CHANDRA MISRA:** Sir, I will take just...

**MR. CHAIRMAN:** No; you have already taken nine minutes, please.

**श्री सतीश चन्द्र मिश्रा :** सर, हमने 10 मिनट का समय मांगा था। मैं हैत्य के बारे में बात करके अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। आपने हैत्य स्कीम के बारे में कहा है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने President's Address में यह भी कहा है कि हम लोग बहुत सी चीजें कर रहे हैं। आप देश में जितना बढ़ावा कर रहे हैं, वह सब ultimately प्राइवेट हाथों में ही जाने वाला है, वह देश के पास

नहीं रहने वाला है। आप दो-तीन प्राइवेट लोगों के हाथों में इसको भी बेच देंगे। आपने हैल्थ स्कीम में कहा है कि आपने बहुत काम किया है, अच्छा काम किया है, लेकिन आप यह भी देखिए कि इसमें और भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमने पिछली बार भी माननीय सभापति जी के सामने यह बात कही थी कि केंसर के पेशेंट्स पूरे देश में हर महीने लाखों की संख्या में बढ़ रहे हैं। केंसर के ट्रीटमेंट के लिए linear x-ray machine चाहिए होती है। जो linear accelerator machine होती है, वह सिर्फ विदेशों में बनती है और सिर्फ दो ही कंपनियां उसे बनाती हैं। हमें अगर हैल्थ स्ट्रक्चर बढ़ाना है, तो उनको लगाने के लिए अगर प्राइवेट लोगों की आगे आने की इच्छा हो या किसी को भी लगानी हो, तो उनके पास capacity होनी चाहिए, unfortunately, यह बात मैंने पहले भी कही थी, आपने एक बार यह बात माननीय वित्त मंत्री जी से भी कही थी कि इस पर ध्यान दिया जाए। आप उस पर 27 परसेंट import duty लगाते हैं, वह मशीन 12-13 करोड़ रुपये की आती है और उस पर 27 परसेंट और दैं, इस वजह से इसमें आप साल भर में 50-60 करोड़ रुपये कमा लेंगे, लेकिन आज केंसर की वजह से लोग मर रहे हैं और लोगों को दिक्कत हो रही है।

MR. CHAIRMAN: Thank you, Satishji.

**श्री सतीश चन्द्र मिश्रा:** एमआरआई, सीटी स्कैन आदि पर import duty खत्म होनी चाहिए, taxes खत्म होने चाहिए, इसी निवेदन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Thank you very much. मेरा सुझाव यह है कि आगे बजट पर भी चर्चा होनी है। मेरे ख्याल से कुछ लोग President's Address और Budget दोनों को मिलाकर बोल रहे हैं। उनकी पार्टी का दूसरा सदस्य बोलेगा, यह मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसका भी ध्यान रखिए। सरदार बलविंदर सिंह भुंडरा भुंडर जी नहीं आये हैं। श्री अब्दुल वहाब।...(व्यवधान)...अकाली दल और कांग्रेस समझौता करके समय बांट ले तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।...(व्यवधान)... Now, Shri Abdul Wahab. ...(*Interruptions*)... मैं बाद में देखता हूं।...(व्यवधान)... I have called Shri Abdul Wahab. He wants to leave and has sought my permission; that is why.

**SHRI ABDUL WAHAB (Kerala):** Sir, I thank you very much for giving me time for speaking on the Motion of Thanks. I rise to oppose this Motion of Thanks. I also agree with the concerns of the Members from the Opposition parties on the farmers' issue and protest. My leader, Shri Sayed Hyderali Shihab Thangal, already instructed us to intervene in this matter and go to the place of protest and all. Regarding this issue, we also convey our solidarity. One journalist, who went to report the Hathras issue, is in jail now under UAPA. Today, in Kerala, all journalists are protesting against that one. So please intervene in this case and release that journalist. Sir, I want to raise the MPLADS issue. When the Covid issue came, the first thing what our Prime Minister did was to just revoke the MPLADS funds. In 2004, when I came here first in the Rajya Sabha, we used to get Rs.2 crores. With this amount, approximately, we

could make around 750 classrooms. But, now with Rs.5 crores, we can only make something like 50 to 60 class rooms. But still, that is being revoked and even the money which is due to us in the year 2020 is not given. For the periods 2020-21 and 2021-22, okay, it is forbidden for us. But, please, this is the only money through which we are getting some credibility amongst the people. Now, nobody is looking for us, particularly, the Rajya Sabha Members. Even they are not ready to see us and ready to come to our house. Otherwise, people from schools, from different associations, were coming to us for Rs.1 lakh, Rs.2 lakhs, Rs.5 lakhs, Rs. 10 lakhs and all. But, now it is also gone. So, with your intervention and also with the intervention of the Prime Minister, please reinstate the MPLADS funds. That is a request. Nobody is asking much because some parties are against that. And, I have still not got my Rs.15 lakhs. I am always checking in my account to see whether it has reached or not. After how many years I will get it, I don't know. It is not coming. My wife was expecting that money to buy some ornaments for me. So, still that money has not come.

I would like to say one more thing which is regarding vaccine. Of course political reasons apart, vaccines are first given to medical and service people. Even if it is given to the Prime Minister, people may think otherwise. That is why he is not taking. I don't know whether he has taken privately or not. But, we are not having that facility. Even in our hospitals, people are not there to receive the vaccine. That is interesting. So, my request to the Prime Minister is to give it, in the first phase itself, to, at least MPs, MLAs and Panchayat members. We are going around. I already had Corona and for one month I was in hospital. By the grace of God only, I managed to come out. So, this is the situation of Corona. I don't want to take much time because you have been saying so. I would conclude by once again opposing the Motion of Thanks on the President's Address. Thank you very much.

**MR. CHAIRMAN:** Thank you. God bless you. He came out of it without much problem. I am happy about it. Now, Shri Birendra Prasad Baishya. He is to sit there in the third row. He is not there. Now, Sardar Sukhdev Singh Dhindsa/*jī*, sitting in Lok Sabha. बोलिए ढिंडसा जी।

**SARDAR SUKHDEV SINGH DHINDSA:** I thank you, Sir. Thank you very much कि आपने मुझे टाइम दिया। सर, मेरा टाइम कितना हैं?

**MR. CHAIRMAN:** You have got six minutes to speak. Please go ahead.

**सरदार सुखदेव सिंह ढिंडसा (पंजाब):** सर, वैसे तो आज मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने के लिए खड़ा हूं, लेकिन टाइम कम है, इसलिए मैं सीधा किसानों के agitation पर ही बोलने जा रहा हूं। जब ये Ordinances issue हुए थे, तो मैं पहला आदमी था, जिसने प्राइम मिनिस्टर साहब को एक letter लिखा कि ये किसानों के हक में नहीं हैं।

**MR. CHAIRMAN:** I think your mike is not working. Technical people from Lok Sabha, please check. आप बैठिए, बैठकर बोलिए। आप बैठकर बोलिए। You are tall, so no problem. Please sit down and speak.

**सरदार सुखदेव सिंह ढिंडसा :** सर, मैं यह कह रहा था कि जब ये Ordinances issue हुए थे, तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को एक letter लिखा था। मैंने उसमें यह लिखा था कि ये किसानों के हक में नहीं हैं, इसलिए इनको वापस लिया जाए। उसका जवाब तो कुछ नहीं आया, लेकिन उसके बाद जो हुआ, वह आपके सामने है। सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हमारा अन्नदाता देश के borders पर लाखों की तादाद में agitation पर बैठा है। यह आंदोलन केवल किसानों का आंदोलन नहीं है, बल्कि समाज के सभी लोगों ने उनका support किया है। केवल समाज के लोगों ने ही उनका सपोर्ट नहीं किया, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इस agitation को जितना सपोर्ट मिला है, शायद ही किसी और agitation को मिला होगा। जब इस देश को अनाज की जरूरत थी, तब देश के लोग कभी अमरीका, तो कभी आस्ट्रेलिया में जाते थे कि हमें अनाज चाहिए। उस समय पंजाब और हरियाणा इकट्ठे थे और उन्होंने इतना अनाज पैदा किया कि इन्होंने उस अनाज को देश में ही नहीं दिया, बल्कि उसका export भी शुरू कर दिया।

महोदय, मैं यह समझता हूं कि इस देश पर इतना बड़ा एहसान किसानों ने ही किया है। आज किसानों के agitation को चार महीने से ज्यादा हो गए हैं, उन्हें दो महीने से ज्यादा बॉडर्स पर बैठे हुए हो गए हैं, वे लाखों की तादाद में वहां बैठे हैं। मैं समझता हूं कि उनकी स्थिति समझनी चाहिए। अभी तक 11 मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है। मैं यह महसूस करता हूं कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। सरकार कहती है कि यह बिल तो किसानों के हक में है, लेकिन किसान कहते हैं कि यह हमारे खिलाफ है। किसानों की बात माननी चाहिए। किसानों ने अपनी ज़मीन खराब कर ली, पानी का स्तर नीचे चला गया। मैं चाहता हूं कि उनकी मांग पूरी की जानी चाहिए। जब यह बिल पास हुआ था, तब उस समय सारी अपोजिशन ने भी कहा था कि इसको ज्वाइंट कमेटी के पास भेज दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी सारी अपोजिशन एक ज़ुबान से बोल रही है कि ये कानून वापस किए जाएं, लेकिन वापस नहीं हो रहे हैं। मैं यह भी महसूस करता हूं कि 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान किया गया, यह काफी दुखद था। वैसे तो हमने किसी का अपमान देखा नहीं होता है, लेकिन मैं समझता हूं कि जिन लोगों पर इल्जाम लगाया जा रहा है, जिनको कभी आतंकवादी, कभी देशद्रोही, कभी खालिस्तानी, कभी कुछ और कहा जाता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने ही सबसे ज्यादा कुरबानियां दी थीं। सर, मैं आपको थोड़ी-सी फिगर्स देना चाहता हूं, जो सरकार की फिगर्स हैं। आज़ादी की जद्दोजहद में 121 को फांसी की सजा दी गई थी। उनमें 93 सिख थे। वे अकेले पंजाबी नहीं थे, सिख थे। जिनको life imprisonment हुई, उनमें 2,646 में से

2,147 सिख थे और जलियांवाला बाग में जो 1,300 शहीद हुए, उनमें भी 799-800 हमारे सिख थे। बजबज में 113 मारे गए, जिसमें 67 सिख थे। इसके बाद कूका मूवमेंट हुआ, जिसमें 91 को शहीद किया गया, उसमें सभी सिख थे। अकाली मूवमेंट में 500 शहीद हुए, वे 500 के 500 सिख थे। वर्ष 1947 और 1971 में जिनको सजाएं मिलीं या शहीद हुए, उनमें 3,697 हमारे थे। महोदय, मेरा यह कहना है कि आज उनको कभी आतंकवादी कहा जाता है, कभी खालिस्तानी कहा जाता है। मैं संजय जी को सुन रहा था, उसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए। वे कौन लोग थे, जो लाल किले में गए थे और उनके पीछे कौन था? इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए। यहां मीडिया की बहुत बात हुई। मैंने और जीके, हम दोनों ने दिल्ली हाई कोर्ट में दो पीआईएल दायर की हैं, जिनमें मीडिया को रोकने के लिए कहा गया है। मीडिया की हमने एक कैसेट भी दी है। 26 जनवरी को मंदिर का टैब्ल्यू आया था, उसको किसी ने उखाड़ दिया, थोड़ा-बहुत नुकसान कर दिया। वे कह रहे थे कि सिखों ने कर दिया, जबकि कोई तस्वीर ऐसा नहीं दिखा रही है, मीडिया में कुछ ऐसा फैलाया गया है। वे हिंदू और सिखों की communal harmony को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उनको ऐसा करने से रोकना चाहिए और ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए।

दूसरा, एग्रीकल्वर स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन फेडरल सिस्टम को नुकसान हो रहा है। सभी रीजनल पार्टीज फेडरल सिस्टम चाहती हैं, जबकि इसको कमज़ोर किया जा रहा है। एग्रीकल्वर डिपार्टमेंट स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन कानून सेंटर ने बना दिए। फेडरल सिस्टम को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सर, मैं दो मिनट और लूंगा।

सर, मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री जी को initiative लेना चाहिए और respectful way से उनके साथ बैठकर बात करके हल निकालना चाहिए। प्रधान मंत्री खुद initiative लें, तो यह बात बन सकती है, otherwise हमारी माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, students हैं और सारी दुनिया से भी लोग आ रहे हैं। उनका एक ही हल हो सकता है कि प्रधान मंत्री जी respectful way से उनकी बात को सुनकर उसको हल करें।

आखिर में, मैं एक बात एमएसपी के संबंध में भी कहना चाहता हूं। एमएसपी के बारे में भी बड़ी बातें चल रही हैं। एमएसपी का पहले भी कोई तरीका नहीं था। सरकार जो मर्जी आए, कभी पांच रूपये दे दे, कभी पचास रूपये दे दे। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट भी लागू नहीं की गई है। किसान कहते रहे हैं कि एग्रीकल्वर यूनिवर्सिटीज ने जो रिपोर्ट दी हैं, उनके मुताबिक दिया जाए या फिर प्राइस इंडेक्स से जोड़ा जाए। लेकिन तीनों में से किसी से नहीं जोड़ा गया। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि एमएसपी को किसी scientific तरीके से शुरू करें और उसको पक्का करें। वह तो समझौते में होगा, जिसे सरकार मानती है...

MR. CHAIRMAN: Right, Dhindsaji.

सरदार सुखदेव सिंह ढिंडसा: थैंक यू, सर।

**श्री सभापति:** मैं एक विषय सबके ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस विषय को जाति के आधार पर नहीं देखना चाहिए। किसान तो किसान है। अगर वह स्टेट का है, तो स्टेट का है, मगर इसमें

जाति नहीं होनी चाहिए। किसी ने कहा हो या उन्होंने कहा हो या किसी पत्रकार ने ऐसा लिखा हो या किसी ने भी कहा हो, लेकिन यह गलत है। ऐसा नहीं कहना चाहिए।

**सरदार सुखदेव सिंह डिंडसा:** सर, मीडिया को रोकना चाहिए।

**श्री सभापति:** मैंने प्वाइंट नोट कर लिया है। डा. विनय पी. सहस्रबुद्धे। You have 15 minutes.

**डा. विनय पी. सहस्रबुद्धे (महाराष्ट्र):** सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए अनुमति दी है, इसके लिए आपका धन्यवाद। वैसे सारे भाषण सुनने के बाद, मैं थोड़ा सा सहम सा गया हूं, टेन्शन में आ गया हूं कि अभी मैं क्या बोलूं। मुद्दा यह नहीं है कि मेरे पास बोलने के लिए बिंदु नहीं हैं, लेकिन जिस पद्धति से भाषण प्रस्तुत किए जाते हैं, उसमें एक अलग तरह की कला के नमूने हम यहां पर देख रहे हैं। उर्दू शेर-ओ-शायरी और आंकड़ों का जादू मेरे पास नहीं है, selective statistics प्रस्तुत करने की कला से भी मैं वाकिफ नहीं हूं, मैं नाटकीय ढंग से भी अपनी बात को नहीं रख सकता और चिल्ला-चिल्ला कर कहना कि मैं humbly बोल रहा हूं, मैं humbly बोल रहा हूं और ऐसा बड़ी तेज़ आवाज से बोलना - यह भी मैं नहीं जानता हूं। मैं कोई किंज़ मास्टर भी नहीं हूं कि हमेशा सवाल ही पूछता जाऊं। हम तो केवल समाधान ढूँढ़ने वाले लोग हैं, हम सवालों के जवाब देने वाले लोग हैं, मगर कुछ लोग जिंदगी भर केवल सवाल ही पूछते रहें, ऐसा भी मुझसे हो नहीं पाता है, क्योंकि मान्यवर, मुझे इसका अभ्यास नहीं है। असहिष्णुता को छुपाने के लिए मेरे पास वह शॉल भी नहीं है, जिसके आधार पर मैं अपनी कमियों को छुपा पाऊं। मैं अभी सुन रहा था कि हमें उपदेश दिया जा रहा था कि 'निन्दकाचे घर असावे शेजारी'। भाई 15-20 साल तो हमने निन्दक को ही साथ में रखा था और उसके आधार पर ही हमने पड़ोसी के धर्म को निभाया था। आपको अपने अंदर झाँककर देखना चाहिए कि आपने दोस्ती, मोहब्बत एक से की और घर बसाने की बात आई, तो दूसरे के साथ घर बसा रहे हैं। हमें उपदेश देने की जरूरत नहीं है।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि कुल-मिलाकर 2014 से लेकर विगत 6-7 सालों की अगर मैं बात करूं, क्योंकि 2016-17 में भी इसी तरीके से धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर मिला था।

10.00 A.M.

मैं मानता हूं कि विगत 6-7 सालों में जो हुआ है एक आकांक्षा का जनतंत्र, एक democracy of aspirations को लोगों ने अनुभव किया है, देश ने अनुभव किया है और आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चल पड़ी इस देश की जनता ने एक आत्मविश्वास के जनतंत्र को साकार करने के बारे में ठान लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश एक विशेष दिशा को पकड़कर बड़ी तीव्र गति से आगे जा रहा है, जिसकी परछाई, जिसका reflection हमें आदरणीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में मिलता है।

मैं 2019 के चुनावों के बाद कई बार सुनता रहा कि यह मोदी मैजिक है, यह मोदी मैजिक है। मैं बताना चाहता हूं कि इसमें मैजिक नहीं है, यह मोदी मेहनत है। यह किए हुए कामों का फल

हमें मिला है और इसको अगर आप थोड़ा तरीके से देख पाएंगे, तो मैं मानता हूं कि आपकी समझ में आएगा कि यह मैजिक नहीं है। किसानों के कानूनों को लेकर, कृषि कानूनों को लेकर काफी चर्चा हो गयी है। अभी ढिंडसा जी ने भी काफी बातें कही हैं। हम भी जानते हैं - हर कोई उठता है और हमें कहता है कि अहंकार छोड़ो, अहंकार छोड़ो, यह अहंकार नहीं है। वर्ष 2000 में इसके बारे में पहली बार रिपोर्ट आई। बाद में मॉटेक सिंह अहलुवालिया ने तरह-तरह के मंचों पर, फोरम पर इसकी चर्चा की और लोगों ने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है। मान्यवर, यहां पर जो सदस्य हैं, उनमें से किसानों की बात करने वाले एक मान्यवर नेता ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि ये कानून आने चाहिए और फिर वे बात को पलट देते हैं। अभी हमें बताते हैं कि Harold Laski ने क्या कहा - एक प्राध्यापक महोदय ने कहा। Harold Laski ने तो यह भी कहा था, "A leader is a person who leads the masses and refuses to be led by the masses." हम पॉप्युलिज़्म के आधार पर काम नहीं करेंगे। Edmund Burke ने भी कहा था कि पॉप्युलिज़्म के आधार पर काम मत करिए। आपको अपना जजमेंट भी लोगों के लिए उपयोग में लाना है, केवल मेहनत करने से, उस पद्धति से काम करने से नहीं होता, हम अपने जजमेंट से काम कर रहे हैं। आप भी किसानों को एक-दो बातें कहिए। आप हमें तो उपदेश दे रहे हैं- सारे किसान नेता हमारे आदरणीय नेता हैं, हमारे मंत्री महोदय ने 11-12 बार उनके साथ बातें की हैं और अभी भी हम बात करने के लिए तैयार हैं। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि आप थोड़ा-बहुत भी लचीलापन न दिखाएं। हमने तो लचीलापन दिखाया है। हमने कानूनों को डेढ़ साल के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव दिया है, शायद पहली बार सरकार ने इस पद्धति का रवैया अपनाया होगा। आप भी ऐसा करिए।

माननीय सभापति महोदय, मेरी समझ में नहीं आता है कि कुछ किसान, कुछ राज्यों के किसान इस तरीके से धरने पर क्यों बैठे हैं? कल को इन कानूनों के समर्थन में 5,000 लोग बैंगलुरु में या कहीं और धरना-प्रदर्शन करने के लिए बैठ जाते हैं, तो क्या हम सिविल वार चाहते हैं, क्या यह पद्धति होगी? हम जनतंत्र में सदन को सर्वोच्च सदन कहते हैं। जब सर्वोच्च सदन ने चर्चा के बाद इस कानून को पारित किया है - हो सकता है कि चर्चा के बारे में आपके मत अलग-अलग होंगे, मगर चर्चा तो हुई थी और उसको क्या हम इस तरीके से गिरवी रख देंगे? सवाल कानूनों का नहीं है, सवाल आंदोलन का नहीं है, सभी आंदोलनकर्ताओं के प्रति हमारे मन में सम्मान की भावना है, आदर की भावना है, किसी को उसके बारे में गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि इस सदन को कोई taken for granted ले। यह जनतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति नुकसानदेह बात होगी, इसका भी एहसास हम सबको होना चाहिए।

मान्यवर, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कई सारी बातें आयी हैं और विकास के विभिन्न मोर्चों पर हम तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, उसका काफी अच्छा वर्णन और उसके काफी कार्य संदर्भ उसमें आए हैं। कई सारी बातों का जिक्र किया जा सकता है, लेकिन समय की मर्यादा है। मैं जानता हूं कि विगत कई सालों में, जैसे एक ज़माना था कि हमारे देश के जो सबसे पिछड़े जिले थे, उनको हम बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स कहते थे, हमने उनको Aspirational Districts में परिवर्तित किया है और यह केवल शब्दों का खेल नहीं है, उसके लिए काफी कुछ काम भी किए हैं। कल चर्चा हो रही थी कि जहां पर खनिज मिलते हैं, जहां पर मिनरल्स उपलब्ध हैं, ऐसे जिलों के विकास की बात जब आती है - मैं आपको रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं और यह टाटा ट्रस्ट की रिपोर्ट है, किसी सरकारी संस्थान की रिपोर्ट नहीं है। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के बारे में झारखंड के अंदर उन्होंने लिखा

है, 'Due to the District Mineral Fund Trust,' जो एक बनाता है, जहां से खनिज निकलता है, वहां पर जो राशि मिलती है, उसके कारण, 'which is at the disposal of the district authority, this is devolution of power.' हमने district authority को दे दिया है। किस राज्य में किसकी सत्ता है, यह विषय नहीं है, 'A situation of delay in fund flows for planned activities does not arise; unlike scheme funds, the district administration has full control over the flow of funds from the DMFT. This is what is a good governance.' केवल इतना ही नहीं है। मैं अन्य तरीकों से, विशेष रूप से जो हमारे पिछड़े जिले थे, कई जिले नक्सलवाद की चपेट में आए थे, अगर मैं नक्सलवाद से प्रभावित जिलों की चर्चा करूं, जो एक दृष्टि से कानून-व्यवस्था का भी प्रश्न हो जाता है, तो ध्यान में आता है। मैं यह गृह मंत्रालय की एन्युअल रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, जिसमें यह कहा गया है कि 2010 में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इंसिडेंट्स की संख्या 2,213 थी, जो कि 2014 में, जब हमने सूत्र संपादन किया, तो 1,000 तक आई थी और आज की तारीख में वह 230 तक आई है। इतने कम इंसिडेंट्स हो रहे हैं, वारदातें कम हो रही हैं और उसी के अनुपात में वहाँ पर हताहत होने वालों की संख्या में भी काफी कमी आई है।

मान्यवर, जब मैं सुरक्षा की बात करता हूं तब स्वाभाविक रूप में सुरक्षा के लिए जो संसाधन जुटाए जाते हैं, उनका भी विषय आता है। हम सबको पता है कि सरकार ने जिस पद्धति से आर्थिक मोर्चे पर काम किया है, वह सराहनीय है। 2014 में इन्कम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या केवल 3.31 करोड़ थी, 2020 में आज यह दुगनी होकर 6.48 करोड़ हो गई है। करदाता भी इस देश के निर्माण में एक भूमिका निभाता है, मैं मानता हूं कि इसका एहसास हम सबको होना चाहिए।

मान्यवर, जब देश की सुरक्षा की बात आती है, तो कुछ अस्मिता से जुड़े हुए, आइडेंटिटी से जुड़े हुए विषय भी आते हैं। सरकार ने उस मोर्चे पर भी सभी को साथ लेकर अच्छा काम किया है, मगर जो विडम्बनाएं हमारे देश की राजनीति में चलती रहीं, उनके बारे में कहूं तो मैं हैरान रह गया, जब कल्वर मिनिस्ट्री के संदर्भ में मेरे ध्यान में यह लाया गया कि हमारे महाराष्ट्र के लोग - वे अभी यहाँ पर थे, अभी नहीं हैं, मगर वे जानते हैं कि महाराष्ट्र में प्रतापगढ़ में शिवाजी और अफ़ज़ल खान के बीच एक वारदात हुई थी, जिसमें अफ़ज़ल खान मारा गया था। आप हैरान होंगे यह सुनकर कि जब अफ़ज़ल खान प्रतापगढ़ में चला था, तो उसे यह अंदेशा हुआ था कि मेरी मृत्यु होने वाली है। उसकी 63 wives थीं। उसने उन सभी का कत्ल करा दिया था। उन 63 wives की एक कब्र अर्थात् कब्रों का एक संग्रह बीजापुर, कर्णाटक के पास है, जिसे पुरानी सरकारों ने national monument बना दिया है। वे 63 कब्रें national monument हैं। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की जो पुत्रवधू थी, ताराबाई, उसकी समाधि सतारा के नजदीक माहुली में है, जिसके प्रति किसी का ध्यान नहीं है। मैं प्रह्लाद पटेल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि हम ताराबाई की समाधि को उसी पद्धति से इज्जत देंगे और उसके रख रखाव की जो चिंता करनी चाहिए, वह करेंगे। ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि जब हम जीतते हैं, जब हम सरकार में काम करते हैं, जब हम राजनीति में, सामाजिक जीवन में काम करते हैं, तो आइडेंटिटी के विषय भी उतने ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं और यह सरकार उसकी चिंता के बारे में भी बहुत कारगर ढंग से काम कर रही है।

महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि विगत छह सालों में हमने विदेश नीति में भी काफी अच्छी पद्धति से इस मोर्चे पर काम किया है। प्रधान मंत्री जी का वह स्टेटमेंट, 2014 में युनाइटेड

नेशन्स असेम्बली के अंदर उन्होंने जो भाषण दिया था, वह सबको याद होगा। उन्होंने कहा था कि मैं विदेश नीति और विश्व व्यवहार के बारे में नौसिखिया हूं, मगर मैं समझता हूं कि कई जगह गुप्त छोड़े गए हैं, जैसे जी-20, जी-17, जी-7, जी-8 आदि। प्रधान मंत्री जी ने इसको कहा था। भारत का ही प्रधान मंत्री यह कह सकता है और नरेन्द्र मोदी जी ही यह कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि मानवता के, पर्यावरण के, विकास के कुछ विषयों में why can't there be a G-all? यह हमारी भूमिका है। सबको साथ लेकर, विश्व समुदाय पूरा का दिल जीतते हुए भारत उसका नेतृत्व करे, हम इस भूमिका में आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए vaccine diplomacy की बात हो, soft power बढ़ाने की बात हो, मैं मानता हूं कि इन सारे विषयों की ओर इस देश ने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देने की दिशा में अग्रसर होने का प्रण किया है।

महोदय, मैं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के अध्यक्ष का भी दायित्व निभाता हूं। आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने पहली बार - शायद पहली बार यह हुआ होगा कि आईसीसीआर का जो काम चलता है, उसकी समीक्षा की। उन्होंने घंटा, दो घंटे उसके लिए दिए और काफी कुछ विषयों के बारे में चर्चा की। आज मैं आपसे यह कहने में बड़ा गर्व महसूस करता हूं कि पहली बार जो soft power होती है, यानी केवल गाना, बजाना, नाटक, संगीत, नृत्य आदि को भी हम और आगे लेकर गए हैं।

Textile के बारे में हमने 2 अक्तूबर को, जब हम महात्मा गांधी जी के 150वें जन्म जयंती का कार्यक्रम कर रहे थे, तब weaving relations through textile traditions के रूप में एक webinar का आयोजन किया था, जिसमें भूटान की महारानी भी उपस्थित थीं, कोरिया की फस्ट लेडी भी उपस्थित थीं और बंगलादेश के Textiles Minister भी आए थे। हम textile जैसी कला के माध्यम से भी विश्व में अपने संबंधों को और उजागर करना चाहते हैं।

महोदय, हम एक UTIKS नाम का पोर्टल बना रहे हैं - Universalisation of Traditional Indian Knowledge System, जिसमें हमारी जो ज्ञान संपदा है, उसको विश्व में हर किसी के लिए खुली करते हुए, जिस किसी को ज्ञान पाना है, उसके लिए अवसर प्रदान कर रहे हैं। जो भारत में पढ़ कर विदेश में गए छात्र हैं, ऐसे कई छात्र हैं, जो बंगलादेश में हैं, नेपाल में हैं, जो वहाँ के समुदाय में, राजनीति में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। कोई सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बने हैं, कोई प्रधान मंत्री बने हैं, कोई और कुछ बने हैं। इन सबके लिए 'Association of Alumni of Indian Universities', हमने इस रूप में भी एक आयोजन किया है। हम इस तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। कई बार मुझे लगता है कि हम जो development diplomacy का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, विश्व समुदाय के साथ जो सरोकार बना रहे हैं, 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की हमारी धारणा है, मगर इसको कई बार विपक्ष के हमारे मित्र भी पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी राजनीति को और वैश्विक दृष्टिकोण को भी भारत के अन्दर की राजनीति के साथ जोड़ा था। वे कहते थे कि इजराइल के साथ मित्रता न करो, पैलेस्टाइन नाराज होगा। हमारे मन में ऐसा कोई भाव नहीं है। हम दोनों देशों के साथ मित्रता कर सकते हैं - 'वसुधैव कुटुम्बकम्'। कुछ लोगों के लिए 'कुटुम्बैव वसुंधरा' होता है। उनको एक कुटुम्ब से ही इतना प्यार हो जाता है कि वही वसुंधरा है, वे ऐसा मानते हैं। हमारी यह भूमिका नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं सुन रहा था कि जब बजट आया, मैं जानता हूं कि बजट पर चर्चा अलग है, मगर जब बजट में पब्लिक सेक्टर के बारे में, बैंक्स के बारे में चर्चा चली, तो लोगों

ने कहा कि family silver बेच रहे हैं। वह तो family gold था, हमने उसको बरकरार रखने की कोशिश की है, मगर जिसको family के अतिरिक्त कुछ ध्यान ही नहीं आता, जो केवल family, family करते हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि अन्दर झाँक कर देखिए, जिसको आपने अपनी family में silver माना था, दुर्भाग्यवश वह family aluminium निकला है और उससे कुछ हो नहीं पाएगा। इसलिए मैं मानता हूँ कि अगर हम इस तरीके से populism का सहारा न लेते हुए आगे बढ़ेंगे, तो हम देश में कई दृष्टि से सुधारों के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं और कई विषय सामने ला सकते हैं।

मान्यवर, हम सब जानते हैं कि जब मैं विदेश नीति की चर्चा कर रहा हूँ, तो किस पद्धति से हमने विश्व के सारे समुदायों को साथ में लिया, चाहे Organization of Islamic Countries हो। अभी एक-दो साल पहले उनका एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें उन्होंने श्रीमती सुषमा स्वराज, जो उस समय हमारी विदेश मंत्री थीं, उनको बुलाया था। इसी तरीके का कार्यक्रम, जब 1969 में रबात में उनका स्थापना अधिवेशन हुआ था, तब भी हुआ था। तब हमारे जो मंत्री वहाँ पर गए थे, उन पर क्या बीती थी, पाकिस्तान का कितना दबाव था, हम सब जानते हैं। हमने सभी के साथ मित्रता की है। मैं मानता हूँ कि खाड़ी देशों में माननीय प्रधान मंत्री जी को जितने पुरस्कार मिले हैं, जितने सम्मान मिले हैं, जितनी उपाधियाँ मिली हैं, शायद इससे पहले हमारे किसी भी प्रधान मंत्री को उन देशों के द्वारा इस पद्धति से सम्मानित नहीं किया गया होगा।

मान्यवर, कल मैं चर्चा सुन रहा था, तब जम्मू-कश्मीर के बारे में भी उल्लेख आया और लोग तरह-तरह से जम्मू-कश्मीर के विषय को भी उठा रहे थे। मैं बताना चाहता हूँ कि जम्मू-कश्मीर के अन्दर, विशेष रूप में जिस पद्धति से वहाँ के सेब के व्यापार को NAFED से जोड़ कर वहाँ के किसानों की आय बढ़ाने की दृष्टि से हमने काफी कुछ जो नए-नए प्रयास किए हैं, उनके बारे में भी मैं मानता हूँ कि सदन को अवगत होना चाहिए। रक्षा के बारे में भी लगभग एक साल हो रहा है, हमने 'Chief of Defence Staff' के पद का निर्माण किया, जिसके काफी अच्छे परिणाम निकल कर आ रहे हैं। 'आत्मनिर्भर भारत' की दृष्टि से 'आत्मनिर्भर रक्षा संपदा', हम इस विषय पर भी काम कर रहे हैं। उस दृष्टि से भी मैं मानता हूँ कि माननीय राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में कई सारे उल्लेख आए हुए हैं। Women participation has been increasing over the years and the Government is further enhancing their role and priority. यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कुल मिला कर रक्षा की हमारी जो रचना होती है, उसमें महिलाओं की सहभागिता को भी हम काफी अच्छा महत्व दे रहे हैं। विगत साल 2020 में जो परेड हुई थी, कैप्टन तानिया शेरगिल ने उस परेड का नेतृत्व किया था। देश में पहली बार इस पद्धति से एक महिला ने आर्मी के एक दस्ते का नेतृत्व किया। मैं मानता हूँ कि इसके बारे में भी हम सभी के मन में एक स्वाभाविक अभिमान का स्वर निश्चित रूप में उपजना चाहिए।

मान्यवर, लंबी बात करने की आवश्यकता नहीं है, मगर मैं केवल यह बताना चाहता हूँ कि कुल मिला कर अगर मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की ओर कटाक्ष डालूँ, तो मुझे लगता है कि जिस पद्धति से सभी मोर्चों पर यह देश माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, उसके साथ हम सभी को अपने आपको जोड़ना चाहिए, क्योंकि प्रधान मंत्री जी और हमारी सरकार की यह धारणा है कि लोगों की सहभागिता के आधार पर ही हम अच्छी गति से आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हम सभी का साथ चाहते हैं; सभी का विकास हो, यह भावना रखते हैं और

सभी के विश्वास को अर्जित करते हुए आगे बढ़ने की हमारी मंशा रहती आई है। मान्यवर, अपने भाषण को समाप्त करने से पहले मैं केवल एक और बिन्दु बताना चाहूंगा। अगर हम कुल मिलाकर ध्यानपूर्वक देखेंगे, तो हमारे देश के जो पहले प्रधान मंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने 'Discovery of India' नामक किताब लिखी थी। मेरा मानना यह है कि आज हम 'Discovery of India' से काफी आगे निकल चुके हैं और 'Self-Realization of India' के स्तर पर पहुंच गए हैं। एक दृष्टि से इस देश की जनता और देश के समुदाय को आत्मविश्वास के आधार पर आत्मविस्मृति से बाहर निकालते हुए हम आत्मनिर्भता की ओर तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। यह यात्रा इसी पद्धति से सफल हो सकती है। पूरे देश ने विभिन्न चुनावों के माध्यम से, मतपेटी के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व के प्रति बार-बार विश्वास दिखाया है। एक दृष्टि से इसी चीज से यह endorse हो जाता है कि हम बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। 2019 का जनादेश पुनः प्राप्त होने के बाद, विगत एक-डेढ़ साल से, जब से यह सरकार काम करने लगी है, तब से हम और भी अधिक तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं।

महोदय, यहां पर काफी लोग शेक्सपियर के बारे में चर्चा कर रहे थे। शेक्सपियर ने कहा था, 'पूरा विश्व एक रंगभूमि है।'...(व्यवधान)...

**श्री सभापति :** विनय जी, आपकी पार्टी ने जो समय आपको दिया है, वह समाप्त हो गया है।...(व्यवधान)...

**डा. विनय पी. सहस्रबुद्धे :** महोदय, शेक्सपियर ने विश्व को एक रंगभूमि बताया था। मैं मानता हूं कि शेक्सपियर ने बहुत बड़ी बात कही है। हमने भी थोड़ा-थोड़ा कुछ पढ़ा है। Alfred Tennyson ने एक कविता में कहा था, "I do but sing because I must". हमारी भावना यह है, 'We do but transform because we must'.

महोदय, transformation का जो बैकलॉग रहा है, जो अनुशेष रहा है, उसको दूर करने की दिशा में हम अग्रसर हैं। इसी के साथ आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं, धन्यवाद।

**श्री सभापति :** जो वक्ता अपने समय से ज्यादा बोलते हैं, उनकी पार्टी के बाकी वक्ताओं का उतना समय कम हो जाएगा। अब श्री प्रताप सिंह बाजवा जी पंजाबी में बोलेंगे।

**SHRI PARTAP SINGH BAJWA (Punjab):** \*'"Thank you, Chairman Sir. Today, I would especially like to give this message from our Parliament, to all those Punjabi brethren everywhere in the entire world, who wish to hear from their Representative, in Punjabi language.

Mr. Chairman Sir, when on 20<sup>th</sup> September, 2020, in this very House, the debate was taking place to consider and pass these Farm Bills, and I am grateful that my Party,

\* English translation of the Original speech made in Punjabi.

Indian National Congress had given me an opportunity to speak in that debate as a Lead Speaker; I had stated at that time also that these Bills are death warrants of the farmers and that, none of my brothers who live in India, will sign on these death warrants of the farmers.

You people did not agree to our counsel and it was our right, the entire Opposition wanted and demanded that our fundamental right of division be allowed and that voting be carried out here.

At that time also, yours, that is the Government's intentions were not good. You wanted to pass these Bills in a deceitful manner as you wanted to benefit some rich people or some big corporate houses. You were in a great hurry and I am surprised that when the entire world was struggling with Corona pandemic, our country was also facing the same crisis, the poor were not getting even two square meals a day, our poor migrant labour were either walking back on foot or even on bicycles to their places in Bihar, Uttarakhand and U.P. and our Government could make no arrangements for them. At that time, through the back door, they brought these laws in the garb of ordinances. This, the Government should tell me first, as to what was the need for bringing these ordinances. When we could wait for these laws for 71 years, 72 years then why could we not wait for six months more? Because of this very reason, Modi Saheb, the farmers of Punjab, Haryana, Western U.P., Rajasthan and other places have no faith in your government, no trust because they know that these laws have been brought for the benefit of few capitalists. These laws are not for the benefit or the rights of the farmers. Another thing that I may tell you here is that, not at the instance of any political party, all these Kisan Unions that are sitting in agitation, are not at the call of any political leader. This is a Jan Andolan (people's movement), from every house people have put diesel in their tractors and all the Punjab farmers have contributed Rs. 500 per acre and have given to all these Kisan Union leaders. I am sorry to say this here, Manoj ji that in the 1971 Bangladesh war, we had captured 93,000 Pakistani soldiers as war prisoners, for two years we gave them food, water, bedding, lodging and today, we have disconnected electricity, internet, water supply to our farmer brothers, have put barbed wires there; as if Berlin wall is being erected like in 1960's. War prison is being constructed. It is a matter of sadness as ours is the largest democracy. These things we had seen in Afghanistan, we had seen in Iraq under Saddam Hussain, in Libya during the rule of Colonel Gaddafi or Uganda during the regime of Idi Amin but these things could never even be thought of in the country of Mahatma Gandhi even in our dreams, what is happening to our farmer brothers. Our mothers, our sisters with our children are sitting at the borders of Delhi and you have turned these into concentration camps."

कल 12 पार्टियों के लीडर गाजीपुर गये, लेकिन पुलिस ने अंदर नहीं जाने दिया। \* "What kind of democracy is this? The Parliament session is on and you do not allow the Parliament leaders to go there and you call this democracy. You say trust us. I wish to ask you a question, Hon'ble Chairman Sir through you, that your Agriculture Minister has said that we will keep these laws in abeyance for one and a half years; please explain the difference to me as to what is the difference between withdrawing and keeping in abeyance?"

मैं टेक्निकली यह बात पूछता हूं कि अगर आप इन कानूनों को in abeyance रखते हो, उसका मतलब डेढ़ साल के लिए ये कानून वापस हो गए। अगर ये वापस हो गए तो क्या आप अकेले मूँछ का सवाल बनाये बैठे हो कि किसान माफी मांगेगा, तब हम मानेंगे। आप यह बात कहने को तैयार हो कि हम अपने इन कानूनों में तरमीम करने को तैयार हैं।

"That means, there are major flaws in the laws."

आपने खुद कबूल किया है कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं। अगर कमियां हैं तो वापस क्यों नहीं लेते? मैं मोदी जी को यह गुजारिश करूँगा कि मोदी साहब "You may have a grudge against the Congress party, you may have a grudge with the opposition parties, but Indian farmer are those who made you successful by voting for you, what grudge can you possibly have with these farmers."

प्रधान मंत्री जी, आज मौका है, दूसरी बार आप प्रधान मंत्री बने हैं। आज स्टेट्समैन बनने का मौका है, आज आपको मौका है, एक बार फिर सरदार पटेल वाली जगह लेने का। "He was also a son of Gujarat, Vallabh Bhai Patel whom people reverently know with the title of Sardar. Today you have the opportunity, I will come with you, come let's go to Singhu border and the farmers will hail you. You may say that I brought these laws for your benefit. However, if you do not accept these," अगर आप समझते हो कि ये आपके हक में नहीं हैं, मैं इन्हें वापस लेता हूं। इसमें आपका बड़प्पन होगा। जो दरियादिल लीडर होता है, उसका सीना भी उतना बड़ा होना चाहिए, उसको दरियादिल होना चाहिए। आप दरियादिली दिखाइये। आज आपको स्टेट्समैन बनने की जरूरत है। प्रधान मंत्री तो आप सेकेण्ड टाइम बन गये। आज सारा देश इंतजार करता है कि मोदी साहब कब आएंगे। वे तोमर साहब की बात पर यकीन नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि जिस ढंग से आप यह कानून लेकर आए हैं, जिस ढंग से आपने इस संसद में, हिन्दुस्तान को इस सबसे बड़े हाउस पर फेथ है, वहां हमारा जम्हूरी हक नहीं दिया। आपने यहां डिविजन नहीं कराया, उसका मतलब यह था कि आपको कौन सी बात की जल्दी थी।

\* Now I talk about my state, Punjab, Jha sahab, you have a statutory body, GST and you have not paid outstanding dues to the tune of 8,000 crores to us, accruing over last ten months. How can we trust you, how can we have faith in you? We have

\* English translation of the Original speech made in Punjabi.

a Rural Development Fund (RDF) and" क्योंकि जो फसल फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से पंजाब की एजेन्सी खरीदती है, क्योंकि हम अपने किसान पर टैक्स नहीं लगाते, ""levy has to be paid by the government, our share of three percent has been reduced to one percent and you say that the people of Punjab should trust you. You are treating them like enemies. I wish to say here one more thing in the House and this is not new history. Ghulam Nabi Azad sahab has very beautifully mentioned this that against the British," देवेगौड़ा जी, एग्रीकल्चर की 6-7 बड़ी मूवमेंट्स हुई, जिनको महात्मा गांधी, वल्लभभाई पटेल साहब लीड करते रहे और सभी जगहों पर ब्रिटिश को अपने पैर पीछे खींचने पड़े, ज़मींदारों की बात माननी पड़ी। तो मैं यह गुजारिश करता हूँ कि 'पगड़ी सम्भाल जट्ठा'! आज से 100 साल पहले शहीद-ए-आजम भगत सिंह के ताया और उनके पिता ने यह आन्दोलन शुरू किया था और हमारे दीपेन्द्र सिंह हुड्डा जो बैठे हैं, इनके ग्रेट ग्रेंड फादर चौधरी मातु राम जी भी इस मूवमेंट में साथ थे। उस मूवमेंट में भी तीन कानून ही आये थे, जैसे आप तीन कानून लेकर आये हैं। मूवमेंट 9 महीने चला और अंग्रेजों को भी अपने घुटने टेकने पड़े। \*As a Punjabi, as a Sikh, I condemn that whole incident, what happened. You please don't teach us "nationalism"; हर महीने पंजाब और हरियाणा का एक बच्चा नेशनल फ्लैग में लिपट कर आता है। आप हमें नेशनलिज़्म सिखायेंगे? सर, बहुत सारे लोग हिस्ट्री नहीं जानते। हमारे नौरें गुरु, गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने किसके लिए शहादत दी थी? उन्होंने कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए शहादत दी थी। कश्मीरी ब्राह्मण पंजाब में गुरु तेग बहादुर जी के पास आये और कहा कि औरंगजेब हर रोज जनेऊ उतारता है, तलवार की ताकत के बल पर वह हमें कन्वर्ट करता है, हमारे धर्म को तब्दील करता है, आप in petition हमारे साथ चलिए। जैसे कोई वकील लेकर जाता है, वे उस petition को लेकर औरंगजेब के पास आये और औरंगजेब ने इसी लाल किले से - जिसका आप जिक्र करते हैं - इसी लाल किले से यह कहा कि जो petition लेकर आया है, इसका सिर कलम कर दिया जाये। वहाँ उनकी शहादत हुई। उनकी शहादत की याद में जो शीशगंज साहिब है - 'शीश' सिर को कहते हैं - उनकी याद में शीशगंज साहिब गुरुद्वारा जो आज खड़ा है, यह शहादत हमारे हिन्दू ब्राह्मण कश्मीरियों की वजह से हुई और आप हमें खालिस्तानी कहते हैं? मेरे अपने पिता, जो फॉर्मर मिनिस्टर थे, पंजाब में 1987 में पाँच लोगों के साथ उनकी शहादत हुई। मेरे अपने बड़े भाई, जो इंडियन आर्मी के रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, he was the one who was commanding the 192 Mountain Brigade, जिसने देश के लिए यह टाइगर हिल जीता है। He was commanding 192 Mountain Brigade. आप हमें खालिस्तानी कहते हैं? आप हमें कहते हैं कि ये लोग anti-nationalists हैं? मैं on the floor of the House यह कहना चाहूँगा, I demand कि सुप्रीम कोर्ट का एक sitting Judge दो महीने में एक time bound enquiry करे और यह बताये कि वे कौन सी ताकतें हैं? क्योंकि ये जितने किसान जस्ते बंदिये हैं, इनको टाइम दिया गया था कि दिल्ली के इर्द गिर्द सभी जुलूस पुलिस के साथ 10 बजे स्टार्ट होंगे, लेकिन 8 बजे कुछ शरारती elements को यह इशारा कर दिया गया कि जो आपको दिया हुआ रूट है, उस पर चलने की जरूरत नहीं, आप इस रूट को तोड़ो, बैरिकेडिंग तोड़ो, सीधे आईटीओ पर पहुँचो।

---

\*English translation of the Original speech made in Punjabi.

आईटीओ से लाल किला तो बहुत सारे लोगों ने देखा ही नहीं था। मैं हाउस में एक और बात भी बताना चाहता हूँ कि भाई, यह लाल किला, जिसकी आप बात करते हैं, क्या यह आपको पता है कि यह मुगल राज में स्थापित हुआ है और 300 साल पहले गुरु तेग बहादुर जी की कुरबानी हुई है। उसके बाद गुरु गोबिन्द सिंह जी महाराज के दो बड़े साहिबजादे शहीद हुए। उनके दो छोटे साहिबजादों को जिन्दा दीवारों में चिन दिया गया। अगर गुरु गोबिन्द सिंह जी न होते, तो इस देश की शक्ल ही कुछ और होती। आप हमें ऐसा कह रहे हैं? किसी को गदार कह रहे हैं, किसी को anti-national कह रहे हैं? पहले सोचो। मैं गवर्नमेंट से यह गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐसा काम मत करो। हमारे दुश्मन बहुत हैं। हमारी जो फॉर्म पॉलिसीज हैं, आप पाकिस्तान को तो छोड़ ही दीजिए, सारा वर्ल्ड आपके खिलाफ है। चाइना आपके खिलाफ है, रशिया आपसे उलटा चल रहा है। आपने जाकर ट्रम्प के लिए वोट माँगा, बाइडेन आपके खिलाफ है, तो आपके साथ कौन है? अगर आपके साथ कुछ नेशनलिस्ट लोग हैं, तो आप उनको भी तोड़ना चाहते हैं, उनको भी डराना चाहते हैं, उनको भी धमकाना चाहते हैं - यह कभी नहीं चलेगा। पंजाबी और विशेषकर सिख प्यार से तो आपकी बात मान सकते हैं, लेकिन ये कौमें डर से, डरावे से, बन्दूक से, तोप से डरने वाली नहीं हैं। इन्होंने तो सारी हिस्ट्री में ही शहादत दी है, इसलिए मेरी गुजारिश है कि ये black laws वापस लीजिए, ये काले कानून वापस लीजिए। प्रधान मंत्री जी, आप कहते हैं कि मैं एक call away हूँ, पर क्या किसी के पास आपका नंबर है? किसके पास आपका नंबर है? जो मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, इनको आप साथ लेकर चलिए। हम आपके साथ चलते हैं और वहाँ पर आपके जय-जयकार के नारे लगवाएँगे, आप इन कानूनों को वापस लीजिए। आप डेढ़ साल के बाद नए कानून लाइए, इनको सेलेक्ट कमेटी में भेजिए। जितने stakeholders हैं, किसान जथेबंदियाँ हैं, किसान हैं, मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट्स हैं, उनसे पूछिए कि खेती के लिए, किसानों के लिए कौन सा सबसे बेहतरीन कानून है, कॉरपोरेट्स के लिए नहीं। हम कॉरपोरेट्स को benefit नहीं देंगे। आप किसानों के benefit के लिए कानून लाइए, हम आगे होकर आपकी मदद करेंगे। आइए, एक नए इतिहास की सृजना करें।

MR. CHAIRMAN: Bajwaji, please conclude.

SHRI PARTAP SINGH BAJWA: Just a minute, Sir. मैंने किसानों के लिए, पंजाब के किसानों के लिए एक छोटी सी कविता लिखी है, उसको पढ़ कर मैं अपनी बात समाप्त कर दूँगा।

\* "Chir dende ne pahaar, hunda jina nu junoon,  
 Rehke manjilan to dur, kithe milda hai sakun,  
 hardey ni hunde o mard diler,  
 bas hosla banake tusi kisan veeron rakhiyo,  
 asi jitange jaroor, jang jaari rakhiyo, asi jitange jaroor, jang jaari rakhiyo."  
 Jai Hind, Jai Jawaan, Jai Kisan, Wahe Guruji da khalsa, wahe Gurujhi di fateh.

---

\* English translation of the Original speech made in Punjabi.

**श्री सभापति :** धन्यवाद, प्रताप सिंह बाजवा जी। तुसीं अपनी भाषा विच बोले। Your language is our language. Now, Shri Rakesh Sinha; 15 minutes. I would request each one of the Members to kindly stick to the time. You are capable of doing it and you would be able to do it in a better manner. We have seen Shri Partap Singh Bajwa do that just now. He has adhered to the time given and has said whatever he wanted to say. That should be the way. Please, Mr. Rakesh Sinha.

**श्री राकेश सिन्हा (नाम निर्देशित) :** सभापति महोदय, आज महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर इस सदन में चर्चा हो रही है। चर्चा में सरकार का पक्ष और विपक्ष, दोनों को हम सुन रहे हैं।

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*)

महोदय, मैं एक घटना का ज़िक्र करना चाहता हूँ। मेघालय का एक गाँव, कोंगथोंग, जो बंगलादेश और भारत के बॉर्डर पर है, उसे मैंने गोद लिया। जब मैं उस गाँव में गया, तो वहाँ पर राजनीतिक गतिविधियाँ नहीं थीं, न कॉंग्रेस थी, न भारतीय जनता पार्टी थी, न नेशनल पीपल्स पार्टी थी। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि गाँव के लोगों का विचार जानने के लिए उन पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं था, राजनीतिक प्रभाव नहीं था। अभी कुछ दिन पहले मैं फिर उस गाँव में गया, गाँव के लोगों से मेरी चर्चा हुई। वे खासी भाषा बोलते हैं। मैंने पूछा कि क्या आपको पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम से चीज़ें मिलती हैं? चावल को खासी भाषा में 'खाउ' बोलते हैं। उन्होंने बोला, 'खाउ' मोदी, यानी 'मोदी का चावल' हम तक पहुँच रहा है। भारत और बंगलादेश के बॉर्डर पर स्थित उस गाँव में, जहाँ पर कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं है, जो लोग आजादी के बाद सात दशकों से भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनना चाहते थे, हिस्सा बने हुए थे, लेकिन भारतीय गणतंत्र वहाँ तक नहीं पहुँच रहा था। इसलिए नरेन्द्र मोदी जी के शासन को, नरेन्द्र मोदी जी को अगर जानना है, तो दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता से बाहर निकल कर कोंगथोंग, कालाहांडी जाना पड़ेगा और वहाँ जाकर नरेन्द्र मोदी जी क्या शर्क्षियत हैं, इसे समझना पड़ेगा। अब तक गणतंत्र के साथ 'तंत्र' हावी था, 'गण' नीचे था। मैं एक ऐसी घटना का ज़िक्र करना चाहता हूँ, जिसने पूरे देश में एक अधिष्ठान परिवर्तन कर दिया। कहा जाता है कि चावल का एक दाना पके हुए और कच्चे चावल की प्रकृति बता देता है। इस देश में सन् 1954 में पद्म अवार्ड शुरू किए गए थे। ये उस स्थिति में शुरू किए गए थे, जब संविधान सभा ने राय बहादुर और खान बहादुर के टाइटल को समाप्त कर दिया था। Fundamental Rights में अनुच्छेद 16(1) के प्रावधानों को लागू किया गया, ताकि हमारे बीच में कोई भेद-भाव नहीं हो। लेकिन सन् 1954 में हमारी सरकार ने सोचा कि जो लोग सार्वजनिक जीवन में ऐसा काम करते हैं, जिनसे समाज का हित हो, राष्ट्र का हित हो, राष्ट्र का संवर्द्धन हो, ऐसे लोगों को टाइटल नहीं, बल्कि अवॉर्ड देना चाहिए, लेकिन 1955 से लेकर 1969 तक जो हुआ, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, टिप्पणी करना अनुचित होगा, उसके कारण कॉंग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, वे 15 साल अखिल भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस के महासचिव रहे

और सोशलिस्ट नेता, श्री जे.बी. कृपलानी को 1969 में पार्लियामेंट में एक प्राइवेट मेम्बर बिल, Conferment of Decoration on Persons (Abolition) Bill लाना पड़ा। उन्होंने तर्क दिया कि आप लोगों को निजी प्रतिबद्धता, राजनीतिक प्रतिबद्धता के आधार अवॉर्ड देते हैं, जो कि इस देश का अपमान है, इस देश के नागरिकों का अपमान है। यद्यपि, बिल डिफीट हुआ, लेकिन परंपराएं चलती रहीं और निजी प्रतिबद्धता, निजी आकांक्षाओं और निजी संबंधों के आधार पर अवॉर्ड देते रहे। जब वर्ष 2014 में नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बनी, तब जो परिवर्तन हुआ, यदि वह परिवर्तन विपक्ष के दिल को नहीं छू रहा है, तो मैं मानूँगा कि वे असंवेदनशील हैं। यह वह पार्लियामेंट है, जिस पार्लियामेंट में जब प्रधान मंत्री, नेहरू जी अच्छा काम कर रहे थे, तो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, भूपेश गुप्ता जी ने नेहरू जी की प्रशंसा करनी शुरू कर दी। विपक्ष ने उनकी इतनी प्रशंसा की कि गंगाशरण सिंह जी, जो काँग्रेस के नेता थे, नेहरू जी के मित्र थे, उन्होंने कहा था कि हमारे पास विष्णु सहस्त्रनाम है, हमें दूसरे नेहरू सहस्त्रनाम की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह विपक्ष और सरकार का संबंध होता था। जहाँ सरकारें गलत करती हैं, वहाँ आप आलोचना कीजिए, हम आलोचना स्वीकार करेंगे, लेकिन जहाँ सरकारें राष्ट्र की अस्मिता को स्थापित करती हैं, गणतंत्र को resurrect करती हैं, वहाँ आप सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं! सर, यह केरल में लक्ष्मीकुट्टी जी कौन हैं? यह चुटनी देवी जी कौन हैं? यह मणिपुर से संबंधित राधे देवी जी कौन हैं? तमिलनाडु से Pappammal ji कौन हैं? यह राधे देवी जी, चुटनी देवी जी, Pappammal ji और बिहार के दिलीप कुमार सिंह, जिनकी 92 साल की आयु है, वे सन् 1954 में विदेश से शास्त्र की शिक्षा लेकर आए और जीवन भर गाँव में गरीबों की सेवा करते रहे। उन्होंने अपनी मेडिकल की उपाधियों को पैसा अर्जित करने के लिए नहीं दिया। सर, भारत का गणतंत्र, नई दिल्ली उस भागलपुर के दिलीप कुमार सिंह तक 2021 में पहुंची, लक्ष्मीकुट्टी जी के पास 2016 में पहुंची। पहले जो तंत्र, गण पर हावी था, अब गण, तंत्र पर हावी है। यह नरेन्द्र मोदी जी का वह अधिष्ठान परिवर्तन है, जिसे विपक्ष को सराहना चाहिए। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। मैं तो आपको सिर्फ चावल के दाने दे रहा हूँ। आप देखिए, महिलाएं एक ही दाना निकालकर देखती हैं कि चावल पका है या नहीं।

सर, मैं एक दूसरी बात भी कहना चाहता हूँ। इस विपक्ष पर मैं एक शब्द कहना चाहता हूँ कि इस समकालीन विपक्ष की स्थिति क्या है। Dark truth and white lies. आप उस symptom से निकलिए। अगर आप dark truth में फंसे रहेंगे और white lies बोलते रहेंगे, तो इससे जनता में आपकी विश्वसनीयता समाप्त हो रही है। आप हमें लोकतंत्र की शिक्षा दे रहे हैं। बार-बार कहा जा रहा है कि नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है, बुद्धिजीवियों को जेल के अंदर डाला जा रहा है। मैं थोड़ा सा आईना दिखा देता हूँ। मैं इमरजेंसी के बारे में बात नहीं करूँगा, वह तो हम सब जानते हैं। आजादी के बाद सन् 1958 में पहला कानून Armed Forces (Special Powers) Act बना। सन् 1969 में Unlawful Activities (Prevention) Act बना। सन् 1971 में क्या बना, यह हम सब जानते हैं। 1971 में MISA (Maintenance of Internal Security Act) बना। सन् 1980 में National Security Act बना। 1985 में TADA बना। मैं अपने पूर्व राष्ट्रपति माननीय ज्ञानी जैल सिंह जी के लिए नतमस्तक होना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी ही सरकार के Post Office (Amendment) Bill को रोक दिया, जिसमें राजीव गांधी जी की सरकार कह रही थी कि हम पोस्ट ऑफिस से गुजरने वाली हर चिट्ठी

को पढ़ने का अधिकार रखते हैं और आप हमसे कह रहे हैं! TADA के अंतर्गत 53,000 लोगों को जेल में डाला गया, जिनमें से सिर्फ 434 लोगों को सात साल बाद सज्जा मिली थी।

सर, मैं एक और घटना का जिक्र करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। यह सन् 1949 की घटना है। हम सबने "तीसरी कसम" फ़िल्म देखी होगी। मैंने तो नहीं देखी, लेकिन मैं जानता हूँ। उसके एक गीत का मुखड़ा मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था- "दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई?" यह गाना कहाँ लिखा गया? यह गाना जेल के अंदर लिखा गया था। तब राज कपूर मजरूह सुल्तानपुरी से गाना लिखवाने के लिए जेल के अंदर गए। क्या हुआ था? बम्बई के मिल मजदूरों के बीच में भाषण देते हुए मजरूह सुल्तानपुरी ने सिर्फ यही तो आलोचना की थी कि आप कॉमनवैल्थ की सदस्यता क्यों ले रहे हैं? तब जनसंघ से लेकर सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच सहमति थी कि उपनिवेशवादी शासन के अंतर्गत जब हम रहेंगे, हम कॉमनवैल्थ के सदस्य नहीं बनेंगे। मजरूह सुल्तानपुरी ने तो केवल यही कहा था- मन में ज़हर डॉलर का बसा है! उन्होंने यही तो कहा था- कॉमनवैल्थ की गुलामी करते हो! तब उनको दो साल जेल के अंदर रख दिया गया था। तभी राज कपूर उनके पास गए, क्योंकि उनके घर की हालत खराब थी। उस समय गीतकार को ढाई सौ रुपये दिए जाते थे और इसलिए उन्होंने उनसे कहा कि जाओ, एक गाना लिख दो।

सर, अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सबसे अच्छी बात यूनाइटेड नेशन कर रहा है। 150 देशों के राष्ट्राध्यक्ष कह रहे हैं कि Covid nationalism से बाहर निकलकर आप Covid globalism में चले गए। हम चाहते तो कोविड की वैक्सीन का उपयोग व्यापार के लिए कर सकते थे, डिप्लोमेसी के लिए कर सकते थे, लेकिन मानवीयता के सवाल पर नरेन्द्र मोदी जी की सरकार डिप्लोमेसी नहीं करती है, स्वार्थ नहीं करती है, बल्कि हम स्वार्थ और डिप्लोमेसी से ऊपर उठकर अपना काम करते हैं।

सर, मैं और आगे बढ़ना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि कैसे अधिष्ठान परिवर्तन हुआ है। 20 अक्टूबर, 1931 को महात्मा गांधी ने Royal Institute of International Affairs, London में एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब ब्रिटिश भारत में आए तो चीज़ों को as it is रखने की जगह they started scratching the soil and looking at the root. और क्या हुआ? They left the roots as they were and the beautiful tree perished. उन्होंने भारतीय शिक्षा के बारे में बताया था कि कैसे एक सुंदर वृक्ष को ब्रिटेन ने समाप्त कर दिया।

उसी साल, 1931 में बंगाल में Ashutosh Memorial Lecture हुआ, जिसमें कृष्ण चन्द्र भट्टाचार्य जी ने कहा था कि जब तक 'Ideas in Swaraj' 'Swaraj in Ideas' नहीं होगा, जब तक विचारों का स्वराज नहीं होगा, तब तक देश स्वतंत्र नहीं हो सकता। गुलामी किस प्रकार से विचारों और संस्कृति में आती है, उसका उन्होंने विवेचन किया था। यह भाषा के द्वारा, संस्कृति के द्वारा और विचारों के द्वारा आती है। 1931 के ये दो भाषण हैं। एक तरफ गांधी जी लंदन में बोल रहे हैं, दूसरी तरफ Ashutosh Memorial Lecture, कलकत्ता में यह कहा जा रहा है। क्या हुआ? आज़ादी मिली? हम सब जानते हैं, आप सोशल साइंस की किताबों में ढूँढ़ लीजिए, राजनीतिज्ञों का भाषण सुन लीजिए। Eurocentric politics, Eurocentric विचार हमारे समाज अध्ययन को dominate करता रहा है। हम समाज अध्ययन में, विचारों के क्षेत्र में यूरोप की गुलामी करते रहे हैं। आप प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का भाषण सुन लीजिए, उनके सारे "मन की बात" सुन लीजिए,

उनकी पार्लियामेंट की स्पीच को सुन लीजिए। उन्होंने पहली बार Eurocentrism को goodbye कहा। पूरा भाषण India-centric है, भारतीय संस्कृति के centric है। भारत के संसाधनों से जो बोद्धिकता आती है, उसे उन्होंने देश और दुनिया को बताने की कोशिश की है। क्या यह अधिष्ठान परिवर्तन नहीं है? क्या हम आजादी की दूसरी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं? जब विचारों की स्वतंत्रता के लिए भारत की 130 करोड़ जनता कदम बढ़ा रही है और प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं, मैं उस modernity की बात नहीं करूंगा, चूंकि आनन्द शर्मा जी तुरंत कहेंगे कि उनको आप संसद में लाइए, मैं उनको अभी संसद में कहां से लाऊंगा? मैं उनकी modernity की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन नरेन्द्र मोदी जी की जो आधुनिकता की परिभाषा है, उस परिभाषा में मैं बता देना चाहता हूं, de-colonisation of Indian mind, de-Europeanization of ideas, de-Europeanization of the administrative structure, इन तीनों बातों को लेकर हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। मैं उसके दो उदाहरण देना चाहता हूं। National Research Foundation का नई शिक्षा पद्धति में गठन किया गया है। वर्ष 1775 में Adam Ferguson ने...**(व्यवधान)**...

**श्री उपसभापति :** माननीय राकेश जी, आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

**श्री राकेश सिन्हा :** Adam Ferguson ने अपने शिष्य Macpherson को कहा था, "Go to India to discover, collect and translate the Indian literature" वर्ष 1775 से लेकर वर्ष 2020 तक हम यूरोप के द्वारा translated और यूरोप के द्वारा शोध की गई चीजों को पढ़ते रहें - लिखते रहें, ऐसा नहीं हो सकता है। आज पहली बार National Research Foundation में अपनी भाषाओं को, अपनी संस्कृति को अनुवाद करना, उन पर शोध करना, यह भारत की नई परम्परा बनी है। मैं सिर्फ एक चीज के साथ समाप्त करना चाहता हूं। उपसभापति महोदय, विपक्ष को एक बात समझ लेनी चाहिए। उस दिन संजय सिंह जी बोल रहे थे।

**श्री उपसभापति :** कृपया आप conclude कीजिए, आपका समय समाप्त हो गया, अब पार्टी का समय जाएगा। आप अपने दूसरे colleague का समय लेंगे, जैसा माननीय चेयरमैन ने कहा है।

**श्री राकेश सिन्हा :** कोई बात नहीं, मैं बात कर लूंगा। मैं एक मिनट में समाप्त कर दूंगा। संजय सिंह जी ने कहा, वे रिपब्लिक डे की बात कर रहे थे। 20 जनवरी, 2014 को किसने कहा था कि हम गणतंत्र दिवस को disrupt करेंगे? मैं उनके लिए कविता कहना चाहता हूं।

"मैं टूटा तो सब टूटेगा, जो कुछ भी है वह भी छूटेगा,  
मैं हूं तो आजाद वतन है, मैं भारत का संविधान हूं,  
लाल किले से बोल रहा हूं!"

कृपा करके आप ऐसी राजनीति मत कीजिए जो गणतंत्र पर सवाल हो, ऐसी राजनीति मत कीजिए, जो भारत की अस्मिता पर सवाल हो, ऐसी राजनीति मत कीजिए, जो भारत की सम्प्रभुता पर सवाल हो।

**श्री उपसभापति :** श्री आनन्द शर्मा जी।

**श्री आनन्द शर्मा :** उपसभापति महोदय...(व्यवधान)... मैंने पहले सभापति महोदय को बता दिया था।...(व्यवधान)... उनको चलाना पड़ेगा, मेरी सभापति महोदय से बात हुई थी।

**श्री उपसभापति :** माइक के बारे में क्या बात हुई थी? आनन्द जी, शायद पीछे वाला माइक ऑन है।

**श्री आनन्द शर्मा (हिमाचल प्रदेश) :** उपसभापति महोदय, मैंने पहले ही सूचित कर दिया था...(व्यवधान)... कागज यहां हैं, पीछे जगह नहीं है। मैंने तो सभापति महोदय को सूचना दे दी थी।

**श्री उपसभापति :** क्या स्थिति है? क्या अभी माइक ऑन हो सकता है?

**श्री आनन्द शर्मा :** महोदय, चेयरमैन साहब को मालूम है।

**श्री उपसभापति :** ये अभी ठीक करा रहे हैं।

**श्री प्रकाश जावडेकर:** आप पीछे चले जाइए।

**श्री आनन्द शर्मा :** मेरे कागज यहां रखे हैं।...(व्यवधान)...

**श्री राकेश सिन्हा :** आनन्द जी, आप यहां आ जाइए।

**श्री उपसभापति :** राकेश जी, यह सही नहीं है।...(व्यवधान)...

**श्री आनन्द शर्मा :** मैं बोल कर गया था, मेरे कागज यहां हैं। चेयरमैन साहब को बताने के बाद भी ठीक न हो, तो यह गलत है।

**श्री प्रकाश जावडेकर :** आपका माइक वहां है।

**श्री आनन्द शर्मा :** मैंने चेयरमैन साहब को सूचित किया था, उनके पास सूचना है। मेरे कागज यहां हैं, किताब यहां है।...(व्यवधान)... मैंने सूचना दी है, आपको क्या आपत्ति है?

**श्री उपसभापति :** प्लीज, आनन्द जी को बोलने दें।

**श्री आनन्द शर्मा :** महोदय, व्यवस्था की बात है, समय अब से शुरू कीजिए।

**श्री उपसभापति :** ठीक है, अब से आपका समय शुरू करते हैं।

**श्री आनन्द शर्मा** (हिमाचल प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो प्रस्ताव लाया गया है, मैं उस पर अपने विचार व्यक्त करता हूं। यह अभिभाषण सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का विस्तार से उल्लेख करता है। इसमें बहुत बड़े-बड़े दावे किए गए हैं, जिन पर प्रश्न चिह्न लगता है, इसलिए पृष्ठभूमि व परिप्रेक्ष्य की चर्चा आवश्यक है। यह जो कोरोना महामारी का संकट है, यह विश्व में 102 साल के बाद आया है। यह पूरी दुनिया के लिए एक अभूतपूर्व संकट है। इससे भारत भी प्रभावित हुआ और दुनिया का हर देश प्रभावित हुआ। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि भारत ने एक राष्ट्र के रूप में इस चुनौती का सामना किया। इसमें चाहे केन्द्र की सरकार हो या राज्यों की सरकारें हों अथवा राज्यों के शासन और प्रशासन हों, सभी ने मिलकर इसका सामना किया है। इस चुनौती को किसी एक दल या किसी एक सरकार ने नहीं, बल्कि पूरे हिन्दुस्तान ने स्वीकारा था। देश जब एक तरफ इस महामारी से जूझ रहा था, तब देश में एक दूसरा बड़ा आर्थिक संकट आया और इस महामारी में वह और गहरा हो गया।

महोदय, इस कोविड से पहले हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, GDP टूट रही थी, कारोबार बंद हो रहे थे, लेकिन कोविड आने से लॉकडाउन के बाद जो हालात बने हैं, वे हालात देश को मालूम हैं। ऐसे समय में जिन लोगों के रोजगार चले गए, जिनकी दिहाड़ी चली गई, जिनकी आमदनी चली गई, उनके परिवार तबाह हो गए और उनके व्यवसाय हमेशा के लिए बंद हो गए। ऐसी परिस्थितियों में किसानों को अपने न्याय और अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए मजबूर किया गया। यह जो परिस्थिति बनी है, इसकी जिम्मेदार हिन्दुस्तान की सरकार है।

महोदय, मैं आगे बढ़ने से पहले उन 194 किसानों को अपनी ओर से, अपने दल की ओर से और तमाम लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि पेश करना चाहता हूं, जिन्होंने इस संघर्ष के दौरान अपने प्राण दिए हैं। इसके साथ ही मैं भारत के डॉक्टर्स को और कोरोना वॉरियर्स को भी श्रद्धांजलि देता हूं। हमारी सहानुभूति दिल्ली पुलिस के उन ऑफिसर्स और कर्मचारियों के साथ भी है, जो 26 जनवरी को जख्मी हुए हैं। जैसे कि बाजवा साहब ने कहा था कि यह घटना कैसे हुई और लोग कैसे जख्मी हुए, इसकी जांच होनी चाहिए। किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि जो लोग अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, उन पर किसी तरह का हमला हो या उनको चोट पहुंचाई जाए। लाल किले की घटना से पूरा देश आहत हुआ है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जहां तक प्रस्ताव की बात है, तो यह अभिभाषण ही नीरस है। यह सरकार का एक निराशाजनक प्रशंसा पत्र है। इसमें सरकार के विवादित कानूनों, फार्म लॉज, कृषि कानूनों का अनावश्यक उल्लेख दुर्भाग्यपूर्ण है। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति जी वही पढ़ते हैं, जो उनको पढ़ने के लिए सरकार देती है। देश में एक तरफ संघर्ष चल रहा है, आंदोलन चल रहा है और अभिभाषण में उसकी तारीफ हो रही है। इससे बढ़कर दुख की बात नहीं हो सकती। इस अभिभाषण के अंदर बड़े दावे किए हैं कि दुनिया के अंदर हमारा कितना दर्जा है, हमारी आवाज कितनी है। मैं कहता हूं कि इस बड़े देश की आवाज होनी चाहिए, लेकिन इसमें भारत की विदेश नीति की कोई चर्चा नहीं है। आप वैशिक नेता हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में पड़ोस तक का कोई जिक्र नहीं है। आज हम अलग-थलग पड़ गए हैं। यह बेहतर होता, अगर इस पर भी ईमानदारी से चर्चा होती, लेकिन इसकी कोई चर्चा

नहीं हुई है। महामारी की उपलब्धि तो बता दी, लेकिन लाखों की संख्या में प्रवासी मज़दूर, माइग्रेंट लेबरर्स, वर्कर्स लॉकडाउन के बाद अचानक परेशान हो गए। वे लोग पैदल चलने पर मजबूर हो गए, क्योंकि रेलगाड़ी नहीं चल रही थी और बसें भी नहीं चल रही थीं। ऐसे समय में सैकड़ों लोग मर गए। वह हृदय विदारक दृश्य था, जिसमें रेलवे स्टेशन पर एक छोटा बच्चा अपनी मरी हुई मां का कम्बल उतारता है। देश की रेलगाड़ियां कहां चली गई थीं, उनके बारे में कोई ज़िक्र नहीं है। यह संवेदनहीनता की बात है और मैं इसकी निंदा भी करता हूं। यह कहना चाहिए था कि हमें दर्द है, हमें तकलीफ है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि महामारी अचानक आई थी और उसके लिए दुनिया का कोई भी देश तैयार नहीं था। मैं इस पर न राजनीति करता हूं, न ही आरोप-प्रत्यारोप लगाता हूं।

माननीय उपसभापति महोदय, प्रजातंत्र में एक मत हो, एक विचार हो, यह न संभव है, न स्वीकार्य है। भारत की परंपरा चर्चा और चिंतन की रही है, वाद-विवाद और संवाद की रही है। सरकार के हर निर्णय और नीति को जनता स्वीकार करे और भारत का विपक्ष अनुमोदन करे - यह न अनिवार्य है, न स्वीकार्य है, न संभव है और न कभी होगा। अगर ऐसा होगा, तो फिर हम प्रजातंत्र नहीं रहेंगे। जनता का हक है कि वह अन्याय और जन-विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाए।

उपसभापति महोदय, आप सब स्वयं इन विषयों से जुड़े घटनाक्रमों से पूरी तरह वाकिफ हैं। जनता की आवाज़ को सुनना सरकार का दायित्व है। आज विरोध प्रदर्शन को आप अपराध करार देते हैं। शासन की शक्ति से, पुलिस की शक्ति से जनता की आवाज़ को दबाना उचित नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि ताकत का इस्तेमाल तब होता है, लाठी, बंदूक का इस्तेमाल तब होता है, जब सरकार को, हुकूमत को चुनौती दी जाती है। जब उनसे आग्रह किया जाता है, उनके निर्णय के खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है, तब दमन नहीं होता और जब दमन होता है, तो हिंदुस्तान के लोग खड़े होते हैं। उस दिन गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा था और बहुत साथियों ने भी कहा था, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं। यह बात पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि किसानों के कितने सत्याग्रह हुए हैं। माननीय उपसभापति महोदय, कुछ लोग कहते हैं, वह अलग विषय था। आज हम यह नहीं कह रहे हैं कि नरेन्द्र मोदी जी ने किसानों को नील की खेती करने के लिए कह दिया। जब किसानों पर अत्याचार होता है, किसान खड़ा होता है, तो उसके साथ देश खड़ा होता है। यह भूलना नहीं चाहिए। आज जब आजाद हिन्दुस्तान में आपकी सरकार है, आप इनकी बातों को सुनिए। भारत सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। हमें गर्व है। यह कैसे बना? इस राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, सरदार पटेल जी ने किया, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी ने किया और इसकी बहुत लंबी सूची है। यह इस देश की पहचान है, इसलिए लोग हमारा सम्मान करते हैं। वर्ष 1950 में हम बड़ी फौजी शक्ति नहीं थे, हम बड़ी आर्थिक शक्ति नहीं थे, फिर भी भारत का सम्मान था। भारत की सोच सबको अपनाने की है। हमारा चिंतन, हमारा दर्शन, इसकी चर्चा दो शब्दों से नहीं होगी। "वसुधैव कुटुम्बकम्" की भावना को ग्रहण कीजिए। आज हमारे प्रजातंत्र ने दुनिया में कैसी पहचान बना ली है? We have become internet shutdown capital of the world. हमारा प्रथम नंबर है। किसी और का हो, तो समझ में आता है।

माननीय उपसभापति महोदय, बेहतर होगा कि सरकार जागे। यह सदन अवसर दे रहा है, संसद का सत्र स्थिति सुधारने का मौका दे रहा है। एक जिक्र economy के बारे में भी आया। बजट पर चर्चा होगी, मैं उस पर ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उसके लिए सरकार ने जो दावा किया, वह सही नहीं है। वित्त मंत्री जी ने तो कह दिया और यह सितम्बर महीने का बयान है, उन्होंने कहा कि 28 लाख रुपये stimulus में दे दिए। ...**(व्यवधान)**... वास्तविकता क्या है? भारत ने डेढ़ लाख करोड़ रुपये दिए हैं, जो लोगों के पास गए हैं, जो भारत की जी.डी.पी. का लगभग 0.073 प्रतिशत है।

11.00 A.M.

आप तो ऐसा बताते हैं कि आपने वह कर दिया, जो दुनिया के दूसरे देशों ने नहीं किया। यूके ने 285 बिलियन पाउंड दिए। उसने लोगों को पैसा दिया, wage support दिया, वेतन भत्ता दिया, जो वहां की जीडीपी का 13.7 प्रतिशत है। जर्मनी ने 130 बिलियन यूरो दिया, जो कि जीडीपी का 4 प्रतिशत है। अमरीका की तो बात ही छोड़ दें। हमारी जो पांच ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने की बात है, जो कि अब 2030 तक तो बनती नहीं दिखाई देती है, क्योंकि 2022 में हम वहां पहुंचेंगे, जहां हम 2019 में थे। उन्होंने पांच ट्रिलियन डॉलर से ऊपर दे दिया। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि उन दावों को मत करें, जो सही नहीं हैं। हिन्दुस्तान का पिछले साल का बजट 30 लाख करोड़, था और वित्त मंत्री जी कहती हैं कि हमने 28 लाख करोड़ रुपये stimulus में दे दिए! यह किसको दिया, यह कहां गया? मैं जानना चाहता हूं कि फिर देश कैसे चला? मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रश्न कर रहा हूं। जब तक लोगों के हाथ में पैसा नहीं जाएगा, तब तक स्थिति नहीं सुधरेगी। यह डिमांड का झगड़ा नहीं है, उत्पादन की बात नहीं है, लेकिन यह consumption की बात है। जो कारोबार बनाएंगे, जो उद्योग बनाएंगा, जब पैसा ही नहीं होगा, तो उसको कौन खरीदेगा। हमारे कई क्षेत्र पूरी तरह टूट गए हैं। सरकार यह कहना बंद करे कि V-shape recovery है। Recovery है, पर K-shape है। हमारी इकोनॉमी के कई ऐसे सेक्टर हैं, जो बिल्कुल दबे हुए हैं, उनको समय लगेगा, यह समझना जरूरी है।

महोदय, जहां हमने महामारी की बात की और हमने स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट दी थी, कुछ साथियों ने उसका हवाला दिया। मेरी ऐसी सोच है कि राष्ट्र के सामने जो परिस्थितियां होती हैं, उनको राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखा जाता है। संसद की समिति जब अपना काम करती है - मैं इसको एक अध्यक्ष के रूप में जानता हूं कि वह कार्य दलगत राजनीति से ऊपर की सोच से होता है, bipartisan सोच होती है। इसलिए यह कहना जरूरी था कि देश की कुछ उपलब्धियां रही हैं और वे उपलब्धियां क्या हैं। 1 अप्रैल तक हमारी 120 laboratories थीं, आज हमारी laboratories 2,229 हो गई हैं। यह देश के लोगों की उपलब्धि है, जिसकी हम सराहना करते हैं। इसमें सभी लोग शामिल हैं। पूरा देश एक होकर मुकाबला करता है, इसमें एक व्यक्ति, एक सरकार, एक दल नहीं है। यह बात मैं बड़े स्पष्ट रूप में कहना चाहता हूं। आज ICU beds बढ़े हैं, जो कि 1 लाख 75 हजार से बढ़कर 15 लाख हो गए हैं। पूरे देश ने, हर राज्य ने अपना-अपना काम किया है। सबकी सराहना करना राष्ट्रपति जी का कर्तव्य बनता है।

महोदय, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं कि इस सदन के अंदर "जय जवान, जय किसान" की बात की गई। एक माननीय सदस्य ने प्रधान मंत्री जी ने जो कहा, उसको दोहराया कि 'जय विज्ञान'। यह बहुत अच्छी बात है। वैक्सीन्स आ गई हैं, यह उपलब्धि है। यह वैक्सीन लोगों को लगें। अभी जो टीकाकरण हो रहा है, मैंने उसको कैलक्युलेट किया। यह जो 130 करोड़ लोगों को लगाना है, इसे सात साल लगेंगे। सरकार इस पर गौर करे। सिर्फ कह देने से नहीं होगा। यह जो विज्ञान की बात है, यह विज्ञान आज नहीं आया। यह विज्ञान 1950-51 से शुरू हो गया था। इन संस्थाओं को बनने में दशकों लगे हैं। पहली आईआईटी खड़गपुर में 1951 में बन गई थी। Indian Institute of Science 1950 के दशक में बन गया था। Department of Atomic Energy 1954 में बन गया था। Department of Space 1950 के दशक में बन गया था। उस समय प्रधान मंत्री कौन थे? उनका नाम अच्छा नहीं लगता, उनकी सोच अच्छी नहीं लगती! अगर विज्ञान की बात होती है और इस देश को अगर scientific temperament दिया, तो वह प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। जो Space Research Centre, Trombay में है, वह कब बना, वह 1957 में बना। आर्यभट्ट कब गया, वह 1975 में गया। जब पहला satellite छोड़ा गया, उस समय कौन प्रधान मंत्री थीं? उस समय इंदिरा गांधी जी प्रधान मंत्री थीं। पहला परमाणु विस्फोट कब हुआ, यह 1974 में पोखरण में हुआ। आजाद देश में निरंतरता होती है, सरकारें आती हैं, जाती हैं, लेकिन देश काम करता रहता है, देश की संस्थाएं काम करती रहती हैं। इन उपलब्धियों पर पूरे भारत को गर्व है, परन्तु कोई यह कहे कि हमसे पहले नहीं हुआ, यह उचित नहीं है। मुझे सदन के अंदर यह सुनकर हैरत हुई कि पहले सिर्फ थ्री नॉट थ्री की बंदूकें चलती थीं, तोप नहीं थी, फलां नहीं था। बंगलादेश को याद करो, अगर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी जीत किसी फौज की हुई, तो वह हिन्दुस्तान की फौज की हुई और एक लाख पाकिस्तानियों ने आत्मसमर्पण किया। आज आप इस तरह की बातें करते हैं! कहने को तो बहुत बातें हैं, लेकिन इस सदन के अंदर यह कहना अच्छा नहीं है कि हम बड़े हैं और आप बड़े नहीं हैं। आज आपको देश ने जनादेश दिया है, इसलिए आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप उस काम को आगे बढ़ाएंगे, आप उस काम को और तेज़ी से आगे लेकर जाएंगे-उसमें हमारा भी समर्थन रहेगा, हमारा सहयोग भी रहेगा।

माननीय उपसभापति महोदय, यही बात वैक्सीन के संबंध में है। अगर आप देखेंगे, तो ये वैक्सीन्स की संस्थाएं 1960 के दशक में बनी थीं और आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा vaccine manufacturer बना है। अब मैं आखिर में जो मेरे पास समय बचा है, उसमें कुछ बातें और कहना चाहता हूं। आप इन कृषि के कानूनों को क्यों लेकर आए? आप इनको Ordinance के माध्यम से क्यों लाए? भारत का संविधान क्या कहता है, Article 123 कहता है कि Ordinance can be brought on the satisfaction of the President that circumstances exist rendering it necessary for him to take immediate action. यह ऑर्डिनेंस महामारी में, लॉकडाउन में आया। इसको कैसे आप कह सकते हैं कि संवैधानिक बात हुई है? पार्लियामेंट द्वारा जांच-परख न हो, स्टैंडिंग कमेटी में न जाए, सेलेक्ट कमेटी में न जाए, किसी से बात नहीं की, राज्यों से बात नहीं की, आम सहमति नहीं बनी, फिर आप कहते हैं कि आंदोलन क्यों हो रहा है! हम लोग क्यों विरोध करते हैं! इस सदन ने देखा कि यह कैसे पास हुआ? माननीय उपसभापति महोदय, मैं अपने ये शब्द बोलते हुए क्षमा चाहता हूं। हर नियम का उल्लंघन हुआ है। वह भारत की संसद के

लिए \* था जिस तरीके से हम अलग-अलग जगह पर बिखरे हुए बैठे हैं। महामारी में ऑर्डिनेंस लाओ और इस तरीके से पास करो, किसी की आवाज़ न सुनो, यह प्रजातंत्र नहीं है। मैं आज आपसे फिर कहता हूं, हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि कृपा करके आत्मचिंतन करिए, इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाइए। इन कानूनों को वापस करिए। लोगों की बातों को सुनिए और ये वापस होंगे। यह देश देखेगा। ...**(व्यवधान)**..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please.

**श्री आनन्द शर्मा :** सर, वर्तमान परिस्थिति जो तनाव और टकराव की है, उसकी जिम्मेवार सरकार की हठधर्मी है। कानून परम्पराओं और नियमों के सम्मान से बनते हैं। माननीय उपसभापति महोदय, जो कानून बने हैं, उनकी Constitutionality itself is in question. उनकी संवैधानिक वैधता क्या है? संवैधानिक विषयों पर भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने फैसले सुनाये हैं। यह राज्यों की सूची में है, केन्द्र की सूची में कृषि नहीं है, कृषि Concurrent List में भी नहीं है। अभी petitions Supreme Court में लम्बित हैं। महोदय, यह चिंता की बात है। इसके बारे में सदन सोचे। इसी सदन में नेता सदन, श्री अरुण जेटली जी थे, जो कानून जानते थे। वे एक बिल Judges की appointment का लेकर आए थे। उस पर सदन में व्यापक चर्चा हुई कि collegium से हटकर सरकार के पास आए, वह बात नहीं बनी। आज संवैधानिक मामले माननीय सर्वोच्च न्यायालय लम्बित रखता है, pending रखता है। यह चिंता का विषय है। संसद सर्वोच्च है, when constitutional matters demand urgent hearing and decision, long delays and kicking of the bucket down the road by the Judiciary creates conflict, creates tension and creates distress. I say and appeal from this floor that whatever is constitutional, the constitutionality of the laws, whether the Citizenship (Amendment) Bill or the farm laws, must be decided immediately. Parliament must take notice of this.

महोदय, मैं आखिर में कहूं कि किसान के..**(व्यवधान)**.. नाराज़ नहीं, आवाज़ बुलंद है। किसान के संघर्ष पर माननीय सरकार से मेरा आग्रह है कि उसको बदनाम न करे।

महोदय, 15 नवंबर से 26 जनवरी तक आंदोलन शांतिपूर्ण था। उसके बाद दिल्ली में 2 लाख ट्रैक्टर्स आए, तीन रुट्स दिए गए, जिन पर वे चले। पुलिस की एफआईआर कहती है - 25-30 ट्रैक्टर्स, जिसका बाजवा जी ने जिक्र किया, क्या केवल 25-30 ट्रैक्टर्स पहले चले गए? इसकी सुप्रीम कोर्ट के sitting Judge के माध्यम से जाँच हो। यह कैसे हुआ? जो 1 लाख, 99 हज़ार, 970 ट्रैक्टर्स आए और चले गए, उनका कोई जिक्र नहीं! पूरे किसान समुदाय को बदनाम कर दिया। हमने भी इसको देखा है। ये बताएं कि 2 लाख में से कितने ट्रैक्टर्स गए हैं, इनको कौन लेकर गया, इनको किसने रास्ते बताए? यह गलत हुआ है। इसकी पूरे किसानों ने निन्दा की है, हमने निन्दा की है। जब नेता प्रतिपक्ष बोलें, तो हम सब मिलकर एक आवाज़ दें - निन्दा करते हैं, जो लाल किले पर हुआ। वहाँ तिरंगा हमारा है, पूरे देश का है, किसी को अधिकार नहीं है। आज तिरंगे पर आँच आएगी, तो पूरा देश एकजुट होकर खड़ा होगा। राष्ट्रवाद को यह न बनाएं कि जो आपके सुर

\*Expunged as ordered by the Chair.

मैं सुर मिलाता है, वह देशभक्त है और हम सब लोग देशद्रोही हो जाते हैं, क्योंकि हम आपको चुनौती देते हैं, आपकी नीतियों का विरोध करते हैं, यह मैं आपको समझाना चाहता हूं।

महोदय, जैसा कि मैंने कहा गणतंत्र में आंदोलन का अधिकार संविधान ने दिया है। मैं केवल एक चीज़ कहूंगा कि संविधान पीठ ने 1973 में हिम्मत लाल शाह के केस में एक फैसला किया था कि आंदोलन में, प्रदर्शन में सरकार न बाधा डाल सकती है, न इस अधिकार से वंचित कर सकती है। यह मौलिक अधिकार है, Fundamental Right है। आर्टिकल 19, Freedom of Expression की, अभिव्यक्ति की आजादी की बात करता है, आर्टिकल 13, नागरिकों की रक्षा करता है state action से, protects citizens against the state action. आर्टिकल 21, जीवन की रक्षा करता है, protects life and personal liberty. मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन अधिकारों को justiciable बनाया गया है, ताकि न्यायपालिका यह निश्चित करे, नागरिकों को यह आश्वस्त करे कि उनके ये अधिकार महफूज़ हैं, सुरक्षित हैं।

महोदय, Constituent Assembly की Fundamental Rights की एक कमेटी थी। उसकी अध्यक्षता कौन करते थे, उसके चेयरमैन कौन थे - सरदार वल्लभभाई पटेल। उन्होंने 24 अप्रैल, 1947 को Constituent Assembly के अध्यक्ष डा. राजेन्द्र प्रसाद को एक पत्र लिखा था। उन्होंने इसमें यह लिखा - उनके शब्दों में, 'We attach great importance to make these rights justiciable.' मैं पूरा पत्र नहीं पढ़ रहा हूं, इसमें समय लगेगा, लेकिन उसी से आर्टिकल 32 का जन्म हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी नागरिक को अपने मौलिक अधिकार के लिए जाने का अधिकार है। आप माननीय वल्लभभाई पटेल जी को मानते हैं, पूरा देश मानता है, सरदार सरोवर बांध के पास बहुत बड़ी मूर्ति लगाई है, अतः कृपा करके उनके आदर्शों का पालन कीजिए। आप वे कंटीले तार हटा दें, वे trenches, जो खोदी गई हैं, उनको बंद कीजिए, barriers हटाइए, यह आजाद हिंदुस्तान है। आजाद हिंदुस्तान का अन्नदाता आया है, उसमें यह आंदोलन करना बंद करें, उसका सम्मान करें। मैं फिर आपसे अपील कर रहा हूं कि इनके बेटे, इनके भाई शहीद होते हैं। हम उसी इलाके से आते हैं, जहाँ से सबसे ज्यादा लोग फौज में जाते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि झागड़े को बंद करें और इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाएँ। संसद में अगले सत्र में सबसे बातचीत करके आप बिल लाइए, कमिटी को भेजिए, वही सबसे बात करने का अवसर देगा।

मान्यवर, मैं अपनी बात खत्म करने से पहले सिर्फ एक चीज़ कहूंगा। मेरा आग्रह है कि प्रधान मंत्री जी, जो आप देश हित में करेंगे, हम आपका विरोध नहीं करेंगे, पर प्रजातंत्र में हम गलत निर्णय को चुनौती जरूर देंगे। बेहतर यह होता है कि जो भी राज में हो, उसके पास जो भी सुझाव देने वाले हों, उन्हें सारी बात बतानी चाहिए कि देश में ये परिस्थितियाँ हैं। अंत में मैं यही कहूंगा कि आप अपने पास सच्ची बात बताने वाले रखिए, चाहे वे आलोचक भी हों, निंदक भी हों, उनको नज़दीक रखिए। अगर उनकी जगह चुगलखोर, चापलूस और चाटुकार ले लेंगे, तो वहाँ बड़ा नुकसान होता है। मैं कबीर के दोहे से आग्रह करता हूं कि

"निंदक नियरे राखिए, आँगन कुटी छवाय,  
बिन पानी, साबुन बिना, निर्मल करे सुभाय।"

कृपा करके बात को सुनें, आलोचना को भी सुनें और अगर विरोध है, तो उसको प्रजातांत्रिक तरीके से देखें, जनता की आवाज को सुनें। यही मौका है, इस बात को आगे बढ़ने से रोकें। आज

जो यहाँ होता है, वह पूरी दुनिया देखती है और जो हमारे पड़ोस के देश में होता है, वह भी हम देखते हैं, चाहे वह रूस में हो, चाहे म्यांमार में। हिन्दुस्तान के गाँधी के देश की, गौतम बुद्ध के देश की छवि वही होनी चाहिए, एक हिंसक देश की, एक दमनकारी शासन की नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद।

**श्री उपसभापति :** धन्यवाद माननीय आनन्द जी। श्री शमशेर सिंह मन्हास। आपके पास 15 मिनट का समय है।

**श्री शमशेर सिंह मन्हास (जम्मू-कश्मीर):** आदरणीय उपसभापति महोदय, आपने माननीय राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में मुझे बोलने का अवसर दिया, सर्वप्रथम इसके लिए आप मेरा धन्यवाद स्वीकार करें। यह इक्कीसवीं सदी के भारत का सौभाग्य है कि देश को ऐसा नेतृत्व मिला है, जो मानता है,

*"सर्वं भवन्तु सुखिनः सर्वं सन्तु निरामयाः।  
सर्वं भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुखं भाग्भवेत्॥"*

देश ने पहली बार ऐसी सरकार देखी है, जो कहती है कि हर सिर को पक्की छत मिले, हर बसावट को पक्की सड़क हो, सबको साफ पीने का पानी मिले सबको गैस मिले, सबको शौचालय मिले, सबको आरोग्य मिले, सबको पोषण मिले, आदि-आदि; क्षेत्र, संप्रदाय, जाति, ऊँच-नीच के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो; हर योजना एक निश्चित लक्ष्य के साथ एक निश्चित time frame में पूरी हो। इनमें से ज्यादातर लक्ष्य हासिल हो चुके हैं और कुछ हासिल होने के करीब हैं। शुरुआती 5 साल में जो कुछ हुआ, वह एक तरह से विकास की गाड़ी सरपट दौड़ाने के लिए रास्ता बनाने की तरह था, जिसमें काफी हद तक कामयाबी मिल चुकी थी। बीच में वैशिक महामारी, कोरोना ने speed breaker का काम किया, लेकिन अब हम दोगुनी स्पीड से दौड़ने के लिए तैयार हैं। देश का नेतृत्व भी ऐसे हाथों में है, जो खुद हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगा। अब हमारी 'आत्मनिर्भर भारत' की यात्रा शुरू हो। इस 'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण में सबकी भूमिका तय है। सरकार हर क्षेत्र को उसकी क्षमता, दक्षता और कुशलता के अनुरूप इस भूमिका के निर्वहन के लिए तैयार कर रही है और प्रोत्साहित कर रही है। दुनिया का इतिहास गवाह है कि जब भी कोई देश दुनिया के स्थापित मठाधीशों की बराबरी में आने की या उनसे आगे निकलने की कोशिश करता है, तो साजिशें शुरू होती हैं। दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में ऐसे-ऐसे घड़यंत्र होते रहे हैं, जो आगे बढ़ते हुए देश की रफ़तार को रोकने की कोशिश करते रहे हैं। समस्याओं का जाल लगातार बुना जाता रहा है। फर्जी, काल्पनिक और गैर-ज़रूरी मुद्दे खड़े करके, देश के अलग-अलग क्षेत्रों में, सूबों में असंतोष उत्पन्न करने की हमेशा कोशिश होती रही है। मौजूदा परिदृश्य में भी मैं उसी तरह की साजिशें भारत के खिलाफ होते हुए देख रहा हूं। मुझे क्षमा करें, मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि हमारे देश में एक जमात उन साजिशों में सहयोग कर रही है।

साथियो, मैं आप सबसे एक बात अवश्य कहना चाहूँगा। मैं जिस प्रदेश से आता हूं, उस प्रदेश की थोड़ी सी भूमिका आप सबके समक्ष रखने का प्रयास करूँगा। 1947 में, जब भारत देश आज्ञाद हुआ था, उस समय हमारा जम्मू-कश्मीर प्रदेश गुलाम नहीं था। वहां महाराजा हरि सिंह जी की हुकूमत थी, जो ठीक-ठाक चल रही थी। किन्तु पहले प्रधान मंत्री, जवाहरलाल नेहरू जी ने किसी प्रकार से शेख अब्दुल्ला के साथ हाथ मिला लिया और वहां धारा 370 लगा दी। इस प्रकार से उसे भारत देश से अलग-थलग दिखाने का प्रयास किया गया। अगर उन दोनों में दोस्ती न होती, तो उसी समय यह प्रदेश भारत में मिल गया होता। सरदार वल्लभभाई पटेल जी ने जिस समय 563 रियासतें एक ही झटके में इस देश के साथ मिला दी थीं, उसी समय यह प्रदेश भी भारत में मिल सकता था, लेकिन धारा 370 की वजह से पाकिस्तान द्वारा और बाकी के देशों के द्वारा हमारे खिलाफ़ जिस प्रकार के षड्यंत्र रचे गए, वे हम सबने देखे हैं।

महोदय, अभी हमारे माननीय आनन्द शर्मा जी बोल रहे थे कि हम तिरंगे का अपमान सहन नहीं कर सकते और देश की बेइज्जती सहन नहीं कर सकते। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप जानते हैं कि 1953 से पहले जम्मू-कश्मीर में क्या हालात थे? वहां पर दो विधान, दो निशान और दो प्रधान हुआ करते थे। दो विधान, यानी वहां भारत का संविधान लागू नहीं था। दो निशान, यानी जम्मू-कश्मीर में तिरंगे की एंट्री नहीं थी और दो प्रधान, यानी वहां का प्रधान मंत्री अलग चुना जाता था। क्या आप जानते हैं कि यह रचना किसने रची थी? उस समय के प्रधान मंत्री क्या इस चीज़ को समाप्त नहीं कर सकते थे? अगर सरदार वल्लभभाई पटेल जी 563 रियासतों को उस समय भारत से जोड़ सकते थे, तो क्या जम्मू-कश्मीर को नहीं जोड़ सकते थे? सरदार पटेल ने जम्मू-कश्मीर को भारत से जोड़ने का भरपूर प्रयास किया, किन्तु नेहरू जी के द्वारा उन्हें यह कहा गया कि आप जम्मू-कश्मीर को हाथ मत लगाइए, बाकी सब मैं देख लूँगा। उनके इस प्रकार के निर्णय के कारण जम्मू-कश्मीर में ऐसे हालात बन गए कि पूरे प्रदेश में आन्दोलन होने लगा। पूज्य पंडित श्री प्रेमनाथ डोगरा जी ने उस आन्दोलन का नेतृत्व किया, जिनकी बदौलत हमारा प्रदेश आगे बढ़ा और एकत्रित हुआ। उस प्रदेश को 1953 तक लगातार लड़ाई लड़नी पड़ी। उस आन्दोलन में हमारे प्रदेश के सैकड़ों नौजवान शहीद हुए, लाखों लोग दिन-रात सड़कों पर रहे, उनको यातनाएं देने के लिए बर्फ की सिल्लियों पर उन्हें लिटाया जाता था। क्या आप जानते हैं कि उनको यातनाएं क्यों दी जाती थीं? उनको यातनाएं इसलिए दी जाती थीं, क्योंकि उनके एक हाथ में विधान, यानी भारत का संविधान होता था और एक हाथ में निशान, यानी तिरंगा होता था। यह निशान और विधान की लड़ाई जम्मू-कश्मीर ने आसानी से नहीं जीती है। इसके लिए वहां के लोगों ने भरपूर प्रयास किया, यातनाएं सहन कीं, शहादत दी, तब जाकर 1953 में जम्मू-कश्मीर को केवल एक चीज़ मिली। एक प्रधान, यानी भारत का प्रधान मंत्री तो हमें मिल गया, लेकिन विधान और निशान, यानी भारत का संविधान और तिरंगा तब भी हमें नहीं मिले।

महोदय, हमें विधान और निशान कब मिले? विधान और निशान हमें तब मिले, जब 5 अगस्त, 2019 को हुए संसद सत्र के दौरान धारा 370 को समाप्त करने के लिए हम यहां बैठे थे। भारतीय जनता पार्टी इसे लेकर संकल्पित थी और वह जम्मू-कश्मीर को भारत के साथ पूरी तरह विलय करने के पक्ष में थी। उन्हीं के एक मंत्री, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ काम करते थे, डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने किस प्रकार जम्मू-कश्मीर को बनाने के लिए प्रयास किये। एक बार वे जम्मू-कश्मीर गये पहली बार जाने के लिए वहां परमिट लेना पड़ता था, जिस

प्रकार दूसरे देश में जाने के लिए आपको वीजा लेना पड़ता है। जम्मू-कश्मीर आप ऐसे ही नहीं जा सकते थे। आज आप तुरंत बस में बैठेंगे, ट्रेन में बैठेंगे या जहाज में बैठेंगे और तुरंत जम्मू-कश्मीर पहुंच जाएंगे, लेकिन पहले आप जा नहीं सकते थे, पहले आपको रोका जाता था और फिर आपका परमिट बनाया जाता था। परमिट बनने के बाद आप जम्मू-कश्मीर में घूम सकते थे, अन्यथा आप जम्मू-कश्मीर में जा नहीं सकते थे। आज जिस प्रकार माता वैष्णो देवी जाने के लिए लाखों लोग दर्शनों के लिए जाते हैं, अमरनाथ की यात्रा के लिए लाखों लोग जाते हैं, कश्मीर में हम यदि कहें तो हजारों की तादाद में पर्यटक जाते हैं, वे ऐसे किस प्रकार से जा रहे हैं, वे किनकी बदौलत जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अगर उस समय आंदोलन न हुआ होता तो हम आसानी से जा नहीं सकते थे। इसलिए हमने भरपूर प्रयास करके वे हालात बनाये और बनाने के बाद दो विधान, दो निशान और दो प्रधानों को खत्म करने के उपरान्त पूरे देश में एक विधान होगा, पूरे देश में एक निशान होगा, इस तरह से तीनों चीजों को एक करने का प्रयास जिस तरह से हमने किया, वह हम सब जानते हैं। यह आपने सुना होगा, क्योंकि हर समय आलाप होता है - कश्मीर-कश्मीर। आप जम्मू-कश्मीर को जानने का प्रयास तो कीजिए कि जम्मू-कश्मीर क्या चीज है? मैं आपको बता दूं कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख यह एक रियासत होती थी और महाराजा हरि सिंह इसके हुक्मरान थे। अगर आज देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ा क्षेत्र, दो-तिहाई क्षेत्र लद्दाख का है और इसमें जो कम क्षेत्र पड़ता था, वह जम्मू का था और सबसे छोटा क्षेत्र कश्मीर का है। केवल कश्मीरियत को खुश करने के लिए वहां भेदभाव और पक्षपात की नीति हुई, लेकिन उसका कारण क्या रहा? हमेशा 1947 से लेकर आज तक जितने भी वहां के मुख्य मंत्री रहे, चाहे वे श्री शेख अब्दुल्ला रहे हों, चाहे बख्शी गुलाम मोहम्मद रहे हों, चाहे श्रीमती महबूबा मुफ्ती रही हों, चाहे मुफ्ती साहब रहे हों, चाहे सादिक साहब रहे हों और चाहे कासिम साहब रहे हों, वहां सारे के सारे कश्मीरी हुक्मरान रहे हैं। उन्होंने हमेशा हमारे जम्मू-कश्मीर के साथ भेदभाव किया और जम्मू को हमेशा इग्नोर करने का प्रयास किया, जम्मू को कुछ भी देने का प्रयास नहीं किया। किसी भी प्रकार का डेवलपमेन्ट वहां कराने का प्रयास नहीं किया। जितना पैसा केन्द्र सरकार से जाता था, जितना पैसा यहां से टैक्स का एकत्र होकर जाता था, उसमें से लगभग 80 प्रतिशत पैसा कश्मीर में लगता था। मुश्किल से दो परसेन्ट लद्दाख में लगता होगा। लगभग 78 परसेन्ट तक यह पैसा कश्मीर में डेवलपमेन्ट के लिए लगता था। इतने बड़े एरिया को इग्नोर करना, यानी लद्दाख को इग्नोर करना, जम्मू को इग्नोर करना - आप कब तक इग्नोर करते रहेंगे। अगर इसी प्रकार इग्नोर करते रहेंगे तो आप जानते हैं किस प्रकार की बातें पनपती हैं, किस प्रकार के लोग उतावले होते हैं, किस प्रकार से लोग आंदोलित होते हैं, किस प्रकार से इसे देखा जाता है। इसलिए इन सब चीजों के बारे में यदि विस्तार से चर्चा करें, विस्तार से जम्मू-कश्मीर पर विचार करें, जम्मू-कश्मीर के इतिहास को हम पढ़ने का प्रयास करें तो पता चलेगा कि जम्मू-कश्मीर में आज तक होता क्या रहा है, जम्मू-कश्मीर को अलग क्यों दिखाया गया है। जम्मू-कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र था, जिसे हम आज भी भारत मां की मुकुटमणि कहते हैं। यदि पूरे भारत में कोई सबसे बड़ा पर्यटक स्थल है तो वह जम्मू-कश्मीर में है और हम यहां जाने के लिए लालायित रहते हैं। इस प्रकार उन सब चीजों के बारे यदि विस्तार से चर्चा करें तो आज तक देखा गया है कि हमेशा जम्मू-कश्मीर इग्नोर होता रहा है। यानी 5 अगस्त, 2020 को जिस प्रकार धारा 370 को समाप्त किया गया और उसके बाद आपने देखा होगा कि सबसे पहले हमारे प्रधान मंत्री जी द्वारा यह कहा गया था कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख

को हम ज्यादा से ज्यादा पैसा मुहैया करायेंगे, उसका डेवलपमेन्ट करायेंगे, उसका विकास करायेंगे। अगर मैं आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण रखूँ, तो जम्मू में सबसे ज्यादा 28,400 करोड़ रुपये केवल इंडस्ट्री लगाने के लिए दिये गये हैं। आज तक जम्मू में एक ही इंडस्ट्री थी-एचएमटी, वह भी बन्द हो चुकी है। एक टेक्स्टाइल मिल है, जो बिरला वालों की है, वह भी छोटे रूप में शुरू की हुई है, otherwise जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में किसी प्रकार की कोई इंडस्ट्री है ही नहीं। छोटे-छोटे उद्योग हैं, जो उद्योग नहीं कहे जा सकते, जैसे घरेलू उद्योग रहते हैं। इस प्रकार अगर घरेलू उद्योगों को छोड़ कर कोई बड़ी इंडस्ट्री लगायी जाती, कोई बड़ा उद्योग लगाया जाता, कोई बड़ी बात होती, तो वहाँ के 8 लाख से ज्यादा लोग जो हैं, जो बेरोज़गार हैं, वे बेरोज़गार नहीं होते। ऐसा क्यों, इसलिए कि वहाँ इंडस्ट्री तो है नहीं, तो इंजीनियर्स कहाँ जायेंगे, जिन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है, वे कहाँ जाएँगे, बाकी क्षेत्र के लोग कहाँ जायेंगे? यह पैकेज जो दिया गया है, अगर वहाँ पर इंडस्ट्री पनपती है, तो उसके पनपने के बाद वहाँ का हमारा नौजवान वहीं स्थापित होगा, वहीं सर्विस करेगा, अन्यथा आज तक होता यह रहा है कि उनका पढ़ना-लिखना वहाँ होता रहा है और मैक्सिमम लोग माइग्रेट होकर इंडिया में आते थे। ...**(व्यवधान)**...

**श्री उपसभापति:** माननीय मन्हास जी, अब आप कन्कलूड कीजिए। आपका समय पूरा हो रहा है।

**श्री शमशेर सिंह मन्हास:** ये सारी चीजें वहाँ पर अलग से आती थीं। इस प्रकार अगर जम्मू को और अच्छा बनाया जाए, कश्मीर को और अच्छा बनाया जाए, तो हम अपना बहुत सारा जीएसटी, टैक्स वसूल कर सकते हैं और अपने जम्मू-कश्मीर को बढ़ावा दे सकते हैं। आज तक ये चीजें हमें नहीं मिलीं। केवल मात्र यह कहा गया कि कश्मीर, आप जिन्दा रहो, कोई बात नहीं, हम भारत से सारी चीजें देने को तैयार हैं। इसलिए ये सारी चीजें होती रही हैं। अगर हम आराम से ये सारी चीजें कर पाते, तो कुछ न कुछ यहाँ पर बन पाता। इसलिए जम्मू, कश्मीर और लद्दाख को ...**(व्यवधान)**...

**श्री उपसभापति:** कृपया कन्कलूड कीजिए। अब आप कन्कलूड कीजिए। आपका समय खत्म हो गया है।

**श्री शमशेर सिंह मन्हास:** सर, मैं दो मिनट में खत्म कर दूँगा।

**श्री उपसभापति:** दो मिनट नहीं, आप already अधिक समय ले रहे हैं। कृपया जल्दी खत्म कीजिए।

**श्री शमशेर सिंह मन्हास:** ये जो सारी चीजें हैं, 'आयुष्मान भारत' के अन्तर्गत हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार का वह क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अब जिस प्रकार से पैसा लगाया जा रहा है, बहुत सारे लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स वहाँ पर आ रहे हैं, ताकि जम्मू-कश्मीर का भला हो

सके, जम्मू-कश्मीर आगे बढ़ सके। आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया, समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

**श्री उपसभापति:** माननीय शमशेर सिंह मन्हास जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मल्लिकार्जुन खरगे साहब।

**श्री मल्लिकार्जुन खरगे (कर्नाटक):** धन्यवाद, उपसभापति महोदय। इस सदन में आने के बाद पहली बार मुझे ...**(व्यवधान)**...

**एक माननीय सदस्य:** इनकी मेडन स्पीच है। ...**(व्यवधान)**...

**श्री मल्लिकार्जुन खरगे:** नहीं, नहीं। मेडन को रहने दो और जैंट्स को भी रहने दो। सर, इस सदन में पहली बार आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, एक-दो मिनट अगर ज्यादा भी हो जाएँ, तो आप मुझे इजाजत देंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ।

**श्री उपसभापति:** इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसा माननीय चेयरमैन साहब ने कहा, पार्टी के समय के अनुसार होगा।

**श्री मल्लिकार्जुन खरगे:** नहीं। पार्टी का तो ठीक है, लेकिन आप सर्वोच्च हैं।

सर, आज President's Speech पर यह जो चर्चा हो रही है और सभापति महोदय ने उनका जो भाषण हमारे सामने रखा है, यह तो सरकारी भाषण है। सरकार जो कहती है, वही उसमें लिखा जाता है और पढ़ा जाता है, एक अक्षर भी इधर-उधर नहीं कर सकते। तो मैं यह कहूँगा कि सरकारी भाषण होने की वजह से सरकार की छोटी-मोटी गलतियाँ भी हमें उठाकर जनता के सामने रखना जरूरी है और मैं सदन के सामने रखना भी जरूरी समझता हूँ।

परसों जब हमारे अपोजिशन पार्टी के नेता अपनी बात रख रहे थे, उस वक्त उन्होंने यह जिक्र किया कि देश का इतिहास अन्नदाताओं के संघर्ष का साक्षी है। इसके बारे में नेता विरोधी दल पहले ही बोल चुके हैं, लेकिन मैं फिर एक बार इस बात को दोहराना चाहता हूँ। सन् 1917 में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिहार के चम्पारण में नील की खेती के लिए तीनकठिया कानून के खिलाफ महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह को कोई भूल नहीं सकता। सन् 1918 में किसानों पर लगान लगाने के कूर कानून के खिलाफ सरदार पटेल की भूमिका किसे याद नहीं है। सन् 1920 में अवध के किसानों पर रक्तरंजित जमींदारों के आक्रमण के खिलाफ कांग्रेस की दहाड़ इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। ये सारे इतिहास हैं और इस इतिहास में कांग्रेस की पूरी भागीदारी है। गांधी जी ने अपनी बात में यह कहा कि जो कानून तुम्हारे अधिकारों की रक्षा न कर सके, उसकी अवहेलना करना तुम्हारा परम कर्तव्य होता है। चूँकि आप गांधी जी को बहुत क्वोट करते हैं, खास कर मोदी जी तो अब इधर-इधर सरदार पटेल और महात्मा गांधी जी का नाम बहुत लेते हैं, चाहे उनके

ऑफिस में उनकी फोटो लगे या नहीं लगे, लेकिन वे इनको हमेशा याद करते रहते हैं, इसलिए मैं यह याद दिला रहा हूँ।

सरदार पटेल जी ने भी यह कहा कि जो किसान मूसलाधार बारिश में काम करता है, कीचड़ में खेती करता है, मरखने बैलों से काम लेता है और सर्दी-गर्मी सहता है, उसे किसी का भी डर नहीं है। इंदिरा गाँधी जी ने यह कहा कि कृषि देश की पहली प्राथमिकता है, यह गरीबी से लड़ने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा व आत्मनिर्भरता की आवश्यक कड़ी है, इसलिए हमने कृषि को आदिमंत्र की संज्ञा दी है। इस प्रकार से हमारे जितने भी महान नेता हैं, उन्होंने अपनी बात को पहले ही सामने रखा है और आज की सरकार किसानों के बारे में हमेशा कहते आई है कि हम उनकी आमदनी दोगुनी करेंगे, हम किसानों के लिए अच्छा कानून लाए हैं और हमने किसानों की जो हिफाजत की है और कर रहे हैं, वह किसी सरकार ने नहीं की - ऐसा उनका दावा है।

महोदय, मैं आपके सामने चंद बातें बताना चाहता हूँ। पहली चीज यह है कि जब मोदी जी देश के प्रधान मंत्री बने, उसके एक महीने के अंदर, यानी 12 जून, 2014 को सभी राज्यों को यह फ्रमान सुना दिया गया कि अगर कोई भी राज्य सरकार किसान को समर्थन मूल्य के ऊपर एक रुपए का भी बोनस देगी, तो उस राज्य में समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीदारी को बंद कराया जाएगा। यह मेरा नहीं है, बल्कि यह उन्होंने ही किया है। किसानों के लिए यह हमदर्दी उन्होंने दिखाई। मोदी सरकार के इस शोषणकारी फ्रमान के बाद सभी राज्य सरकारों ने अन्नदाताओं को समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस देना बंद कर दिया। किसानों के लिए यह काम आपने किया, उनकी भलाई के लिए किया।

दूसरी चीज यह है कि पूंजीपतियों के लिए किसानों की भूमि पर कब्जा करने का षड्यंत्र उन्होंने किया। राहुल गाँधी जी ने यूपीए सरकार में डा. मनमोहन सिंह से रिक्वेस्ट करके, उनको मनवा करके तथा कैबिनेट को मनवा करके जो land acquisition की cost थी, उसको दोगुना, चार गुना करवा दिया। लेकिन पूंजीपतियों का पोषण करने के लिए और किसानों का शोषण करने के लिए मोदी सरकार ने दिसंबर, 2018 में उस कानून को खत्म करने की साजिश कर ऑर्डरेंस जारी किया था। उस समय समूचे देश के किसान, एनजीओज, सभी मिलकर उठ खड़े हुए और opposition parties के सभी लोग भी खड़े हो गए। उस समय कांग्रेस पार्टी ने राहुल गाँधी जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी थी, तब जाकर इन्हें देश के अन्नदाता के सामने मजबूरन झुकना पड़ा। इसके लिए इन्हें मजबूर किया गया। इस संघर्ष के बाद ही मोदी सरकार को अध्यादेश वापस लेना पड़ा। सर, यह बहुत बड़ी जीत है, इसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है। इन्होंने सारी चीजें किसानों के खिलाफ की हैं, किसानों के फेवर की कोई बात नहीं है।

सर, मेरी दो बातें हो गई हैं, मैं तीसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि लागत पर 50 फीसदी का वादा जुमला निकला। एक जुमला बना दिया गया कि हम किसानों के लिए 1.50%, यानी one and half percent पैसा ज्यादा दे रहे हैं, उनकी इनकम को डबल कर रहे हैं। आपने यह कहा, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि छः साल में मोदी सरकार ने किसान को कभी भी लागत पर 50 परसेंट मुनाफा नहीं दिया है। अभी बहुत से सदस्यों ने इस बात का ज़िक्र किया है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि 50 परसेंट मुनाफा देना तो दूर है, मोदी सरकार ने कभी भी स्वामीनाथन आयोग के एटू+एफएल+सीटू के मुताबिक -- यानी खाद, पानी, बिजली, बीज, कीटनाशक और फैमिली लेबर, इन सभी की जो cost होती है, अगर उसे लेकर स्वामीनाथन रिपोर्ट को

implement कर देते, तब हम कह सकते थे कि मोदी जी किसानों के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के लिए लड़ रहे हैं और वे किसान की भलाई चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सर, एमएसपी के कल्याण के विषय में बहुत तकरीरें हो गई हैं। मुझे समझ में आता है कि शायद उन्होंने अपने आंकड़े खुद नहीं पढ़े होंगे। जो आंकड़े उन्हीं के डिपार्टमेंट से निकलते हैं, अगर वे उन्हें पढ़ लें, तो उन्हें मालूम पड़ेगा कि वे एमएसपी के संबंध में जनता के सामने कितना असत्य रखने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी बार-बार यह बोलने से नहीं थकते हैं कि कांग्रेस सरकार ने समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया और उनकी सरकार के आने के बाद समर्थन मूल्य जबर्दस्त बढ़ा दिया गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में फसलों का समर्थन मूल्य 219 प्रतिशत तक बढ़ाया गया था। इसके विपरीत मोदी सरकार के समय में जो मुख्य फसलें समर्थन मूल्य पर खरीदी जाती हैं, जैसे दाल और गेहूँ के समर्थन मूल्य को मात्र 40 परसेंट और 42 परसेंट बढ़ाया गया। अगर आप सुनना चाहते हैं, तो मेरे पास इसकी पूरी लिस्ट है कि आपके समय में कितना मूल्य बढ़ाया गया। मैं आपको पैडी के संबंध में बताना चाहता हूँ कि हमने यूपीए वन और यूपीए टू में कितना परसेंट दिया और आपके ज्ञाने में कितना दिया जा रहा है। मैं दो-तीन आंकड़े ही पढ़ता हूँ, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है। आपको मालूम है कि मिनिम सपोर्ट प्राइस की लिस्ट लंबी होती है। पैडी कॉमन- यूपीए वन में 10.92 और यूपीए टू में 8.9 परसेंट की बढ़ोतरी हुई और एनडीए में 4.30 परसेंट की बढ़ोतरी हुई। ग्रेड ए पैडी, यूपीए के समय में 11.50 और 8.93 और एनडीए गवर्नमेंट में 4.27 परसेंट। ज्वार, 11.58 परसेंट। यूपीए टू में 13.8 परसेंट और आपके ज्ञाने में 3.18 परसेंट। ये आपके आँकड़े हैं, मेरे नहीं हैं। एमएसपी प्रोक्योरमेंट के जितने भी आँकड़े पब्लिश हो चुके हैं, उनके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। मैं ऐसे ही बोलता जाऊँ, तो बाजरा, मेज़, रागी, तूर, मूँग, उड़द, कॉटन, इन सबके आँकड़े अगर आप देखेंगे, तो एमएसपी की बढ़त, यूपीए वन में 11.10, यूपीए टू में 12.48 और आपके ज्ञाने में 5.53 है। यह average growth rate of MSP का आँकड़ा है, जिसे आप देख सकते हैं। इसका source आप ही का Directorate of Economics and Statistics, Government of India है। यह कांग्रेस का नहीं है, यह आपका है। आप इसको पढ़ो और उसके बाद भाषण करो। आप कहते हैं, हमने यह किया, हमने वह किया, एमएसपी दिया। इसमें कहाँ है? आप ही का Directorate बता रहा है कि आप कितने परसेंटेज में बढ़े हैं- कितने रूपये में बढ़े हैं, यह नहीं, बल्कि आप कितने परसेंटेज में बढ़े हैं, यह आपको देखना होगा। झूठ बोलकर कितने दिन आप ऐसे ही बोलेंगे? कांग्रेस का नाम लेकर आप कितने दिन जिएँगे? आप कहते हैं 60 साल में आपने क्या किया, 70 साल में आपने क्या किया? हमने क्या किया, वह तो जनता के सामने है। अभी हमारे डिप्टी लीडर बता रहे थे कि हमने क्या किया और आपने क्या किया। हर एक चीज़ का क्रेडिट मत लीजिए। जो चीज़ सच है, तो आप सच बोलिए। जो असत्य है, हम उसको स्वीकार करें। आज सच्चाई यह है, लेकिन फिर भी आप बोलना नहीं छोड़ते हैं, तो यह आपकी आदत है, हम क्या कर सकते हैं?

**श्री उपसभापति :** माननीय खरगे जी, आपका समय खत्म हो गया है।

**श्री मन्त्रिकार्जुन खरगे :** मेरा समय खत्म हो गया? सर, अगर मुझे और पाँच मिनट आप दे पाएँ, तो ठीक होता।

**श्री उपसभापति :** यह पार्टी का समय है। आप खत्म करें, क्योंकि आपकी पार्टी से एक दूसरे स्पीकर भी हैं।

**श्री मन्त्रिकार्जुन खरगे :** सर, "पीएम फसल बीमा योजना" - यह मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रेजिडेंट की स्पीच में इसके बारे में बहुत कहा गया है। मैं अब "पीएम फसल बीमा योजना", पूँजीपति मुनाफा योजना के बारे में बता रहा हूँ। इसमें यह हुआ कि अमीर लोगों ने crop insurance का 99,073 करोड़ रुपये का प्रीमियम क्लैवर्ट किया और किसानों को मात्र 72,952 करोड़ रुपये दिए। अब "किसान सम्मान निधि" का चौंकाने वाला सच! इसमें क्या है? मोदी सरकार ने किसानों को हर साल 6,000 रुपये देने का वायदा किया था, लेकिन जो cost है, वह आज प्रति हेक्टेयर कम से कम 15,000 रुपये बढ़ गई है, जबकि किसान को आप मात्र 6,000 रुपये दे रहे हैं। Cost 15,000 रुपये बढ़ गई, यानी डीज़ल पर...(व्यवधान)...

**श्री प्रकाश जावडेकर:** आपने कब दिए? ...(व्यवधान)...

**श्री उपसभापति :** प्लीज़।

**श्री मन्त्रिकार्जुन खरगे :** आप सुनिए।...(व्यवधान)...

**श्री उपसभापति :** माननीय खरगे जी, आप इधर देखकर बोलिए। ... (व्यवधान)...

**श्री मन्त्रिकार्जुन खरगे :** क्या Food Security Act आपने दिया है? ... (व्यवधान)...

**श्री उपसभापति :** कृपया आपस में बात न करें। ... (व्यवधान)...

**श्री मन्त्रिकार्जुन खरगे :** क्या Right to Compulsory Education Act आपने दिया है? ... (व्यवधान) ... आप सुनिए, क्या "नरेगा" आपने दिया है? ... (व्यवधान) ... फिर भी, आप सोचते रहो। ... (व्यवधान)...

**श्री उपसभापति :** माननीय खरगे जी, आप इधर सम्बोधित कीजिए। ... (व्यवधान) ... प्लीज़, आपस में बात न करें। ... (व्यवधान)...

**श्री मन्त्रिकार्जुन खरगे :** हमने किसानों के 72,000 करोड़ रुपये माफ किए हैं। ... (व्यवधान)...

**श्री उपसभापति :** माननीय खरगे जी, आप इधर देखकर बोलें। ... (व्यवधान)...

**श्री मन्त्रिकार्जुन खरगे :** आप क्या बात कर रहे हैं! ... (व्यवधान)...

**श्री उपसभापति :** माननीय खरगे जी, आप अपनी बात पूरी करें। ...**(व्यवधान)**...

**श्री मन्त्रिकार्जुन खरगे :** सर, साँरी। ये बीच में छेड़ते हैं। ...**(व्यवधान)**...

**श्री उपसभापति :** आप बोलें, आपका समय ऑलरेडी खत्म हो चुका है। ...**(व्यवधान)**...

**श्री मन्त्रिकार्जुन खरगे :** सर, आप जरा उधर टोक दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

**श्री उपसभापति :** आप दो मिनट अधिक ले चुके हैं, आपकी पार्टी के एक दूसरे वक्ता भी हैं।

**श्री मन्त्रिकार्जुन खरगे :** सर, वर्ष 2015-16 के census के मुताबिक, इस देश में 14 करोड़ 65 लाख किसान हैं। आपकी जो 6,000 की announcement है, उसके बाद cost बहुत बढ़ गई है, जैसा अभी मैंने बताया है। महोदय, 6 करोड़ किसानों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। टोटल 14 करोड़ 65 लाख किसान हैं। इनमें 6 करोड़ लोगों को एक पैसा भी नहीं मिला, यह सच्चाई है और यह आपकी ही फिरास है। इनके तीन खेती विरोधी कानून हैं। The Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020 - इस कानून के ज़रिये मोदी सरकार ने किसानों की फसल के समर्थन मूल्य के अधिकार को समाप्त कर दिया और किसानों के न्याय पाने के अधिकार को भी छीन लिया।

**श्री उपसभापति :** कृपया conclude कीजिए।

**श्री मन्त्रिकार्जुन खरगे :** ये तीनों कानून, जो काले कानून हैं, आज उनका सभी लोग विरोध कर रहे हैं। जो किसान बॉर्डर पर बैठे हुए लोग हैं, वे इसीलिए बैठे हैं कि ये कानून उनके हित में नहीं हैं, लेकिन वहां पर आपने किसानों को रोका है। वहां कीलें लगाई, सीमेंट के ब्लॉक्स डाले, आप ये सारी चीज़ें करके, लोगों को तंग और तबाह करके, उनमें फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसमें सफल होने वाले नहीं हैं। 26 जनवरी को जो घटना हुई, वह एक कांस्पिरेसी थी।

**श्री उपसभापति :** कृपया conclude कीजिए।

**श्री मन्त्रिकार्जुन खरगे :** यह किसानों को divide करने की एक कांस्पिरेसी थी। हम उसका समर्थन नहीं करते। हमने उसकी निंदा की और सभी लोगों ने उसकी निंदा की। देश के लिए जितना प्रेम आपके पास है, उससे ज्यादा प्रेम हमारे पास है। हमारे लोगों ने कुरबानी दी, आपके पास कोई भी नहीं है।

**श्री उपसभापति :** कृपया conclude कीजिए।

**श्री मल्लिकार्जुन खरगे :** सर, मैं आखिर में इतना ही कहूँगा, क्योंकि आप...

**श्री उपसभापति :** आप ऑलरेडी अपनी पार्टी का पांच मिनट का समय अधिक ले चुके हैं।

**श्री मल्लिकार्जुन खरगे :** ठीक है, मैं अंत में एक कविता बोलकर अपनी बात समाप्त करूँगा। अभी मुझे बहुत कुछ बोलना था।...(व्यवधान)...

**श्री उपसभापति :** माननीय खरगे जी, आप चेयर को संबोधित करके बोलें।

**श्री मल्लिकार्जुन खरगे :** सर, यह मेरा नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला है। उन्होने कहा-

"जहां विरोध और विरोधियों को गदार मानने का भाव है,  
वहां लोकतंत्र समाप्त होता है और  
तानाशाही का उदय होता है।"

यह अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है। ... (व्यवधान) ... यह तानाशाही नहीं चलेगी।... (व्यवधान) ... सर, मैं एक मिनट ही लूँगा।

**श्री उपसभापति :** आप अपनी पार्टी का समय लगभग खत्म कर रहे हैं।

**श्री मल्लिकार्जुन खरगे :** सर, मैं आधा मिनट लूँगा।

"जो भगवान का सौदा करता है, वह इंसान की कीमत क्या जाने?  
जो 'धान' की कीमत दे न सके, वह 'जान' की कीमत क्या जाने?  
मत मारो गोलियों से मुझे, मैं पहले से एक दुखी इंसान हूँ,  
मेरी मौत की वजह यही है कि मैं पेशे से एक किसान हूँ॥"

जय-हिन्द।

**श्री उपसभापति :** धन्यवाद। माननीय श्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी।

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री; ग्रामीण विकास मंत्री; पंचायती राज मंत्री; तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर):** माननीय उपसभापति महोदय, मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि माननीय राष्ट्रपति जी ने दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किया और विगत वर्ष में जो उल्लेखनीय प्रगति थी, देश से और उसके नागरिकों से जो उनकी अपेक्षा थी, उसे विस्तार से देश के समक्ष रखा, मैं उनका आभारी हूँ।... (व्यवधान) ... हम सब भली-भांति इस बात को जानते हैं कि

वर्ष 2020 कठिनाइयों का वर्ष रहा है। देश में कोविड-19 का संकट आया, सभी गतिविधियों पर विराम लगा, अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, रोजगार प्रभावित हुए। परिस्थितियां ऐसी थीं कि देश एकदम हतप्रभ था, लेकिन मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारे देश का लोकतंत्र और हमारे देश के नागरिक, दोनों इस देश की बड़ी ताकत हैं। इसी का यह परिणाम हम लोगों के ध्यान में आया कि जब लॉकडाउन-1 हुआ, उस समय देश ने जिस प्रकार से अनुशासन का परिचय दिया, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए, उतनी कम है। हम सब इस बात को भली-भांति जानते हैं कि वह एक ऐसा कालखंड था कि अगर महामारी का विस्तार होता, तो शायद हमारे पास उतने साधन भी नहीं थे कि हम उसका मुकाबला कर पाते। चाहे यह पीपीई किट का मामला हो, चाहे मास्क का मामला हो, चाहे सैनिटाइज़र का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का मामला हो, लेकिन प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने बहुत ही गंभीरता और साहस के साथ जो निर्णय किए और उन निर्णयों के शत-प्रतिशत पालन में जिस प्रकार से राज्य सरकारों ने तथा नागरिकों ने अपनी भूमिका निभाई, वह निश्चित रूप से अविस्मरणीय है। इस दौरान बहुत सारे कोरोना वॉरियर्स का देहांत भी हुआ और बहुत से हमारे नागरिक भाई भी हमसे बिछुड़ गए तथा कई सांसद साथी भी हमसे बिछुड़ गए, निश्चित रूप से उसका दुख भी हम सबको और पूरे देश को है। यह भारत के लोकतंत्र और हमारी इन परम्पराओं का ही परिणाम है कि प्रधान मंत्री जी के दृढ़संकल्प और देश की ताकत, दोनों ने मिलकर इस महामारी पर नियंत्रण प्राप्त करने की एक सफलतम कोशिश की है। आज हम यह कह सकते हैं कि जो इस प्रकार की महामारी है, इससे निपटने के लिए भारत पूर्णरूपेण सक्षम है। पहले हमारे लिए एक पीपीई किट बनाना मुश्किल होता था, आज हम पीपीई किट दूसरों को देने की स्थिति में आ गए हैं। हमारे यहां पहले जिला अस्पतालों तक वैंटिलेटर की सुविधा नहीं होती थी। जो हमारे जिला स्तर के अस्पतालों से नीचे तक के छोटे अस्पताल हैं, अब उनमें भी यह ऑक्सीजन तथा वैंटिलेटर की व्यवस्था पहुंच गई है। अब उसके कारण निश्चित रूप से इस पर नियंत्रण प्राप्त करने में हम सफल हुए हैं, इसके लिए मैं प्रधान मंत्री जी के इस कर्तृत्व की निश्चित रूप से प्रशंसा करना चाहता हूं।

जब इस वर्ष का बजट आया तो स्वाभाविक रूप से सरकार की तो यह कोशिश रहती है कि वह सभी क्षेत्रों पर ध्यान दे, सभी वर्गों पर ध्यान दे, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है, उस परिस्थिति में स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान देना हम सबके लिए अत्यंत आवश्यक है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि इस बजट में स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से 137 प्रतिशत की जो वृद्धि की गई है, वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। हम लोग जब इस महामारी से जूँझ रहे थे, उस समय ऐसा लग रहा था कि वैक्सीन हम पहले बनाएंगे या वैक्सीन पहले दूसरे देश बनाएंगे और क्या वह वैक्सीन हम सबको मिल पाएगी, लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जो देश को देसी वैक्सीन बनाकर उपलब्ध कराई, इस कारण से निश्चित रूप से भारत की ताकत भी बड़ी है।

**12.00 Noon**

भारत की प्रतिष्ठा भी बड़ी है और हमारे वैज्ञानिकों का सम्मान भी बड़ा है। कोरोना के इस कालखंड में चाहे उस समय दवाइयों को देने का मामला हो या आज वैक्सीन को देने का मामला

हो, उसमें भारत दूसरे देशों की भी मदद कर रहा है। यह निश्चित रूप से हम सब भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हम सब इस बात को भली-भांति जानते हैं कि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी दूसरी बार बड़े बहुमत के साथ प्रधान मंत्री बने हैं। कई बार हमारे प्रतिपक्ष के विद्वान वक्ताओं की ओर से यह बात आती है कि आप तो यह कहते हैं कि सब मोदी जी की सरकार ने ही किया है और बाकी पिछली सरकारों ने तो कुछ भी नहीं किया है। मैं इस मामले पर ध्यान दिलाना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का आरोप लगाना उचित नहीं है। नरेन्द्र मोदी जी ने सेंट्रल हॉल के अपने पहले भाषण में, जब उनको पहले कार्यकाल में नेता चुना जा रहा था, तब भी, और 15 अगस्त को लाल किले से दिए जाने वाले उद्घोषण में भी उन्होंने जोर देकर यह कहा था कि मेरे पूर्व की जितनी सरकारें हैं, उन सब सरकारों का योगदान देश के विकास में अपने-अपने समय पर रहा है। इतनी बड़ी लोकतांत्रिक यात्रा, इतना बड़ा देश और उसकी प्रगति के मामले में ऐसी सोच न तो नरेन्द्र मोदी जी की है, न ही नरेन्द्र मोदी जी की सरकार की है और न ही आने वाले कल में रहेगी। स्वाभाविक रूप से यह सच है कि जो काम नरेन्द्र मोदी जी के कार्यकाल में होगा, जिस ऊर्जा से होगा, जिस गति से होगा, जिस पारदर्शिता से होगा, जिस दृढ़ संकल्प से होगा, उसका उल्लेख हम लोग भी करेंगे - आप लोग हाउस में तो नहीं करेंगे, लेकिन व्यक्तिगत बातचीत में तो आप सबको भी यह एहसास होगा कि ठीक हो रहा है। मुझे लगता है कि इस प्रकार की सोच उपयुक्त नहीं है। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार गांव, गरीब और किसान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में भी प्रतिबद्ध रहेगी। मैं गांव से ही अपनी बात को शुरू करना चाहता हूं। आपको ध्यान होगा कि जब 13वां फाइनेंस कमिशन आया था, उस समय फाइनेंस कमिशन की रिकमंडेशन के अनुसार जो तत्कालीन मंत्री परिषद् थी, उसने मंजूर किया था कि देश की ढाई लाख पंचायतों को 65 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। जब मोदी जी की सरकार आई, तब 14वें फाइनेंस कमिशन की रिपोर्ट आई। फाइनेंस कमिशन ने रिकमंड किया कि पंचायतों को 2 लाख 292 करोड़ रुपये दिए जाने चाहिए। तब हमारी सरकार बनी-बनी थी। स्वाभाविक रूप से सरकार के मन में यह बात रहती कि अगर पैसा हमारे हाथ में रहेगा, तो हम ज्यादा से ज्यादा योजनाएं बना सकेंगे, खर्च कर सकेंगे, लेकिन उस समय मोदी जी ने दोनों रिकमंडेशन्स हू-ब-हू स्वीकार कीं। पहली, ग्राम पंचायतों को 2 लाख 292 करोड़ रुपये दिए जाने चाहिए और जिन राज्यों को 32 प्रतिशत दिया जाता था, उसके स्थान पर 42 प्रतिशत कर दिया गया। मुझे ध्यान है कि उस समय कैबिनेट में कई लोगों ने अपने-अपने विचार रखे थे।

### [उपसभाध्यक्ष (श्रीमती वंदना चव्हाण) पीठासीन हुईं]

तब मोदी जी ने कहा था कि देखिए, यदि गांव का विकास करना है, तो गांव में पैसा पहुंचना चाहिए और केन्द्र से ज्यादा अच्छी पहचान राज्य अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए कर सकते हैं। वे समस्याओं के नजदीक हैं, निराकरण उनके हाथ में है और अगर पैसा उनके पास रहेगा, तो वे अच्छी योजनाएं बना सकेंगे। जब राज्य आगे बढ़ेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। इस भावना के अंतर्गत 32 से 42 प्रतिशत पैसा उस समय देना स्वीकार किया था। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि अब तो 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट भी आ गई है और 15वें वित्त आयोग ने 2,36,850 करोड़

रूपया ग्राम पंचायतों को देने की रिकमंडेशन दी है। उसको मंत्री परिषद् ने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने 70 हजार करोड़ रुपया नगर और ग्रामीण क्षेत्र के निकायों के लिए, स्वास्थ्य के लिए रिकमंड किया है, उसमें ग्रामीण निकाय के लिए लगभग 43 हजार करोड़ रुपया है। ग्रामीण क्षेत्र में अब इन पांच सालों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से 2 लाख 80 हजार करोड़ रुपया व्यय होगा, जिसका परिणाम ग्रामीण विकास के रूप में आएगा, यह मैं आप सबके समक्ष इस समय कहना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष महोदया, हम सब जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में, यहां हमारे बहुत सारे साथी बैठे हैं, जो गांव में रहने वाले हैं, गांव में चाहे आबादी क्षेत्र में हमारा मकान बना हो, चाहे कोई भी संरचना हमने अपने रहने के लिए अपने खेत में बनाई हो, उसका मालिकाना हक किसी के पास नहीं होता था। खेती की जो जमीन है, हम उसके भूमि-स्वामी होते थे, उस जमीन पर हम लोन ले सकते थे, उसको गिरवी रख सकते थे, उसका मालिकाना हक हमारे पास था, लेकिन अगर उस जमीन पर कोई बिल्डिंग बनी है, तो उसका मालिकाना हक स्वतः किसी को भी प्राप्त नहीं था। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि गत वर्ष पंचायती राज दिवस के अवसर पर हमने प्रधान मंत्री जी से अनुरोध किया और 'स्वामित्व' नामक स्कीम प्रारंभ की, जिसको हम लोगों ने 6 राज्यों में pilot किया और अभी तक लगभग 1 लाख 47 हजार लोगों को मालिकाना हक दिया जा चुका है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि इस बजट में वित्त मंत्री जी ने इस स्कीम को 6 राज्यों के अतिरिक्त अब पूरे देश में प्रभावी कर दिया है और पैसा देना स्वीकार कर लिया है। अब गांव में रहने वाला कोई नागरिक, जिसका अपना मकान मालिकाना हक का नहीं है, इस योजना के अंतर्गत सर्वे करके राज्य सरकार को उसके बारे में अवगत कराया जाएगा और राज्य सरकार उसको मालिकाना हक प्रदान करेगी। अब अगर उसकी जमीन से कोई सड़क निकल रही है और उसका मकान प्रभावित हो रहा है, तो शहर की भाँति ही उसके मकान का भी आकलन होगा और उसको मुआवजा राशि उसी हिसाब से मिलेगी। अब यह मकान की जो संपत्ति है, यह संपत्ति बैंक में भी गिरवी रखी जा सकेगी। अगर कोई परिवार अपने बाल-बच्चों को आगे काम शुरू कराना चाहता है और उसके लिए वह ऋण लेना चाहता है, तो यह संपत्ति उसके काम भी आएगी। यह एक बड़ी योजना भारत सरकार ने इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रारंभ की है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं 'मनरेगा' के संबंध में भी कुछ कहना चाहता हूं। यह तो सच है कि 'मनरेगा' आप सबके कार्यकाल में प्रारंभ हुआ। फिर यह बात भी कही जाती है, कुछ लोग कहते थे कि 'मनरेगा' गङ्गों वाली योजना है। आप भी इस बात को अच्छे से जानते हो, हम भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जब तक आपकी सरकार थी, तब तक निश्चित रूप से उसमें गङ्गा खोदने का ही काम होता था। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता भी है और गर्व भी है कि उसकी शुरुआत आपने की, लेकिन उस योजना को परिमार्जित हमने किया और आज मैं यह गर्व के साथ कह सकता हूं कि मनरेगा के अंतर्गत बनने वाली जो लाखों संरचनाएं हैं, उनको geo-tag करने का काम किया। 'मनरेगा' के मजदूर की मजदूरी का पैसा उसके अकाउंट में जाए, केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित किया और 'मनरेगा' बहुआयामी बने, बहुउपयोगी बने, 'मनरेगा' लोगों को केवल रोजगार देने के ही काम न आए, इसमें व्यक्ति को रोजगार तो मिले ही... लेकिन ऐसी संरचना बने कि किसी गरीब आदमी के यहां cattle shade बन जाए, तो वह पशुपालन के लिए उसके काम आएगा और इससे उसकी ताकत बढ़ेगी। गांव में छोटा-मोटा तालाब बन जाए, तो उसमें जल

रुकेगा और जल का संवर्द्धन होगा। हम लोगों ने मध्यता को परिमार्जित किया। हम लोगों ने 'मनरेगा' में निरन्तर पैसे को बढ़ाया और जब पिछली बार कोविड का संकट आया, तब 61,000 करोड़ का बजट था, हमने उस बजट को बढ़ाकर 1,11,500 करोड़ रुपया देना सुनिश्चित किया। इस प्रकार 'मनरेगा' के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला, 324 लाख करोड़ मानव दिवस सृजित हुए और 'मनरेगा' के माध्यम से निश्चित रूप से जो ठीक से उपयोग किया जा सकता था, वह करने का प्रयास भारत सरकार ने किया।

अभी यहां पर माइग्रेंट लेबर की भी बात आई थी। हमने 'मनरेगा' में भी यह सुनिश्चित किया कि माइग्रेंट लेबर को रोजगार मिले। इसके अतिरिक्त प्रधान मंत्री जी ने 'गरीब कल्याण रोजगार अभियान' भी संचालित किया। इस अभियान के अंतर्गत 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और इसके माध्यम से भी रोजगार के ज्यादा अवसर खुले तथा लोगों को रोजगार मिला। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि देश में चाहे बड़ी सड़क बने, चाहे चतुर्भुज योजना बने, चाहे छोटे से छोटे गांव हों, उस गांव का व्यक्ति भी डामरिक सड़क से जुड़ पाए, उसका उपयोग कर पाए, यह कल्पना भारत के पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक रोडमैप बनाया था कि 6 लाख गांवों को, 1,80,000 बसाहटों को 2007 तक डामरिक सड़क से जोड़ दिया जाएगा। वह काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अटल जी की सरकार बीच में चली गई। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि बीच के कालखंड की जो स्थिति रही, वह अलग है। फिर से हमने उस काम को प्रारम्भ किया है - फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज पूर्णता की ओर है और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि जब प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने दूसरा कार्यकाल प्रारम्भ किया, तो 80,250 करोड़ रुपए की लागत से 1,25,000 किलोमीटर सड़क थर्ड फेज के अंतर्गत बनाई जाएगी, यह भी हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। ...**(व्यवधान)**...

### एक माननीय सदस्य: क्या यह बनाई गई है?

**श्री नरेन्द्र सिंह तोमर:** यह बनाई जाएगी, जिसमें से 42,000 किलोमीटर स्वीकृत हो गई है। बहुत सारी जगहों पर भूमि पूजन, शिलान्यास भी सांसद लोग कर रहे हैं।

तीसरा, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका की बड़ी आवश्यकता है। हमारी तरफ से 66 लाख सेल्फ हैल्प ग्रुप्स को शक्ति सम्पन्न बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक उनके लिए बैंक से ऋण का जो लिंकेज हुआ है, वह लगभग तीन लाख करोड़ का है। उनका एनपीए जो कभी 2014 से पहले 23 परसेंट हुआ करता था, आज हम लोग उसे परिमार्जित करके उसको 2 परसेंट तक लेकर आए हैं। आपने देखा होगा कि जब कोविड का संकट आया, तो शहर में जागरूक लोग थे, पढ़े-लिखे लोग थे, लेकिन गांव में भी ग्राम पंचायत का सचिव, रोजगार सहायक, आशा वर्कर और सेल्फ हैल्प ग्रुप की महिलाओं ने कोविड प्रोटोकॉल का शत-प्रतिशत पालन करवाने में अपनी भूमिका का निर्वाह किया- चाहे वह मास्क बनाने का मामला हो, चाहे सेनिटाइज़र बनाने का मामला हो, उन सबने देश के उस कालखंड के दौरान जो उनकी भूमिका थी, उस भूमिका का निर्वाह सफलतापूर्वक किया है। मैं सदन के माध्यम से सेल्फ हैल्प ग्रुप्स की सभी बहनों को बधाई देना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष महोदया, निश्चित रूप से ग्रामीण विकास के क्षेत्र में गरीब आदमी के जीवनस्तर में बदलाव आए, इस बात का सद्प्रयत्न और संकल्प प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का रहा है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि "प्रधान मंत्री आवास योजना" को दोबारा से परिमार्जित करके बनाया गया, उसका आकार बढ़ाया गया और पैसा बढ़ाया गया। सिफ यह नहीं कि हम आवास दे रहे हैं, इसका कोई यश प्राप्त किया जाए, बल्कि गाँव में रहने वाले व्यक्ति का जीवन सुगम हो, उसका जीवन यशस्वी हो, वह सही प्रकार से अपने परिवार के साथ रह पाए, इसके लिए उसको आवास भी दिया गया, "उज्ज्वला योजना" के अंतर्गत 8 करोड़ रसोई गैस उपलब्ध कराए, हर घर में शौचालय की उपलब्धता कराई, "सौभाग्य योजना" के अंतर्गत बिजली की उपलब्धता कराई। हमने उस घर में रसोई की उपलब्धता कराई और आज हम यह कह सकते हैं कि इन सभी गरीब हितैषी योजनाओं के कारण गाँव में निवास करने वाले व्यक्ति के जीवन स्तर में बदलाव आया है। यह निश्चित रूप से एक योजनाबद्ध आमूलचूल परिवर्तन है और मैं यह मानता हूं कि सरकार कोई भी हो, लेकिन सरकार का धर्म यही है कि देश में रहने वाले गाँव के गरीब किसान के जीवन स्तर में बदलाव आए। गाँव में अधोसंरचना विकसित हो और ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति के जीवन स्तर में बदलाव आए, हम लोगों ने यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया है।

महोदया, हम सभी जानते हैं कि कृषि का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े - मैं उसके आंकड़ों में बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दिशा में लगातार आशातीत वृद्धि हो रही है। प्रधान मंत्री जी ने लोगों का आवान किया, सरकारों को निर्देश दिया कि एक कालखंड था जब हमारे पास खाद्यान्न का अभाव था, तब सरकारों ने उत्पादन केंद्रित विचार किया, लेकिन आज हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं। अगर हमें किसान के बारे में विचार करना है, तो आय केंद्रित विचार करना चाहिए। इसलिए किसान की आमदनी दोगुनी हो, इसके लिए "पी.एम. किसान योजना" के माध्यम से 6,000 रुपये का contribution सरकार ने भी दिया और आज हम यह कह सकते हैं कि 10 करोड़, 75 लाख किसानों को 1 लाख, 15 हजार करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट्स में भेजने का काम हमने किया है। मैं इसके साथ ही साथ यह भी कहना चाहूँगा कि जब किसान की आमदनी दोगुनी करनी है, तब यदि एक तरफ से काम करेंगे, तो नहीं चलेगा। इसमें किसान का उत्पादन भी बढ़ना चाहिए, उत्पादकता बढ़नी चाहिए। उत्पादकता के लिए technology का उपयोग होना चाहिए, सिंचाई के साधन बढ़ने चाहिए, लोगों को सूक्ष्म सिंचाई की ओर जाना चाहिए, फर्टिलाइजर के बीज की उपलब्धता समय पर होनी चाहिए। ..(व्यवधान)।

**श्री आनन्द शर्मा :** उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। ..इस साल के बजट में बढ़ा है, लेकिन "पी.एम. किसान योजना" में 10 हजार रुपये कम किए गए हैं।

**श्री नरेन्द्र सिंह तोमर :** आनन्द जी, 10 हजार करोड़ रुपये।

**श्री आनन्द शर्मा :** आप कृपया वित्त मंत्री जी से बात करके इसको देखिए। आज के समय में, जब इतना बड़ा उत्पादन हो रहा है, तब इसको कम करना उचित नहीं है।

**श्री नरेन्द्र सिंह तोमर :** आनन्द जी ने बिल्कुल वाजिब बात की ओर ध्यान दिलाया है। मैं उन्हें स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब "पी.एम. किसान योजना" का सृजन हुआ था, तब उस समय एक अनुमान लगाया गया था कि देश में 14.5 करोड़ किसान होंगे। 14.5 करोड़ किसानों के हिसाब से 75 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, परंतु लगातार कोशिश करने के बाद भी अभी तक 10 करोड़, 75 लाख किसान ही रजिस्टर्ड हो पाए हैं। केंद्र सरकार लगातार इस बात की कोशिश में लगी हुई है कि जो बचे हुए लोग हैं, वे भी रजिस्टर्ड हो जाएं। पश्चिमी बंगाल ऐसा राज्य है, जिसने अभी ज्वाइन नहीं किया था। यदि वह आ जाएगा, तो 70 लाख तो उनके ही हो जाएंगे। जो आज की परिस्थिति है, उस परिस्थिति में हमारा काम इन 65 हजार करोड़ रुपये में चल रहा था और इस समय - आप तो वर्षों तक मंत्री रहे हैं, आपको मालूम है कि जो बजट की व्यवस्था थी, उसमें थोड़ी दिक्कत भी थी। इसलिए वहाँ 75 को हटा कर 10 हजार कम किया गया है, लेकिन जिस प्रकार से आप देखते हैं कि मनरेगा में बजट 38 हजार करोड़ का होता है, लेकिन खर्च 49 हजार करोड़ का होता है, तो अगली बार फिर वह 49 हो जाता है, फिर अगली बार खर्च 59 हजार करोड़ हो जाता है, इसी प्रकार से हम आज भी देखेंगे कि 61 की जगह 1 लाख, 11 हजार करोड़ किया गया है। जैसे रजिस्ट्रेशन बढ़ेगा, मैं आपके माध्यम से सदन को भी और किसानों को भी यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें।

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती वंदना चव्हाण) :** मंत्री महोदय, आपको conclude करने की ओर जाना पड़ेगा।

**श्री नरेन्द्र सिंह तोमर :** जी, ठीक है।

**SHRI V. MURALEEDHARAN:** Madam, my submission is that as we have time, the hon. Minister may take time till he concludes. We will reduce it from the time of our other speakers.

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN):** Fine. Please continue.

**श्री नरेन्द्र सिंह तोमर :** दूसरा, माननीय उपसभाध्यक्ष जी, हम सब इस बात को भली-भाँति जानते हैं कि किसानी के समय यूरिया की किल्लत हमेशा होती थी। आप भी नीम कोटिंग करना चाहते थे, लेकिन यह उस समय नहीं हो पाया। हमने नीम कोटिंग की, उसके कारण फर्टिलाइजर की उपलब्धता बढ़ी। सूक्ष्म सिंचाई की दृष्टि से रकबा बढ़ा। देश में 86 प्रतिशत छोटे किसान हैं। छोटे किसान का रकबा छोटा है। उसके पास निवेश करने के लिए साधन नहीं हैं। अगर वह कोई risk लेकर महँगी फसल की तरफ जाए, तो उसके पास मार्केट का लिंक नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि वे 86 परसेंट किसान MSP का भी लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसलिए सरकार ने यह कोशिश की कि हम 10 हजार नए FPOs बनाएँगे। 10 हजार नए FPOs के लिए हम 6,850 करोड़ रुपए खर्च

करेंगे, 5 साल में हम उनको strengthen करेंगे। छोटे-छोटे किसान 300 की, 500 की संख्या में मिल कर एक FPO के साथ जुड़ें, तो उनका रकबा भी बढ़ेगा, उनका उत्पादन भी बढ़ेगा, वे technology से भी जुड़ सकेंगे और उनके उत्पादन का volume भी ज्यादा होगा, तब वे अपने उत्पादन के वाजिब मूल्य के लिए bargaining भी कर सकेंगे। इसलिए हम लोग इस देश में कृषि के क्षेत्र में FPO का एक बड़ा संसार खड़ा करने का काम आरम्भ कर रहे हैं।

आप सबने यह भी ध्यान दिया होगा कि एक तरफ किसान को MSP लागत पर 50 प्रतिशत मुनाफा जोड़ कर दिया जाना शुरू हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, तो खेती के क्षेत्र में आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत एक लाख करोड़ रुपए का infrastructure fund भी दिया गया है। सिर्फ खेती के लिए ही नहीं, बल्कि fisheries के लिए 20 हजार करोड़ रुपए, animal husbandry के लिए 15 हजार करोड़ रुपए, हर्बल खेती के लिए 4 हजार करोड़ रुपए, food processing के लिए 10 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं। ऐसे ही यह कोशिश की गई है कि खेती में जो निवेश की जरूरत है, वह निवेश खेती तक पहुँचे।

हम सब गाँव के रहने वाले लोग हैं। आज warehouse या cold storage, कोई भी संरचना दिखाई देती है, तो वह जिला स्थान या बड़ी मंडी के आसपास दिखाई देती है। कोई भी 80 किलोमीटर दूर रहने वाला किसान अपने उत्पादन को 80 किलोमीटर लाकर दे, उसमें रखे और दो महीने तक फसल को रोके, यह उसकी हैसियत नहीं है। ऐसी जितनी भी संरचनाएँ बनी हैं, इन संरचनाओं का उपयोग किसानों के लिए नहीं हो पाता है, क्योंकि ये संरचनाएँ लगभग व्यापारियों के लिए हैं या सरकारी गोदाम हैं। किसान warehouse का उपयोग कर सके, किसान cold storage का उपयोग कर सके, इस दृष्टि से यह infrastructure नीचे तक पहुँचे और इस gap को भरा जा सके, इसके माध्यम से सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किसानों के जीवन में बहुत अच्छा बदलाव आए। हम सब जानते हैं कि फल हो, तरकारी हो, ये कुछ फसलें ऐसी हैं, जो जल्दी नष्ट हो जाती हैं और इनको उपयुक्त बाजार नहीं मिल पाता है। कौन सोच सकता था कि रेल से फल और सब्जी जानी शुरू हो जाएगी! भारत में सौ किसान रेलें प्रारम्भ की गई हैं, जो एक तरह से चलते-फिरते कोल्ड स्टोरेज का काम करती हैं। ये रेलें हर रोज आ-जा रही हैं और इनके माध्यम से किसान अपना उत्पादन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा रहे हैं। इससे किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिलने में मदद हो रही है। 'पीएम कृषि उड़ान योजना' के अंतर्गत आज त्रिपुरा का पाइनएपल दूसरे देशों में पहुंच कर अच्छी कीमत प्राप्त कर रहा है। निश्चित रूप से हमारे किसानों को इसका फायदा हो रहा है और हम सब लोगों के लिए यह प्रसन्नता की बात है।

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN):** Hon. Minister, I just want to bring to your notice that your assigned time is over, but you can take time as per the other Members' time.

**श्री नरेन्द्र सिंह तोमर :** मैं पांच मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा।

**रेल मंत्री; वाणिज्य और उद्योग मंत्री; तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री पीयूष गोयल) :** आप अपनी बात जारी रखें।

**श्री नरेन्द्र सिंह तोमर :** हम जानते हैं कि आम तौर पर किसान गांव में रहता है, वह गरीब है। ऐसे में किसान को बुढ़ापे में सहारा मिल सके, इसके लिए 'पीएम किसान पेंशन योजना' और 'पीएम किसान मानधन योजना' प्रारम्भ की गई है। अभी तक 60 वर्ष की आयु पार कर चुके 21 लाख किसान इन योजनाओं से जुड़ चुके हैं। इनसे किसानों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। यह सुविधा भी सरकार की तरफ से आरम्भ की गई है।

आपदा के समय यह नियम रहता था कि अगर किसी स्थान में आपदा से 50 प्रतिशत से अधिक लोग प्रभावित होंगे, तभी उन्हें सरकारी मदद मिलेगी। अब इस लिमिट को घटाकर 33 प्रतिशत कर दिया गया है। किसान को निश्चित रूप से इसका फायदा भी मिलने वाला है।

अब मैं एक और बात का जिक्र करके अपनी बात समाप्त कर दूंगा। सामान्य तौर पर तीन कृषि सुधार कानूनों की बात इस समय का ज्वलन्त मुद्दा है। मैं प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन सभी ने किसान आन्दोलन पर चिन्ता व्यक्त की और किसान आन्दोलन के लिए सरकार को जितना कोसना आवश्यक था, उसमें भी कोई कंजूसी नहीं की....(व्यवधान)... उन्होंने जोर देकर इन कानूनों को काला कानून भी कहा है।

मैं, आजाद साहब और आनन्द भाई, आप दोनों को यह बताना चाहता हूं कि किसान यूनियन से भी दो महीने तक मैं यही बात पूछता रहा हूं कि इन कानूनों में काला क्या है, अगर आप यह बताएं, तो मैं उनको ठीक करने की कोशिश करूंगा।...(व्यवधान)... वहां भी यह बात मुझे मालूम नहीं पड़ी। प्रतिपक्ष के मेम्बर्स ने भी इस पर भाषण दिए। दीपेन्द्र भाई, मैंने आपका भाषण भी सुना है। सभी सदस्यों के भाषण मैंने बहुत गौर से सुने हैं। सबने यह कहा है कि ये कानून खराब हैं, कानूनों को रिपील कर दीजिए, खुद ही ये रिपील हो जाएंगे, ऐसा है, वैसा है। सभी माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी बात रखी और उन्हें रखनी भी चाहिए। लेकिन मैं आप सबसे यह जानना चाहता हूं कि कम से कम किसी भी सदस्य ने यह बात बताने की कोशिश नहीं की कि इन कानूनों के कौन से ऐसे प्रावधान हैं, जो किसानों के प्रतिकूल हैं...(व्यवधान)...

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN):** No, no, please. No interference, please.

**श्री नरेन्द्र सिंह तोमर :** सर, मैं आपके सामने ही बैठा हुआ था।

उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करना चाहता हूं कि हम लोगों ने Trade Act बनाया। उस Act में हमने यह प्रावधान किया कि APMC के बाहर जो एरिया होगा, वह Trade Area होगा, वह किसान का घर भी हो सकता है, किसान का warehouse भी हो सकता है और उसका खेत भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान से, किसी भी स्थान के लिए, किसी भी कीमत पर अपने उत्पादन को बेचने में स्वतंत्र है। यह Act इसकी पूरी इजाजत देता है। अगर APMC के बाहर कोई ट्रेड होगा, उस पर न तो राज्य का किसी प्रकार का टैक्स लगेगा और न ही केन्द्र का टैक्स लगेगा। वर्तमान समय में APMC के अन्दर राज्य सरकार टैक्स लेती है,

लेकिन APMC के बाहर केन्द्र सरकार का Act इस टैक्स को खत्म करता है। राज्य सरकार का Act टैक्स देने के लिए किसान को बाध्य करता है और केन्द्र सरकार का Act उस टैक्स को खत्म करता है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से किसानों से यह पूछना चाहता हूं, विशेष रूप से पंजाब के किसानों से पूछना चाहता हूं, चूंकि उनके यहां परिस्थितियां थोड़ी अलग हैं, वहां आढ़तियों का कमिशन अलग है, बाकी सब चीज़ें अलग हैं। एक तरफ हमने APMC को टैक्स फ्री किया, दूसरी तरफ राज्य सरकार उस पर टैक्स ले रही है, तो आप हमें यह बताएं कि जो टैक्स ले रहा है, टैक्स बढ़ा रहा है, आन्दोलन उसके खिलाफ होना चाहिए या जो केन्द्र सरकार APMC को टैक्स फ्री कर रही है, उसके खिलाफ आन्दोलन होना चाहिए? देश में उल्टी गंगा बह रही है। महोदया, मैं आपके माध्यम से किसान बंधुओं और प्रतिपक्ष के मित्रों को भी कहना चाहता हूं कि भारत सरकार और नरेन्द्र मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है, किसानों के प्रति समर्पित है। किसान आंदोलन के लिए हम लोगों ने लगातार उनको सम्मान देने की कोशिश की है, 12 बार सम्मान उन्हें बुलाकर बातचीत की है। एक शब्द भी हमने उनके बारे में इधर-उधर नहीं बोला, संवेदनशीलता के साथ विचार किया है, लेकिन हमने यह जरूर कहा है कि प्रावधान में कहां गलती है, आप विनम्रतापूर्वक हमारा ध्यान आकर्षित करिये। उनकी भावना के अंतर्गत जिन बिन्दुओं को चिह्नित किया जा सकता था, हमने उनको भी चिह्नित करके बताया कि यदि आपको लगता है कि यह शंका है कि एपीएमसी खत्म हो जाएगी तो हम इस पर विचार करते। एपीएमसी खत्म नहीं होगी। हमने एक के बाद एक उनको प्रस्ताव देने का भी प्रयत्न किया, लेकिन अगर मैंने साथ में यह भी कहा कि भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है तो इसके मायने यह नहीं लगाने चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है, लेकिन किसान आंदोलन में है। एक पूरे राज्य में लोग ग़लतफहमी का शिकार हैं।

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा :** यह एक राज्य का मसला नहीं है।

**श्री नरेन्द्र सिंह तोमर:** यह एक ही राज्य का मसला है। ..(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Please don't interfere. ...*(Interruptions)*... Let him speak. ...*(Interruptions)*... We are short of time. ...*(Interruptions)*...

**श्री नरेन्द्र सिंह तोमर:** महोदया, किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपकी जमीन को ले जायेंगे। ..(व्यवधान)... मैं कहता हूं कि कॉट्रेक्ट फॉर्मिंग के एक्ट में कोई एक प्रावधान बतायें। ..(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Please don't interfere. ...*(Interruptions)*... Let him speak. ...*(Interruptions)*... Let him speak. ...*(Interruptions)*... You can speak later.

**श्री नरेन्द्र सिंह तोमर:** खरगे जी, दुनिया जानती है कि पानी से खेती होती है, \* सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी \* नहीं कर सकती। इसलिए मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कॉट्रेक्ट फार्मिंग ऐक्ट का कौन सा प्रावधान है, जो प्रावधान किसी भी व्यापारी को किसान की जमीन छीनने की इजाजत देता है? लेकिन लोगों को भड़काया जा रहा है कि जमीन चली जाएगी। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Please don't make comments from either side. ...**(Interruptions)**... No comments. ...**(Interruptions)**... Let the hon. Minister speak. ...**(Interruptions)**...

**श्री नरेन्द्र सिंह तोमर :** जहां पर भी ऐक्ट में कॉट्रेक्ट फार्मिंग का प्रावधान किया है, कॉट्रेक्ट मूल्य का प्रावधान किया है, कॉट्रेक्ट मूल्य से फसल का मूल्य सीज़न पर बढ़ेगा, तो उसका बोनस के रूप में हिस्सा किसान को मिलेगा, यह प्रावधान किया गया है और किसान इस ऐक्ट से कभी भी बाहर हो सकता है, व्यापारी कभी भी बिना पैसे दिये इस ऐक्ट से बाहर नहीं हो सकता। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पंजाब सरकार का कॉट्रेक्ट फार्मिंग ऐक्ट उठाइये, हरियाणा सरकार का कॉट्रेक्ट फार्मिंग ऐक्ट उठाइये..**(व्यवधान)**... वह हुड़ा जी के समय में ही पारित हुआ था। ..**(व्यवधान)**... ..**(व्यवधान)**...

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड़ा (हरियाणा):** एमएसपी से नीचे खरीदने पर कानून ही नहीं है।..**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Excuse me. ...**(Interruptions)**... He is not yielding. ...**(Interruptions)**... He is not yielding. ...**(Interruptions)**...

**श्री नरेन्द्र सिंह तोमर:** दीपेन्द्र भाई ..**(व्यवधान)**... मुझे स्पष्ट तो करने दीजिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): You still have one Member. ...**(Interruptions)**... He can speak later. ...**(Interruptions)**...

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड़ा:** आपने मेरा नाम लिया है..**(व्यवधान)**...

**श्री नरेन्द्र सिंह तोमर:** मैंने आपका नाम नहीं लिया। महोदया, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इन राज्यों के, अभी लगभग 20-22 राज्य ऐसे हैं, जिनमें कॉट्रेक्ट फार्मिंग के लिए नया ऐक्ट बनाया है या उन्होंने एपीएमसी में शामिल किया है।..**(व्यवधान)**...

\* Expunged as ordered by the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): We are already very tight on time. ...(*Interruptions*)... Let him complete. ...(*Interruptions*)... You still have one Member to speak. He can reply to that. ...(*Interruptions*)... Hon. Minister, please continue. ...(*Interruptions*)...

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:** महोदया, ...**(व्यवधान)**... Contract farming का नियम बना। हरियाणा में रूल में, APMC में अमेंडमेंट हुआ। ...**(व्यवधान)**... हालांकि उसके साथ-साथ यह प्रावधान बना कि अगर कोई प्राइवेट कम्पनी कॉट्रैक्ट फार्मिंग में MSP से नीचे खरीद करती है, तो कानूनी कार्रवाई और सजा होगी। ...**(व्यवधान)**... आप सजा का प्रावधान कर रहे थे। ...**(व्यवधान)**...

**श्री नरेन्द्र सिंह तोमर:** ठीक है, दीपेन्द्र भाई। आपकी बात आ गयी, लेकिन मैं ...**(व्यवधान)**... देखिए। ...**(व्यवधान)**... दीपेन्द्र जी, सवाल इसका नहीं है कि उस एक्ट में क्या लिखा है, सवाल इसका है कि कॉट्रैक्ट फार्मिंग ऐक्ट है या नहीं है और कॉट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट कब बना? ...**(व्यवधान)**... और उस कॉट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में यह है कि अगर किसान गलती करेगा, तो किसान को जेल जाना पड़ेगा। यह प्रावधान पंजाब के एक्ट में है। ...**(व्यवधान)**... यह पंजाब सरकार के एक्ट में है। ...**(व्यवधान)**... भारत सरकार ने जो एक्ट बनाया है, उसमें किसान कभी भी बाहर हो सकता है। ...**(व्यवधान)**...

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:** अगर आप असत्य बोलेंगे, तो हम नहीं सुनेंगे। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Hon. Members, please. ...(*Interruptions*)...

**श्री नरेन्द्र सिंह तोमर:** दीपेन्द्र जी, मैं आपको पंजाब सरकार का यह एक्ट बता सकता हूँ। ...**(व्यवधान)**... मैं आपको पंजाब सरकार का एक्ट बता सकता हूँ। ...**(व्यवधान)**... पंजाब सरकार के एक्ट में किसान को जेल भेजे जाने का प्रावधान है। ...**(व्यवधान)**... अगर वह नहीं देगा, तो 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान है, लेकिन भारत सरकार का एक्ट ...**(व्यवधान)**...

**विपक्ष के नेता (श्री गुलाम नबी आजाद):** आप हरियाणा की बात कर रहे हैं या किसी और एक्ट की बात कर रहे हैं?

<sup>†</sup> **قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد) :** آپ ہریانہ کی بات کر رہے ہیں یا کسی اور ایکٹ کی بات کر رہے ہیں؟

---

<sup>†</sup> Transliteration in Urdu script.

**श्री नरेन्द्र सिंह तोमर:** मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। ...**(व्यवधान)**... कॉटेक्ट फार्मिंग के बारे में मैंने कहा कि पंजाब और हरियाणा ...**(व्यवधान)**...

**श्री गुलाम नबी आजाद:** सॉरी। आप पंजाब की बात कर रहे हैं या हरियाणा की बात कर रहे हैं, यह कंफ्यूजन तो दूर हो गया। ...**(व्यवधान)**...

<sup>†</sup> **جناب غلام نبی آزاد :** سوری، آپ پنجاب کی بات کر رہے ہیں یا بریانہ کی بات کر رہے ہیں، یہ کنفیوژن تو دور ہو گیا۔...**(مداخلت)**...

**श्री भूपेन्द्र यादव:** महोदया, ...**(व्यवधान)**... वैसे तो भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की कमेटी की रिपोर्ट थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि APMC को समाप्त करो। उस बात को अगर इन्कार करेंगे, तो ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Hon. Minister. ...*(Interruptions)*...

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:** महोदया, ...**(व्यवधान)**...

**श्री नरेन्द्र सिंह तोमर:** दीपेन्द्र हुड्डा जी, एक मिनट।...**(व्यवधान)**...

SHRI ANAND SHARMA: I am on a point of order. ...*(Interruptions)*... Under the rules, when any reference has to be made of a person or his State and the individual is not present here and about a report which is neither an official report nor a Government report....*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Sharmaji, under which rule, are you raising your point of order? ...*(Interruptions)*...

SHRI ANAND SHARMA: Those references must be expunged from the record. ...*(Interruptions)*...

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:** महोदया, ...**(व्यवधान)**...

**श्री नरेन्द्र सिंह तोमर:** दीपेन्द्र जी, प्लीज।...**(व्यवधान)**...

<sup>†</sup> Transliteration in Urdu script.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Hon. Minister. ...*(Interruptions)*... Please listen to him. ...*(Interruptions)*...

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: महोदया, ...**(व्यवधान)**... यह कॉर्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट और यह ट्रेड एक्ट, ...**(व्यवधान)**... ये सब हुड्डा जी की रिकमेंडेशंस के कारण आये हैं। ...**(व्यवधान)**... कान खोल कर सुन लीजिए। हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट के कारण ये आये हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: पूरे देश में APMC Act में ...**(व्यवधान)**...

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: अब जब दोबारा कृषि पर बहस हो, ...**(व्यवधान)**... जब दोबारा कृषि पर बहस हो, तब आप पढ़ कर आना और बहस करना, मैं आपको जवाब दूँगा।

SHRI BHUPENDER YADAV (Rajasthan): I have a point of order. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Under which rule? ...*(Interruptions)*... Bhupender Yadavji has a point of order. ...*(Interruptions)*... Please mention the rule. ...*(Interruptions)*...

SHRI BHUPENDER YADAV : Rule 235, sub-rule (ix). A Member shall not obstruct proceedings, hiss or interrupt and avoid making running commentaries when speeches are being made in the Council. आप उनको ज़रा restrict कीजिए। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Hon. Members, please realize that we are very short on time. Let the hon. Minister conclude his speech. ...*(Interruptions)*...

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं बस दो मिनट में समाप्त कर रहा हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): You still have one Member who can speak. So, he can respond to what the hon. Minister is saying. ...*(Interruptions)*... So, hon. Minister, please don't give a chance and complete your speech. ...*(Interruptions)*...

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि खरीद में transparency आये, e-transaction बढ़े, किसान को वाजिब दाम मिले और electronic trade बढ़े, इसके लिए 1,000 मंडियों को e-NAM मंडियों के रूप में परिवर्तित किया तथा अब 1,000 और मंडियों को परिवर्तित कर देंगे, बजट में प्रावधान हो गया है।

इसी प्रकार से लगातार हमने कोशिश की है कि कृषक की आमदनी दोगुनी हो और किसानी का योगदान देश के जीडीपी में तीव्र गति से बढ़े। ये जो कृषि सुधार बिल हैं, ये भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। मैं आपके माध्यम से सारे सदन को भी और सारे किसान भाइयों को भी यह कहना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी किसानों के लिए समर्पित हैं और रहेंगे। नरेन्द्र मोदी जी जो कृषि सुधार बिल्स लेकर आए हैं, वे किसान के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं, किसान की आमदनी बढ़ाने वाले हैं और देश आगे बढ़े, गाँव आगे बढ़े, किसान आगे बढ़े और देश का इकबाल पूरी दुनिया में बुलंद हो, इसी उद्देश्य के साथ मोदी सरकार इस देश में काम कर रही है। माननीया उपसभाध्यक्ष महोदया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती वंदना चव्हाण) :** धन्यवाद, तोमर जी। श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी।

**श्री मल्लिकार्जुन खरगे :** मैडम, मैं एक बात बताना चाहता हूँ।...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Please, ...*(Interruptions)*... You have one more Member, he can respond. ...*(Interruptions)*...

**श्री मल्लिकार्जुन खरगे :** मैडम, मैं उनको यह बताना चाहता हूँ।...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): You are very senior. ...*(Interruptions)*... We are very short on time. ...*(Interruptions)*...

**श्री मल्लिकार्जुन खरगे :** मैं यह बताना चाहता हूँ।...(व्यवधान)... You can show them. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Okay, thank you. ...*(Interruptions)*... No, ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*... Akhilesh Prasadiji, please start. ...*(Interruptions)*...

**श्री अखिलेश प्रसाद सिंह :** महोदया, पहले हाउस तो ऑर्डर में हो जाए।...(व्यवधान)...

**श्री मल्लिकार्जुन खरगे :** मैडम ...*(व्यवधान)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Sir, you are very senior. ...*(Interruptions)*... Please let your Member speak. ...*(Interruptions)*... Akhilesh Prasadiji; you have only five minutes.

**श्री अखिलेश प्रसाद सिंह (बिहार) :** महोदया, कृषि मंत्री जी के भाषण के बाद ऐसे ही पूरा सदन और तनाव में चला गया है। एक तरफ परेशान किसान सीमाओं पर लाखों की संख्या में डटे हैं और

इधर जो भी किसानों के पक्ष में बोलता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग और सरकार की तरफ से उनको बोलने नहीं दिया जाता है।...(व्यवधान)...

**श्री प्रकाश जावडेकर:** ऐसा कभी नहीं हुआ।...(व्यवधान)...

**श्री अखिलेश प्रसाद सिंह :** अभी ऐसा हो रहा था।...(व्यवधान)... आप मेरा समय क्यों ले रहे हैं? ...**(व्यवधान)**... कोरोना महामारी ने जिस तरह जनजीवन और अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव डाला है, उस तरह मानव इतिहास में, विश्व युद्ध के बाद कभी नहीं हुआ। मैं जानता हूँ कि समय की कमी है, इसलिए मैं सारी बातों का उल्लेख नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं नेता विरोधी दल, आदरणीय गुलाम नबी आजाद साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने आज की परिस्थिति के बारे में, किसानों के बारे में जो चिंता ज़ाहिर की और जिस तरह से अपनी बात रखी, उसके बाद भी अगर सरकार को यह बात समझ नहीं आ रही है, तो भगवान ही मालिक है। मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि जो सरकार किसानों की उपेक्षा और अपमान करेगी, वह सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। यह इतिहास बताता है। मैं खुद एक किसान हूँ और मैं 2004 में सरकार में रहते हुए कृषि महकमे का काम भी देखता था। आदरणीय शरद पवार साहब मेरे बड़े सहयोगी थे, वरिष्ठ सहयोगी थे। मैंने वह कार्यकाल भी देखा और उस कार्यकाल में जब बजट पास होता था या कृषि विभाग पर कोई चर्चा होती थी, तो शरद पवार जी पूर्व के सारे कृषि मंत्रियों को बुलाते थे। मैंने स्वर्गीय चतुरानन मिश्र जी को उनसे बात करते हुए देखा, राजनाथ सिंह जी, जो अभी आपके कैबिनेट में मंत्री हैं, वे अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन काल में कृषि मंत्री रहे थे, उनको बुलाते थे, स्वर्गीय बलराम जाखड़ साहब को बुलाते थे, प्रकाश सिंह बादल साहब को बुलाते थे, देवेगौड़ा साहब को बुलाते थे और सबसे चर्चा करते थे, खुले तौर पर चर्चा करते थे। आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने सभी किसान संगठनों के लोगों को बुला कर बात की थी। आपकी तरफ से बार-बार डेढ़ गुना आमदनी की चर्चा होती है, लेकिन मैं जिस समय मंत्री था, उस समय पहली बार यह फैसला हुआ। उस समय ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, अगर पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना तक पर प्रकाश डाला जाए, तो यह पता चलेगा कि भले ही बजट में एमएसपी में दस रुपए, बीस रुपए या पचास रुपए प्रति किंविटल की बढ़ोतरी होती थी, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है कि स्वर्गीय वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में जिस धान की कीमत साढ़े पाँच सौ रुपए प्रति किंविटल थी, उसको मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार ने सीधे 1,100 रुपए प्रति किंविटल करने का काम किया था, सीधा दोगुना करने का काम हुआ था। गेहूँ की कीमत जो 620 रुपए प्रति किंविटल थी, उसे हम लोगों ने 1,240 रुपए प्रति किंविटल करने का काम किया था। केवल यही नहीं, वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में किसानों को बैंकों से दस परसेंट इंटरेस्ट पर ऋण मिलता था और जब पूँजीपति और व्यवसायी लोग गाड़ी खरीदने जाते थे, तो उन्हें आठ परसेंट पर ऋण मिलता था।...(व्यवधान)... आप शायद उस वक्त हाउस में नहीं थे।

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN):** So, hon. Member, you will have to conclude.

**श्री अखिलेश प्रसाद सिंह :** लेकिन पवार साहब ने यह बात कहकर उसे पहले सीधा छः परसेंट पर लाने का काम किया और अब चार परसेंट पर है। मेरा कहने का मतलब यह है कि किसान और खेती मेरी कॉग्रेस पार्टी की प्राथमिकता रहे हैं, प्रतिबद्धता रहे हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि समय कम है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Hon. Member, you will have to conclude now.

SHRI AKHILESH PRASAD SINGH: Why should I have to conclude?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): It is because your time is over. ...*(Interruptions)*... Your time is over. मैं क्या कर सकती हूँ?

**श्री अखिलेश प्रसाद सिंह :** मैडम, मैं बिहार से आता हूँ।...(व्यवधान)...

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती वंदना चव्हाण) :** आपके मेम्बर्स ने पहले ही ज्यादा टाइम लिया है। आपके पास सिर्फ पाँच मिनट का समय है।

**श्री अखिलेश प्रसाद सिंह :** मैडम, वैसे ही बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार होता रहा है, कृपा करके आप मेरे साथ भी सौतेलेपन का व्यवहार मत करिए।...(व्यवधान)...

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI GHULAM NABI AZAD): Madam, he had been the Minister of State.... ...*(Interruptions)*..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): The time does not allow me, unfortunately. ...*(Interruptions)*...

SHRI GHULAM NABI AZAD: Madam, ten to fifteen minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): The other Members have taken more time, so, he has lost his time.

**श्री अखिलेश प्रसाद सिंह :** मेरे एक विद्वान साथी आर.सी.पी. सिंह साहब ने अपने भाषण में...(व्यवधान)...

**श्री गुलाम नबी आज़ाद:** देखिए, हमारे पास तो आज का कोई बिज़नेस नहीं है।

**श्री उपसभाध्यक्ष (श्रीमती वंदना चव्हाण) :** मेरे पास पाँच मिनट हैं, which is over.

SHRI ANAND SHARMA: No; no, one minute....

**श्री अखिलेश प्रसाद सिंह :** महोदया, मेरा बिहार राज्य, ऐसा पहला राज्य है, जहाँ नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले एपीएमसी एक्ट समाप्त किया था। आज वहाँ एक एकड़ में किसानों की आमदनी कितनी है? 3,000 रुपए है। पंजाब और दीपेन्द्र हुड्डा जी के राज में सबसे ज्यादा -- मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ मंडियाँ काम कर रही थीं, जहाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है, वहाँ एक एकड़ में किसानों की आमदनी 15,000 से ज्यादा है और आप भी यही कानून ला रहे हैं।

मैडम, डंकल प्रस्ताव आया था, उस समय भी विरोध हुआ था। विरोध क्यों हुआ था? क्योंकि किसानों के बीज पर आक्रमण हो रहा था। आप जो भी कानून ला रहे हैं, कृषि मंत्री जी भी भाषण देकर चले गए, यह सीधा खेती और खलिहान पर आक्रमण है।...(व्यवधान)...आप इसमें बरगला नहीं सकते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Please address the Chair. Hon. Member, please address the Chair, and you will have to start concluding.

**श्री अखिलेश प्रसाद सिंह :** जब आप खेती और किसान पर आक्रमण करेंगे, तो किसान खड़ा होगा। उस दिन भी इसी बात का जिक्र किया गया था। आप अपने पिछले कार्यकाल में भी Land Acquisition Bill लाए थे, जमीन अधिग्रहण का बिल लाए थे। उस समय भी जब किसान खड़ा हुआ, तो आपको बिल वापस लेना पड़ा था। आप अहं और अहंकार की लड़ाई कॉंग्रेस पार्टी से जरूर लड़िए, विपक्ष की पार्टियों से जरूर लड़िए। यह हो सकता है कि राहुल गांधी जी ने पंजाब में पहले कोई ट्रेक्टर रैली कर ली हो, तो उनसे आपको समस्या हो सकती है। आपको जितनी सिक्योरिटी कम करनी है, इस तरफ के नेताओं की कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है, प्रतिपक्ष के नेताओं का घर खाली करवा लीजिए, कोई समस्या नहीं है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Please conclude.

**श्री अखिलेश प्रसाद सिंह :** लेकिन किसानों के खेत और खलिहान पर आक्रमण करना बंद करिए, नहीं तो एक बार जब यह किसान खड़ा होगा, तो आपके लिए शासन चलाना मुश्किल हो जाएगा, यह बात मैं आपको कहना चाहता हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Thank you. Your time is over. In fact, two minutes, you have been given extra.

**श्री अखिलेश प्रसाद सिंह:** मैडम, हमें बिहार के फैक्ट्रस तो रख लेने दीजिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): I am sorry; but time does not allow. The schedule does not allow. Please conclude.

**श्री अखिलेश प्रसाद सिंह :** मुझे दो मिनट और दीजिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Please conclude.

**श्री अखिलेश प्रसाद सिंह :** पिछले चार वर्षों में, 2017-18 में 20 हजार मीट्रिक टन गेहूँ खरीदा गया, जो बिहार प्रदेश की पूरी उपज का 0.29 परसेंट था।

SHRI ANAND SHARMA: Madam, he knows it. The MoS, Parliamentary Affairs....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Let him speak.

**श्री अखिलेश प्रसाद सिंह :** वर्ष 2018-19 में 17,504 मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद हुई थी, जो कि प्रदेश की पूरी उपज का 0.27 परसेंट था। 2019-20 में 2,815 मीट्रिक टन गेहूँ खरीद हुई, जो कि पूरी उपज का 0.4 परसेंट था और 2020-21 में अभी तक केवल 5,000 मीट्रिक टन गेहूँ ही खरीदा गया है। इस वर्ष बिहार प्रदेश पूर्ण उपज का 0.81 परसेंट है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद में कमी का एक बहुत बड़ा कारण प्रदेश में procurement centers की कमी है। यह केवल मैं नहीं कह रहा हूँ। वहाँ कृषि विभाग के सचिव ने भी भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में ये बातें स्वीकार की हैं कि वहाँ milling facilities नहीं हैं, वहाँ procurement centers नहीं हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Hon. Member, please conclude. You have already exceeded three minutes.

**श्री अखिलेश प्रसाद सिंह :** मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब पहली बार, यूपीए वन की सरकार थी, तब एफसीआई ने सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 15,00,000 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी की थी और यही आज तक रिकॉर्ड है। आप कहीं भी पता कर सकते हैं, जबकि वहाँ धान का 70 से 80 लाख मीट्रिक टन marketable surplus है। जो marketable surplus गेहूँ का है, उसका हमने आपको ब्यौरा दिया है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि APMC का सबसे पहला प्रयोग बिहार में हुआ और अगर पूरे देश में किसानों की माली हालत सबसे ज्यादा कहीं खराब है, तो वह बिहार में है, जहाँ के मुख्य मंत्री नीतीश कुमार जी हैं और पिछले 15-16 साल से आपके साथ वहाँ डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। तो पूरे देश का क्या होने वाला है, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है।

अंत में, मैं कहना चाहता हूँ कि आप भाषण कितना भी कर लीजिए, लेकिन वास्तविकता से नहीं भाग सकते और वास्तविकता यही है कि किसान आपकी मंशा और मंसूबा अच्छी तरह से समझ चुके हैं और इसीलिए लाखों की संख्या में दिल्ली आकर घेरा और डेरा डालकर बैठे हुए हैं।

जब तक आप इन तीनों किसान बिलों को वापस नहीं लेंगे, तब तक किसान हटने वाले नहीं हैं, वे वैसे ही डटे रहेंगे और हम उनके सपोर्ट में हैं, पूरी 16 पार्टीज़, उस समय भी जब आप यह कानून ला रहे थे और इस पर चर्चा हो रही थी, तब भी हमने यह कहा था। धन्यवाद मैडम। जय जवान, जय किसान।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Now, Sardar Balwinder Singh Bhunder. You have four minutes.

**सरदार बलविंदर सिंह भुंडर (पंजाब):** मैडम वाइस चेयरमैन साहिबा, चूंकि टाइम कम है, इसलिए मैं सीधे to the point आता हूँ। यहाँ रुपाला जी बैठे हैं और अभी तोमर जी बोलकर गए हैं। इन्होंने पूछा है, मैं केवल उसी प्वाइंट पर बात करूँगा, जो कि अभी सबसे hot issue है कि इसमें काला क्या है? आप हमारे साथी हैं और हम आपके साथी रहे हैं। मैं चोट नहीं करूँगा, जो असलियत है, वह मैं बताऊँगा, क्योंकि आप भी किसान हैं और हम भी किसान हैं। इसमें काला है, इसीलिए 72 दिनों से यहाँ बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, सारे हिन्दुस्तान के किसान सड़कों पर आ गए हैं और 190 किसान शहीद हो गए हैं। उनके लिए पहले तो हम अपना सिर झुकाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनकी इतनी कुरबानी है। दूसरा, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आखिर यह क्यों हो रहा है? वे लोग यहाँ क्यों डेरा डाले बैठे हैं, जबकि अभी ज़ीरो डिग्री की सर्दी है। वह गर्मी में 45 डिग्री के तापमान में भी काम करता है। वह बारिश में भी यहाँ बैठा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि यह जो सम्बोधन है, इसके paragraph no. 18 में आपने सबसे पहले लिखा है- 'आत्मनिर्भर भारत।' दूसरा, इसमें आपने उसकी double income की बात कही है। इसे आप कैसे करेंगे? 'Seed to Market' system so that Indian agriculture is modernized and also sees growth. मैं इतनी ही लाइन पर बोलूँगा। इसमें hidden agenda है। यही एक बात है, जो किसानों की समझ में आ गई है।

ऐसे कानून, जो WTO के pressure पर इस देश में भी आ रहे हैं, ये कानून पहले यूएसए और European countries में भी आ चुके हैं। इसका कारण यह है कि इंडिया का फार्मर एक एकड़ से लेकर पाँच एकड़ तक 80 परसेंट है। अगर उसको आप 60 एकड़ तक ले जाओ, तो वह 90 परसेंट तक हो जाएगा। आप कहते हैं कि contract farming होगी। आपने Essential Commodities Act बदल दिया और आपने Trade Act बदल दिया। आपने मंडियों के साथ open market दे दी और contract farming दे दी। जब कंपनियाँ आएँगी, तो क्या उनके साथ दो एकड़ या तीन एकड़ वाला किसान मुकाबला कर लेगा? मैं कहता हूँ कि बड़े यूनिट्स जरूर बढ़ेंगे, जैसा कि USA में या यूरोपियन कंट्रीज़ में हुआ है। वहाँ एक संस्था है। वहाँ ऐसी चार-पाँच कंपनीज़ हैं, जो global market में इस बिज़नेस में हैं। उनका share 59 परसेंट है और उन कंपनीज़ का जो agreement होता है, उसको TRIPS Agreement बोलते हैं। उस पर यूएसए में 'The Food System: Concentration and Its Impact' नाम से एक स्टडी कराई गई। उस स्टडी में यह साबित हुआ कि जो 15 परसेंट कंपनीज़ थीं, वे पहले 2,000 एकड़ पर किसानों से ज़मीन लेकर काम करती थीं, फिर आहिस्ता-आहिस्ता किसान out होता गया और अब वे 40 परसेंट हो गईं। यही बात हिन्दुस्तान में होगी कि एक-दो साल बाद open market में मुकाबला नहीं होगा और

गवर्नर्मेंट वापस चली जाएगी, क्योंकि जब मार्केट में कोई आएगा ही नहीं, तो वह 20-30 ज्यादा दे देगा। मार्केट फेल हो जाएगी, उसमें monopoly हो जाएगी। जब दो साल बाद उसकी monopoly हो जाएगी, तो फिर "सीड से मार्केट" में seed भी उसका, pesticide भी उसकी, fertilizer भी उसकी और processing भी उसकी होगी। फिर वह जो रेट चाहेगा, वह रेट देगा, क्योंकि न तो उसका होल्डिंग पर कंट्रोल होगा। उसकी जो contract farming है, आहिस्ता-आहिस्ता फार्म निकल जाएगा। आप कहते हैं कि ज़मीन कैसे जाएगी। जब बड़ी कंपनियां आ जाएंगी और दो-तीन साल बाद उनके पास monopoly चली जाएगी, वे अपनी मर्जी के रेट देंगी। आपने यह कहां लिखा है कि हम लीगल गारंटी देते हैं कि एमएसपी के नीचे मार्केट प्राइस नहीं जाएगा, उसके नीचे कोई प्राइवेट कम्पनी नहीं खरीदेगी। आप यह क्यों नहीं करते? किसान ये मांगते हैं, आप कर दीजिए, फिर किसान शांत हो जाएंगे।

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN):** Hon. Member, you will have to start concluding. आपको conclude करना पड़ेगा।

**सरदार बलविंदर सिंह भुंडर :** मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो बहुत मीठा बोल रहा हूं।

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN):** Sorry, Sir. Everybody is speaking very relevant. Unfortunately, लेकिन time सीमित है।

**सरदार बलविंदर सिंह भुंडर :** मैं आउट ऑफ सब्जेक्ट नहीं बोल रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं।

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती वंदना चव्हाण) :** आपको समय का पालन करना पड़ेगा।

**सरदार बलविंदर सिंह भुंडर :** मैं सही बात बोल रहा हूं।

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN):** Sir, what can I do? There is a time-schedule.

**सरदार बलविंदर सिंह भुंडर:** मैं कहना चाहता हूं कि उसकी ज़मीन ऐसे जाएगी, जब प्राइस पर कंट्रोल नहीं रह जाएगा- हमने तो कंट्रोल की कहीं लीगल गारंटी नहीं दी- तो आहिस्ता-आहिस्ता किसान कर्जदार हो जाएगा, वह कंपनी ज़मीन ले लेगी और कंपनी का कंट्रोल हो जाएगा। फिर जो essential act है, उसके तहत होल्डिंग है, तो कंज्यूमर भी मर जाएगा और producer भी मर जाएगा। दुनिया में कहीं भी वे producer कामयाब हैं, जिनकी monopoly है। किसी भी चीज़ के producer के लिए यह फार्मूला है कि वह producer फेल होता है, जिसकी monopoly नहीं है। वह competition में कामयाब नहीं होता और उसका असर consumer पर पड़ता है, उसका फायदा बिचौलिये ट्रेडर्स उठाते हैं। पहले तो थोड़े से ट्रेडर्स थे, उनसे किसान टकरा जाते थे, अब तो पांच हज़ार आ जाएंगे, वर्ल्ड में पांच हज़ार कंपनियां रहेंगी, जिनका ग्लोबल मार्केट में 59 परसेंट शेयर हैं। उनसे किसान कैसे मुकाबला करेंगे? वे तो वकील को 5 लाख रुपये दे देंगे,

लेकिन किसान पैसे कहां से लाएंगे? इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस कानून को वापस लीजिए और इस कानून पर किसानों के साथ दोबारा चर्चा कीजिए। आपने अगर हमारी बात पहले मान ली होती तो हम आपसे अलग नहीं होते, आपका प्यार रहता और हमें इस्तीफा भी नहीं देना पड़ता। किसान को बाहर न होना पड़ता, देश डिस्टर्ब न होता।...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Bhunder sahab, please conclude.

**सरदार बलविंदर सिंह भुंडर :** मैं प्रधान मंत्री जी को अपील करना चाहता हूं कि यहां एक डेमोक्रेसी है, लोग सरकार बनाते हैं, लोगों के लिए सरकार बनती है और लोगों के लिए ही सरकार काम करती है। कोई बात नहीं, हम हाथ जोड़कर कहते हैं, किसानों की तरफ से कहते हैं कि आप किसानों के पास जाएं, उनकी बात सुनें, देखें किसान कैसे आपका स्वागत करेंगे। सभी पार्टी के एक-एक लीडर जाएं, उनके जाने से ही किसान खुश हो जाएंगे।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Bhunderji, please conclude. Bhunderji, please address the Chair.

**सरदार बलविंदर सिंह भुंडर :** उनसे चर्चा के बाद यह समस्या हल हो जाएगी। मैं कहना चाहता हूं कि आप किसान को दुश्मन मत समझिए, किसान मित्र हैं। अगर जय जवान है, जय किसान है, तभी जय हिन्दुस्तान है। इसलिए हम हिंसा के खिलाफ हैं, हम तो वे लोग हैं, जिन पर गोलियां चली हैं। हम लोगों ने मुकाबला किया है, यह देश हमारा है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): So, I will have to take the next name. Thank you, Bhunderji.

**सरदार बलविंदर सिंह भुंडर :** हमारे 5-10 लाख लोग मारे गए और देश आजादी का जश्न मना रहा था। हमारे बुजुर्ग, हमारे माता-पिता ने आजादी के लिए जलियांवाला बाग में कुरबानी दी।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Thank you, Bhunderji. I will have to take the next name because you are not even looking at the Chair. Now, Mr. Alphons.

**सरदार बलविंदर सिंह भुंडर :** सरदार करतार सिंह सराभा आदि ने कुरबानियां दीं। उन्होंने इस देश की इज्जत के लिए कैसे अपना शीश कटाया है। हम पर शक किया जा रहा है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Bhunderji, please. Thank you. Now. Mr. Alphons. ...(*Interruptions*)... Bhunderji, you are a very senior Member. Please. Yes, Mr. Alphons. Please start.

SHRI K.J. ALPHONS (Rajasthan): Madam, I rise to speak, to support the motion to thank the President for his Address. Madam, how many minutes do I have?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): You have twelve minutes to speak.

SHRI K.J. ALPHONS: Please give me a warning just one minute before when my time is due and I will sit down.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Sure. Thank you.

SHRI K.J. ALPHONS: I would like to touch upon the macroeconomic fundamentals of this country because even last year, in my speech, I spoke about the macroeconomic fundamentals. Madam, the global economy has collapsed because of the pandemic. Every country's economy has collapsed. It is worse than the 1929 depression. The global growth rate has come down. It has shrunk. Global economy has shrunk by 4.4 per cent. In the first quarter of last year, our economy shrunk by 23.9 per cent, close to 25 per cent. Madam, we are closing the year most probably with the negative growth rate of 7.7 per cent.

**1.00 P.M.**

And just look at the fundamentals. Even during this period, the expenditure by the Government has gone up by 28 per cent. Last year, the expenditure was about Rs. 30.2 lakh crores and during this pandemic year, the expenditure was Rs. 34.5 lakh crores, which is an increase of 28 per cent. Madam, the budgeted capital expenditure was only Rs. 4.12 lakh crores, but, we went up to Rs. 4.39 lakh crores, and for the next year, we are allotting Rs. 5.54 lakh crores, which is an increase of 34.5 per cent. This is dramatic. Now, look at the inflation. The inflation between April and December was about 6.6 per cent; it was little high only because of the breakdown in the supply chain. Now, it has come down to 4.6 per cent in December. During the six years of NDA rule, Modi Government, inflation has been well below 5 per cent against 10.1 per cent during the UPA rule. Jairam Rameshji you are an expert in Economics. What was the inflation for food items? It was 15-20 per cent. Most of the time, it was hovering around 17.5 to 18 per cent during the Congress rule. So, now the inflation is well within control. Madam, about fiscal deficit, I would like to say

that we are Keynesians in a way, fundamentally, which basically says to put purchasing power in the hands of the people during trouble; but these are things which we do not do which Keynes' prescribed. He said that if there is nothing else to do, dig trenches, pay money to the people in the evening, fill it up again. We do not do that. We spend the money on infrastructure. This is where we are not exactly Keynesians. We had five mini Budgets, through which Rs. 27.1 lakh crores were set aside as stimulus package during corona. And look at the FDI. During times of trouble, where does the world put money in? The largest FDI in the world came to India during the pandemic. Now, let us come to the stock exchange. You may ask what the relevance of stock exchange is. Madam, when we came to power, the BSE index was around 27000; it had reached 49000 earlier. What is the BSE index today? Just about an hour back, it was 50900 on the BSE index. It had come down to 25,300 during March-April, but it has gone up now and peaked. Why? Let me tell you that it is very easy to make speeches. When people put money into stocks, when people put money into the exchange, it manifests the confidence of people in that Government; that is the confidence of people in the Prime Minister of that country. The people have put money there. It is very easy to shout slogans. When people put money, they ask who is able to govern, who is able to deliver. Therefore, stock exchange, in a way, I am not saying ultimate, is indicative of the confidence of the people in Government. Now, look at the foreign investment in the stock market. In November itself, Madam, 9.8 billion dollars came into the stock market. This is the highest anywhere in the world. Madam, International Monetary Fund's Chief Economist, Gita Gopinath, said that India is going to grow at 11 per cent in the year 2021-2022, and China is going to grow at only 8.1 per cent. So, in the coming year, India is going to be the fastest-growing large economy in the world, and the year after that, we are going to grow at 6.87 per cent, which again is going to let India to continue to be the highest fastest-growing economy in the world. Madam, world has trust in us, and look at the way we handled this pandemic. I am very happy that there are some people sitting in the Opposition are magnanimous, and who are realists. I am extremely thankful to Mr. Anand Sharma for those very kind words. He said he has been very bipartisan in the subject Committee. But, I saw a sense of fear in him, when he stood up to speak. He said, 'sorry, even though I said that, I would like to dilute it'. I am sorry, Anand Sharmaji, you are a good man, continue to be a good man; do not turn bad; be good; that is a good thing.

Madam, I participated in over 50 debates on the Agriculture Bill. We keep saying '*Jai Jawan Jai Kisan*'. I am possibly both because my father fought the Second World War, and he quit the British Army in 1946, because they did not give us

Independence. So, in protest, he quit and came back home to be a teacher.

The British came after him. He ran away to Poona to a place called Satara, where I was conceived, and, of course, I was delivered in Kerala. He became a school teacher. In my family we are nine children. Before my father went to school, all of us nine children used to be lined up and made to work on the ground in the field. We produced everything that was required for the family. Today, Madam, I have 34 people staying in my Government bungalow. Very thankful to Mr. Hardeep Puri for the house; I have 34 people staying there, who are all unemployed. We produce every vegetable that is required in my family. Hoodaji, where are you? Your family governed Haryana for so many years; and now you are coming and talking here that the farmers there are not well-off. Madam, I don't understand the logic even after participating in 50 debates as to what is wrong with the Agri legislation at all. I cannot find out even a single point. Put your money where your mouth is. What did you do under MSP? We have paid 72.5 per cent more for wheat under MSP than you people in five years from 2009 to 2013. We have paid 139.6 per cent more for paddy than what you haD paid in five years. I don't understand where we have gone wrong? from Rs.1350 per quintal, we have increased the price of wheat to Rs.1925. For paddy, we have increased from Rs.1345 to Rs.1888. Is it not real money? And these 72 per cent and 139 per cent increase is it not real? Digvijaya Singhji, you talked about realities. Digvijaya Singhji, I am talking about reality and numbers. You tell me one fraction of any number which I am telling you is wrong. Mr. Digvijaya Singh, please tell me. ...*(Interruptions)*.. Let us talk numbers. For pulses, you paid Rs.326 crores in your entire five years; we paid Rs.10,540 crores for pulses alone. Is it not? ...*(Interruptions)*.. When we paid Rs. 1,13,000 crores to the farmers under PM Kisan Nidhi, is it not money which has gone to the farmers? When we paid to 42 crore Jan Dhan Account holders, thirteen-and-a-half lakh crores, is it not real money? ...*(Interruptions)*.. I am not conceding. ...*(Interruptions)*.. We will debate outside in the coffee shop. ...*(Interruptions)*.. Is it not real money? Madam, is it not money that is going to the farmers because more than 50 per cent of the people in this country depend on farming? This thirteen-and-a-half lakh crores which we have given into the Jan Dhan Accounts, is it not money that has gone to the farmers? Tell me. Let me come to the health sector. Madam, 137 per cent is fantastic. But let me tell you some of the dramatic things which the Modi Government has done. You know child mortality has come down from 3.4 millions in 1990 to 824000 in 2020. Infant mortals have come down from 89 in 1990 to 28 in 2019. Take maternal mortality rate: it has come down from 212 in 1990 to 113 in 2018. These are the dramatic achievements of the Modi Government.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Hon. Member, you have one minute more to speak. ...*(Interruptions)*.. One minute. ...*(Interruptions)*..

SHRI K.J. ALPHONS: Okay, Madam. Let me come to this entire agitation. Please, it is very easy to be disruptive. For us MPs, the most powerful weapons are these five buttons on the panel here. When we want to say something, let us say something. Revolution takes place in the mind. Bombs are not made of chemicals. If we sow the seeds of hatred against the Government and country, bombs will be made. When you sow the seeds of hatred against the Government, my dear people, my dear parliamentarians, you are sowing seeds of extremism. Here a lot of people tried to make small of whatever happened in the Red Fort. Madam, that was treason. If this is not treason, what is it? Tell me, if this is not treason. Who is responsible? Have a backbone. If you are leading an agitation, Mr. Tikait, and then you tell people, 'take rods with you, please remember to make sure that you have lathis with you', you know what was going to happen. Finally, you shed tears and say, 'Sorry, I did not know!' Have backbone, you people, you leaders out there, who support and sow the seeds of hatred against the Government! Remember that a bomb is not made anywhere. It is made in the human mind. Weapons are made in the human mind. It took only ten people to destroy the U.S...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Please address the Chair and conclude.

SHRI K.J. ALPHONS: Please don't do this. Let us build this country. Here is the Prime Minister, here is the Government which has done miracles and let us support it.

SHRI DIGVIJAYA SINGH (Madhya Pradesh): Madam, I would like to intervene and take just a minute. Hon. Member has a very checkered career from IAS to being in different political parties and, finally, in the BJP. I would like to...

SHRI K.J. ALPHONS: I did not belong to any political party. ...*(Interruptions)*... I was an independent MLA.

SHRI DIGVIJAYA SINGH: It is fine. I am responding to that. You had a very checkered career. I admire you. The point I am trying to make this Sir, he is quoting figures from 1990 to 2021. Out of the 31 years, I challenge him on every issue that he pointed out,

in any debate and in any forum. The last point is on the treason for not hoisting our National Flag or flying any other flag on Red Fort. What about the treason of the RSS which did not hoist our National Flag from 1947 to..... ....(Interruptions)... What about the treason of the RSS?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Now, it is over. The next speaker is Dr. Sasmit Patra. ....(Interruptions)...

Dr. Sasmit Patra, you have three minutes but you can take four minutes.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Madam, thank you. Let me commence, Madam. आपने आज Motion of Thanks पर बोलने के लिए यह अवसर दिया, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। मैंने सोचा तो यह था कि कुछ और बोलूँ, लेकिन कल मेरे बड़े भाई, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसी सदन में मुझे एक सुझाव दिया और कहा कि सस्मित, तुम अपने Address में इस बात को रखना कि बीजू जनता दल यह क्यों कहता है कि स्वामीनाथन कमिशन रिपोर्ट को आप लागू कराइए। वे बड़े भाई हैं, मेरे अति-आदरणीय हैं, इसलिए मैंने सोचा कि धर्मेंद्र जी की बात रखी जाए। इसी बारे में, मैं तीन-चार मिनट में अपना वक्तव्य रखूँगा।

पहली बात यह है कि बीजू जनता दल क्यों मानता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस में, जो स्वामीनाथन कमिशन के हिसाब से डेढ़ गुना वृद्धि की बात की गई है, उसे उचित तरह से implement नहीं किया गया है। उसके बारे में चर्चा करने से पहले पिछले साल अक्टूबर में स्वामीनाथन जी क्या कहते हैं, यह भी जानना जरूरी है। वे कहते हैं "When we recommended 50 per cent over costs, we meant complete costs called C2." वे कहते हैं कि जब मैंने डेढ़ गुना वृद्धि की बात की थी, वह डेढ़ गुना वृद्धि A2FL पर नहीं थी, वह C2 पर थी। यह A2FL और C2 क्या है? A2 वह है - किसान जो बीज खरीदता है, वह फर्टिलाइज़र खरीदता है, वह pesticides खरीदता है, वह A2 का cost होता है, cost of production. FL जो होता है, वह family labour होता है। उसका परिवार जो काम करता है, उसकी एक value, एक कॉस्ट, एक कैपिटल होती है, वह होती है - एफएल। C2 क्या होता है? इन सारी चीजों को मिला दीजिए और साथ में लैंड का रेंटल जोड़ दीजिए, अगर वह कुछ इंटरेस्ट ले रहा है, उसको जोड़ दीजिए, तो टोटल बनता है - C2. स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट क्या कहती है? आप C2 adopt करिए। क्या यह सरकार ने किया? नहीं किया। यह क्यों नहीं किया, यह मैं आपको बताता हूँ। मैडम, यह जो रिपोर्ट है, यह है सीएसीपी का तथ्य। सीएसीपी क्या होता है - Commission for Agricultural Costs and Prices. सीएसीपी हर साल हर फसल का अपना एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाता है। यह मैं 2018-19 का आपको दिखा रहा हूँ, जो कि 98 पेज में लिखा गया है। जब 2018-19 में एमएसपी में डेढ़ गुना वृद्धि की गई थी जैसा कि केंद्र सरकार कहती है, तो उन्होंने क्या इसे C2 के ऊपर बढ़ाया? मैं एक ही फसल का नाम लेना चाहता हूँ - धान का। धान के संबंध में सीएसीपी कहता है - C2 cost 2018-2019 के लिए 1,560 रुपए था। मान लीजिए केन्द्रीय सरकार ने कमीशन की बात रखते हुए डेढ़ गुना वृद्धि की होती, तो C2 cost 1,560 रुपए के ऊपर डेढ़ गुना होती, तो कितनी होती, तो यह 2,340 रुपये होती। लेकिन इसमें कितनी वृद्धि हुई है? यह बढ़कर

1,750 रुपए हो गयी है। यह 1,750 रुपए कहां से आए? इसलिए पहली बात स्पष्ट है कि स्वामीनाथन जी और उनकी कमेटी कहती थी कि C2 पर डेढ़ गुना बढ़ाइए, लेकिन आपने उसको बढ़ाया नहीं, तो यह 1,750 कहां से आता है? हम थोड़ा पीछे चलते हैं, यह उसी में लिखा है। A2 FL की total cost धान की कितनी आती है, 1,166 रुपए आती है। आप 1,166 का डेढ़ गुना कर दीजिए, तो यह कितनी आती है, यह 1,749 रुपए आती है। यह सरकार ने किया। इसका मतलब है कि जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में बोला गया कि आप उसको C2 पर डेढ़ गुना करिए। इस हिसाब से धान पर यह 2,340 रुपए प्रति किंवटल पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन आप उस कीमत पर नहीं पहुंचे, आप 1,750 रुपए पर पहुंचे। इससे किसानों को नुकसान हुआ है।

उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं एक छोटी-सी बात कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। मेरे पास तीन मिनट का समय है, मैं इससे ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक चीज़ स्पष्ट है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो फिक्स होना चाहिए था, वह हुआ नहीं है। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को बीजू जनता दल के विधायक लाए थे, कांग्रेस के विधायक लाए थे और कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक लाए थे, उन्होंने एक यूनैनिमस रेजोल्यूशन 2018 में पास किया। उन्होंने कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2,930 रुपए प्रति किंवटल होना चाहिए। आप बताइए, हम इस समय 1,700 पर लड़ रहे हैं, 1,800 पर लड़ रहे हैं या 1,900 पर लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बंधु ओडिशा में हैं, जो कह रहे हैं कि 2,930 रुपए धान का मूल्य होना चाहिए। ये ऐसा क्यों कह रहे थे? उपसभाध्यक्ष महोदया, यह जो 2,340 रुपए होना चाहिए था, यह C2 x1.5 होना चाहिए था, उसके ऊपर 25 प्रतिशत लैंड कॉस्ट जुड़ती है और तब 2,930 रुपए बनते हैं। ओडिशा की विधान सभा में सर्वसम्मति से सारे विधायक मिलकर एक स्वर में बोले थे कि हमारे किसानों के लिए 2,930 रुपए धान का मूल्य होना चाहिए। मेरा यह सवाल है। धर्मेंद्र भाई, आज यहां पर नहीं हैं, मगर वे भी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे, मैं तो बीजू जनता दल के विधायकों की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस के विधायकों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन्हीं की पार्टी के विधायकों की बात कर रहा हूं। जब वे ओडिशा की विधान सभा में एक स्वर से कहते हैं कि धान का भाव 2,930 रुपए प्रति किंवटल होना चाहिए, C2 x1.5 होना चाहिए, 2,340 रुपए होना चाहिए और उसके ऊपर 25 प्रतिशत लैंड कॉस्ट मिलाकर टोटल 2,930 रुपए बनते हैं, आप यह किसानों को दीजिए, लेकिन सदन में हम कहते हैं कि हमने पारित कर लिया, तो फिर क्या वे गलत हैं या ये गलत हैं? इसलिए मैं एक चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूं - मेरे नेता माननीय मुख्य मंत्री श्री नवीन पट्टनायक जी के बारे में और जिस तरह से कल मेरे बड़े भाई धर्मेंद्र जी ने बोला कि मेरे वरिष्ठ नेता श्री प्रसन्न आचार्य जी इस बारे में गुमराह कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि हाउस गुमराह नहीं है, हाउस को गुमराह नहीं किया जा सकता। ओडिशा और भारतवर्ष के बहुत सारे लोग देख रहे हैं और सभी के पास यह स्पष्ट मैसेज जाएगा, इन तथ्यों के साथ कि अगर आप स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करते हैं, C2 के हिसाब से करेंगे, तो किसानों को फायदा होगा। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN):** Now, Shri Neeraj Shekhar, you have twelve minutes to speak.

**श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश):** उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जो 29 तारीख को महामहिम के अभिभाषण के समय हुआ, जो 16-17 पार्टियों ने अभिभाषण का बहिष्कार किया, वह बहुत दुखद घटना है। मेरा जितना भी अभी तक संसदीय जीवन रहा है, उसमें मैंने ऐसी घटना नहीं देखी, जब पूरा विपक्ष राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सुनने के लिए नहीं आया। यह काम सरकार के विरोध में नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति का जो संवैधानिक पद है, जो हम लोगों के देश का सर्वश्रेष्ठ पद है, उसका अपमान है। मुझे आश्चर्य हो रहा है और यह हास्यास्पद इसलिए लग रहा है कि भाषण सुनने के लिए तो लोग नहीं आए, लेकिन यहां भाषण देने के लिए सब लोग उपस्थित हो गए हैं, यहां पर अपनी बात कहने के लिए सब लोग उपस्थित हो गए हैं। आप लोग आकर भाषण दे रहे हैं और यही बात मैं कहना चाहता हूं। जो मेरे किसान भाई दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, मैं उनसे यह बात कहना चाहता हूं कि इन लोगों को आप जरूर पहचानिए। कल मेरे उधर के माननीय सदस्य खड़े होकर बहुत जोर-जोर से भाषण दे रहे थे कि कितना अन्याय हो रहा है। अगर आप किसानों के कष्ट के बारे में जानते तो जानते कि इस सरकार ने किसानों के लिए क्या-क्या किया है, कैसे किसानों की जिंदगी को खुशहाल कर आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि इनको पहचानिए। ये लोग चाहते हैं - कुछ लोग बोल रहे थे कि वे चाहते हैं कि पंजाब में उनकी सरकार आ जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि हरियाणा में वे लोग फिर से आ जाएं, इसीलिए वे लोग यहाँ भाषण दे रहे हैं। उनके मन में आपके प्रति कोई संवेदना नहीं है, आपके लिए कुछ नहीं चाहते हैं, वे लोग सिर्फ इसलिए हैं ताकि उनकी सरकार आए। वे सत्ता में आना चाहते हैं। हमारे कई वरिष्ठ नेता चले गए हैं, श्री गुलाम नबी आज़ाद चले गए, आदरणीय दिग्विजय जी हैं, जयराम रमेश जी हैं, मैं और लोगों से भी कहना चाहूंगा, आदरणीय मनोज जी नहीं हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग अपनी पार्टियों का निर्णय लें। आपके जो युवराज हैं, यदि आप उनके कहने पर चलेंगे, तो आपकी पार्टी 415 से 40 पर पहुंच गई है, अगली बार 5 पर पहुंच जाएगी। इसलिए आपके जो वरिष्ठ नेता हैं, आप उनकी बात सुनिए। हमारे नेता ने लगातार किसानों के लिए काम किया है और काम करके दिखाया है। मैं कहना नहीं चाहता था, हमारे आदरणीय मंत्री जी ने सारी बातें कह दी हैं, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन आज आप देश के किसान से पूछेंगे कि आप बिलकुल बात ही नहीं सुन रहे हैं, तानाशाह हो गए हैं, आप किसी की बात नहीं सुनना चाहते, सरकार किसी की बात नहीं सुनना चाहती आदि-आदि। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या तानाशाही यह होती है? आदरणीय जयराम रमेश जी, तानाशाही यह होती है कि जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी, तब हमारे पिताजी 19 महीने जेल में थे। तानाशाही वह नहीं थी - वे जेल गए, वह बात दूसरी है, लेकिन 19 महीने हमसे कोई मिलने के लिए नहीं आया। एक आदमी के डर से कोई मिलने नहीं आता था। यह तानाशाही होती है। तानाशाही यह होती है कि हमारे पूर्व प्रधान मंत्री आदरणीय नरसिंहा राव जी जब पद से हटे तो उनका घर कांग्रेस मुख्यालय से आधा किलोमीटर दूर भी नहीं था, लेकिन उनसे एक भी व्यक्ति मिलने नहीं जाता था। यह तानाशाही होती है, तानाशाही वह नहीं होती है।

कल हमारे एक मित्र खड़े होकर हमारे प्रधान मंत्री जी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे थे कि उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली, उन्होंने यह कर लिया आदि। आपको इससे क्या लेना है? क्या आपके बोलने का यह स्तर है? बंगाल में क्या हो रहा है? आप कह रहे हैं कि हमारी मुख्य मंत्री चप्पल पहनती हैं, तो क्या चप्पल पहनने से कोई महात्मा गाँधी हो जाएगा? महात्मा गाँधी बनने के लिए

परिश्रम करना पड़ेगा, कुरबानी देनी पड़ेगी। मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे प्रधान मंत्री जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों हो रही है? अगर हमारे प्रधान मंत्री जी कुछ कर रहे हैं, तो आप उनके कार्यों को देखिए। प्रधान मंत्री की शक्ति देखने के लिए इस देश ने उनको प्रधान मंत्री नहीं चुना है। उनको चुना गया है और वे देश के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने पूरे विश्व में देश का मान-सम्मान बढ़ाया है, उन्होंने इसलिए काम किया है। मैं आश्चर्यचकित था, हमारे मित्र बोल रहे थे, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं, मैं इस चीज़ को जानना चाहता हूं कि "आयुष्मान भारत" को वहाँ, बंगाल में क्यों नहीं लगाया गया? उसको वहाँ क्यों नहीं लागू किया?

### (उपसभापति महोदय फीठासीन हुए)

मैं इसको जानना चाहूंगा। वे कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पहले से हैं। बंगाल में उनकी कोई योजना पहले से ही चल रही है। मैं कहूंगा कि आप इसको भी जोड़ लीजिए। आप केंद्र की भी योजना जोड़ लीजिए और वहाँ के लोगों को 5 लाख की जगह 10 लाख रुपये दीजिए। आप यह क्यों नहीं कर सकते हैं? आप यह इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आप प्रधान मंत्री का नाम नहीं जोड़ना चाहते हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी का तो यह स्वभाव है कि वे अपना नाम नहीं जोड़ते हैं। सारी योजनाएं प्रधान मंत्री से हैं, जैसे "प्रधान मंत्री सम्मान निधि" आदि। पहले तो नाम जोड़ा जाता था कि इस प्रधान मंत्री की योजना है। आज यह प्रधान मंत्री है, कल कोई और होगा, तो वह उस प्रधान मंत्री की योजना है। इसलिए मैं चाहूंगा, मैं बंगाल के अपने साथियों से कहूंगा, मैं बंगाल के लोगों से अपील करूंगा कि आप इस बात को जानिए कि कौन सी सरकार आपके लिए काम करेगी, आपके विकास के लिए काम करेगी, आपके सम्मान के लिए काम करेगी।

महोदय, मैं एक चीज़ कहना चाहता था। मेरे पास समय कम है, लेकिन जो धारा 370 हटी है, मैं उसके बारे में जरूर कहना चाहूंगा। मेरा मानना है कि पिछले कई सालों में यह सबसे अच्छा काम हुआ है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं - हो सकता है कि व्यक्तिगत रूप से यह मेरा मन है, क्योंकि उसके पहले हम जब भी भाषण देते थे, तो हमें बार-बार यह बात दोहरानी पड़ती थी कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इसका क्या मतलब है? वह पहले भी अभिन्न अंग था, आज भी है, लेकिन हम लोग पहले ऐसा बोलते थे, क्योंकि हमारे मन में कहीं कोई शंका थी कि वह हमारा अंग नहीं है, परंतु अब धारा 370 हटने के बाद लोगों ने लगातार यह बात कहनी बंद कर दी है। यह बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं पता है कि आप लोग क्या सोचते हैं, लेकिन जो आम आदमी है, वह इस बात से जुड़ा हुआ है। उसे लगता है कि हाँ, कश्मीर अब हमारा एक अभिन्न अंग है और हमारे साथ है। आदरणीय गुलाम नबी जी कह रहे थे कि उसे Union Territory क्यों बना दिया गया। मैं चाहूंगा कि हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, ये बताएं उनको। लेकिन क्या आपने लद्धाख के लोगों के बारे में सुना है? आप उनके बारे में सोचिए। लद्धाख के लोग Union Territory बनने के बाद बहुत खुश हैं। वहाँ अच्छे काम हो रहे हैं, वहाँ विकास के काम हो रहे हैं। भारत सरकार की सारी योजनाएँ, जो वहाँ पर लागू नहीं थीं, आज वहाँ पर लागू हैं। वहाँ घर बन रहे हैं, वहाँ सड़कें बन रही हैं। पिछले एक साल में जो काम हुआ है, उससे वहाँ के लोगों का जो विकास हो रहा है, जो जीवन स्तर बढ़ रहा है, आप वह देखिए। सर, शायद मेरे पास अभी और समय है।

**श्री उपसभापति :** आप बोलिए और conclude कीजिए।

**श्री नीरज शेखर :** मैं जल जीवन योजना के बारे में, जो माननीय प्रधान मंत्री जी ने शुरू की है, उसके बारे में कहना चाहूँगा। यह मेरे लिए और हम जिस क्षेत्र से आते हैं, बलिया और जो गंगा के किनारे का इलाका है, जहाँ पर आर्सेनिक पानी की बहुत बड़ी समस्या है, प्रधान मंत्री जी की यह जो योजना है कि 2024 तक हर घर तक नल से पानी पहुँचाएँगे, यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है। मेरा यह मानना है कि पिछले 70-72 साल में हम लोग अपने लोगों को पीने का स्वच्छ पानी नहीं दे पाए हैं। यह कमी हम लोगों में है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ। जब मैं उन बच्चों को देखता हूँ, जो आर्सेनिक पानी पीकर आज विकलांग हैं, जिनकी आँखों की रोशनी चली गई है, तो मुझे बहुत कष्ट होता है। माननीय प्रधान मंत्री जी यह जो काम कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इसमें उनका सहयोग करें। मुझे लगता है कि यह एक बहुत बड़ी योजना है। अगर यह 2024 तक पूरी होती है, तो यह देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना होगी।

मैं फिर से एक बात दोहराना चाहूँगा। यह शौचालय वाला विषय है। मैं बार-बार यह कहता था, जब मैं विपक्ष में था, तब भी मैं यह बात कहता था कि प्रधान मंत्री जी की यह जो शौचालय की योजना है, यह सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छी योजना है।

**श्री उपसभापति :** माननीय नीरज जी, कृपया conclude करिए।

**श्री नीरज शेखर :** सर, क्या 12 मिनट हो गए?

**श्री उपसभापति :** लगभग होने वाले हैं।

**श्री नीरज शेखर :** मैं यह कहना चाहता हूँ कि शौचालय की जो योजना है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। यह हमारे सम्मान से जुड़ी हुई है। पता नहीं कितने लोग गाँवों में जाते हैं या नहीं जाते हैं, लेकिन जब मैं आज से 7-8 साल पहले वहाँ जाता था और जब सड़कों के किनारे का दृश्य देखता था, तो उससे शर्मनाक कोई दृश्य नहीं होता था। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे शौचालय बन रहे हैं और आगे भी यह काम होता रहेगा।

अंत में मैं फिर से एक बात कह कर अपनी बात खत्म करूँगा। जो किसान वहाँ बैठे हुए हैं और जिनको आपत्ति है, प्रधान मंत्री जी के मन में यह है कि यह समस्या दूर होनी चाहिए। प्रधान मंत्री जी ने बार-बार कहा है और मेरी समझ में नहीं आता है कि हर चीज़ का मज़ाक क्यों उड़ाया जाता है, प्रधान मंत्री जी ने कहा कि मैं एक कॉल दूर हूँ, उसका यह मतलब नहीं है कि आप मुझे फोन करिए। प्रधान मंत्री जी का यह मतलब है कि प्रधान मंत्री जी बात करने के लिए हमेशा तैयार हैं और अगर एक भी किसान दुखी होता है, तो प्रधान मंत्री जी को कष्ट होता है। इसलिए प्रधान मंत्री जी यह बात कह रहे हैं। कुछ लोग वाह-वाह कर रहे हैं, मैं यह कहना चाहता हूँ कि कम से कम मैं अपने बड़े अनुभवी व्यक्ति की बात पर वाह-वाह कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग, जिनको कोई अनुभव नहीं है, जो काम करना नहीं जानते, उनकी बातों पर भी वाह-वाह करते हैं। इसलिए

वे ध्यान रखें कि ऐसी बातों पर वाह-वाह न करें, जिससे देश का नुकसान हो। ऐसा हो रहा है, आपकी पार्टी का भी नुकसान हो रहा है और देश का भी नुकसान हो रहा है। आप इसको समझें। मैं फिर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।

**SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE PILLI (Andhra Pradesh):** Thank you very much, Mr. Deputy Chairman, Sir, for giving me this opportunity to speak on the Motion of Thanks on President's Address. \* "Sir, because of Covid-19, people from all walks of life have suffered throughout the country and the world too. There wasn't a single family which was not affected by this pandemic. Be it the landless or the landlords, everyone was affected. Some families experienced financial loss, some experienced loss of life and some experienced both. We expected that some relief to the unorganized sector like agriculture labour will be mentioned in the President's Address. It is very unfortunate that there was not a single mention of it in the entire President's Address. In our country, nearly fifty crore people fall under this category of unorganized sector. During lockdown, their condition became very miserable; they could not have proper meals as they could not go out for work. It is the State Governments that had come to their rescue during that period. It is very unfortunate that in the entire Address by the President, there was not a single mention of the miserable condition faced by these people and the help extended by the State Governments.

Sir, I would like to give an analogy on the conditions of the people of Andhra Pradesh with a song from a Telugu movie.

*"Sailing in the rain water and winds  
Don't know where the coast is and the destination."*

This is a song from a Telugu movie. Due to Covid-19, situation of the poor in our country became as good as has been described in this song. Sir, when the poor are experiencing such miserable condition, I do not hesitate to say, it is the responsibility of the Central Government to take care of them; not only helping the poor, it is also the responsibility of the Central Government to make the State Governments self-reliant to help the poor. Sir, please consider this matter.

Eminent scientist Einstein had once said, "Knowledge of what is does not open the door directly to what should be." It means, it is natural to have problems but when problems occur and if it happens for the family, it is the responsibility of the head of the family to solve the problem. In the same way, if the problem persists with the State and the Centre, the responsibility lies with the heads of the State i.e. Chief

\* English translation of the original speech made in Telugu.

Ministers and the Prime Minister respectively. Sir, here I would like to mention that the heads of the families and the Chief Ministers have fulfilled their responsibilities during the pandemic. But, the Central Government has failed in giving assurance to the people for the betterment of their living and financial conditions.

Sir, you are aware, President's Address is nothing but the policy document of the Government. The policy document reflects the way of the administration for the financial year. While presenting the policy document, if there is no mention about the Government's plans in safeguarding the interests and the livelihood of the poor, how can one keep trust in democracy? Sir, through you, I request the Central Government to give a serious thought to this.

As per the statistics provided by the Government of India, the Reserve Bank of India, the World Bank, CRISIL and the State Bank of India, the fact emerged that there has been a constant decline in the GDP of our country and it further reduced because of Covid-19 resulting in loss of employment. Sir, I request you to study 'Shrunk by the Pandemic', a report by G-7 countries. In this report, India stands second after America in GDP loss. Brazil occupies third position. China is in a better position with 3.3 percent. Apart from China, economy has been severely hit in other countries.

Sir, I would like to quote a verse by Shri Gurajada Apparao.

It means, "Country is not just mud and soil, Country means people. Stop shallow talk, think of strong help." In the recent past, this verse was referred to by our Hon'ble Prime Minister on a few occasions.

Under the present circumstances, the Central Government's major responsibility is not to leave the States to their fate but to acknowledge the financial problems of the States and sanction the grants to the respective States without any cut in grants. However, there was no mention of this in the President's Address. The Governor of Reserve Bank of India recently asked the people of the country not to worry as we have two major ammunitions with us for solving the financial problems of the countrymen and the States. We will use them when required. What are those weapons? Why haven't they used the weapons till now? Does he think that the right time has not yet come? Or is it, though the time has come, Hon. Prime Minister has not given his approval to it? We would have been little happier if the details of these two weapons were disclosed in the President's Address. I request you to make amendments, at least now, to the President's Address and help the poor, especially the labourers from the unorganized sectors. The responsibility of the Central Government is to help the States, only then it will serve the purpose of what our Hon. Prime Minister said "Jaan bhi, Jahaan bhi." There is no use giving sermons. If we do

not strive for the betterment of the living conditions of the people, they will lose trust in democracy and in the elected representatives.

I will mention one or two incidents as examples to describe the functioning of the Governments these days. People of Andhra Pradesh have a long-cherished dream. Their dream is Special Category Status to the State of Andhra Pradesh. When Andhra Pradesh State Re-organization Bill was being passed in the Parliament, Special Category Status to the State was promised to the people of Andhra Pradesh. The then Hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singh promised Special Category Status to the State of Andhra Pradesh with Parliament being a witness to it. Sir, he promised Special Category Status to Andhra Pradesh stating that Andhra Pradesh is a newly formed State and has no Capital of its own. The State is also devoid of good hospitals and Universities and suffers from highest revenue deficit. He said that all the said problems would be solved by granting Special Category Status to the State. He totally forgot it and there was not a single effort from him for implementation of Special Category Status to the State.

Shri Marri Chenna Reddy, former Chief Minister of Andhra Pradesh has once said, “The word delivered from the mouth of the Hon. Chief Minister is a G.O.”. Those days should come back. When the Prime Minister makes a promise in Parliament, we consider it as an Act but never did we imagine that the successive Prime Ministers will keep it aside. If such incidents happen, people will lose trust in democracy and democratically elected representatives. Sir, through you, I request the Hon. Prime Minister to give it a thought.

Sir, the Government of Andhra Pradesh and the Chief Minister of Andhra Pradesh are being blamed regarding non-implementation of Special Category Status to the State of Andhra Pradesh. If we analyze as to whose mistake it is, is it the mistake of the TDP leaders who were in power for five years before our Government and failed to get Special Category Status to the State by pressurizing the Central Government? Is it the mistake of the Hon. Prime Minister for not fulfilling the promise made by the former Prime Minister? Or is it the mistake of our Chief Minister? Sir, yesterday they have spoken in this House and tried blaming our Chief Minister. I ask them, have you ever tried, at least for one single day, for getting Special Category Status to the State?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE PILLI: Five more minutes. Sir, you allotted ten minutes for a Party with only one Member. My Party's strength is six and you should

allot at least twenty minutes. Sir, Telugu Desam Party leaders are claiming that nearly seventy three percent of work with respect to Polavaram Project was carried out during their tenure and now the works have come to standstill. This is factual error. TDP representatives always give wrong details outside this august House. Who will be the loser if they give wrong details during the debate and submit the reports with factual errors? Andhra Pradesh will be the loser here. So, I request you not to consider their reports submitted with factual errors.

Sir, as the works are being carried out in full swing to complete the Polavaram Project by April 2022, I request the Central Government to release the already allotted funds and sanction the revised estimate for the project and also make a statement regarding this.

**MR. DEPUTY CHAIRMAN:** Please conclude.

**SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE PILLI:** Sir, one more minute. In recent times, the major sensitive elements with regard to politics in our country are community, region and religion.

**MR. DEPUTY CHAIRMAN:** Please conclude or I will call the other speaker.

**SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE PILLI:** Sir, one last minute please. These days, TDP, the opposition party in Andhra Pradesh is concentrating on Gods. They are attacking the temples. During their tenure, a total of 859 attacks on temples have taken place with 163 attacks in 2015, 207 attacks in 2016, 189 attacks in 2017, 123 attacks in 2018 and 141 attacks in 2019. This is their background and now they are trying to blame our Government. This is totally unacceptable. Sir, in this august House, if any Member has to blame other Members or State Governments, it should be done with proper proof. We are extremely disappointed because they are indulging in mudslinging on us without any proof. I have many issues to raise and debate but considering the paucity of time, I will conclude now and will raise the issues during the debate on Budget. I once again thank you for giving me the opportunity to participate in the debate." Thank you, Sir.

**श्रीमती इंदु बाला गोस्वामी** (हिमाचल प्रदेश): उपसभापति जी, 29 जनवरी, 2021 को राष्ट्रपति जी के द्वारा दोनों सदनों को सम्बोधित करने के लिए हम उनके आभारी हैं। मैं संसद के उच्च सदन में प्रथम बार सदस्य के रूप में चुन कर आयी हूँ, मेरा सदन में बोलने का पहला मौका है। इसके लिए मैं अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद करती हूँ। साथ ही अगर मुझसे बोलते हुए

कोई भूल-चूक हो जाए, तो मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगी। उपसभापति जी, मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका देने के लिए मैं आपका भी आभार व्यक्त करती हूँ।

उपसभापति जी, मुझे आज वह दिन याद आ रहा है, जब इसी सदन में 11 जून, 2014 को हमारी नेता और मार्गदर्शिका स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की आभा निराली है। मैं आज उन्हीं के शब्दों को दोहराना चाहती हूँ। राष्ट्रपति जी का अभी का अभिभाषण भी निराला है, क्योंकि संसद का सत्र अलग परिस्थितियों और अलग व्यवस्थाओं में हो रहा है। नये साल में हम प्रवेश कर गये हैं, हम देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने वाले हैं और साथ ही साथ हम कोरोना जैसी भयंकर महामारी से भी सफलतापूर्वक पार पाने में काफी हद तक सफल हो चुके हैं। इन 75 वर्षों में देश की शासन व सत्ता की यात्रा क्या रही, कितने समय तक देश में हमारी सरकार रही और हमारी सरकार तथा दूसरी सरकारों के कार्यों में क्या अंतर रहा, जिन्होंने अधिक समय तक इस देश में शासन सत्ता का भरपूर आनन्द उठाया, उनके क्रियाकलापों और देश के प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के 6 साल के कार्यकाल में क्या गुणात्मक परिवर्तन हुए - इस पर सटीक विश्लेषण मन से मतभेद मिटाते हुए होना चाहिए। जब हम सरकार के 6 वर्ष के कार्यकाल की बात करते हैं, उसके विश्लेषण की बात करते हैं, तो समझ में नहीं आता कि सरकार की 6 साल की उपलब्धियों को कहाँ से शुरू करें।

महोदय, हमारी सरकार ने प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से कोरोना जैसी भयंकर महामारी से देश की 130 करोड़ आबादी को बचाया, उसके लिए मैं विशेष रूप से देश के लोकप्रिय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी। प्रधान मंत्री जी ने न केवल सरकार, बल्कि देश की जनता को भी इस लड़ाई से लड़ने के लिए बराबर का भागीदार बनाया - ताली बजा कर, थाली बजा कर, दीये जला कर। जनता की आवाज बन कर, देश की जनता के साथ सीधा संवाद करके देश की जनता को इस बात का एहसास दिलाया कि आपका प्रधान सेवक और उसकी पूरी सरकार इस भयंकर विपदा में आपके साथ खड़ी है, लेकिन विपक्ष को इसमें भी कहीं न कहीं बुराई नज़र आती है। प्रधान मंत्री जी के सीधे संवाद और दिशा-निर्देशों को देश की जनता ने माना। यह केवल और केवल इसलिए संभव हो सका, क्योंकि देश को अपने प्रधान मंत्री की हर कहीं गई बात पर विश्वास है। देश की जनता को विश्वास है कि हमारा प्रधान मंत्री जो कहता है, उसको अमलीजामा भी पहनाता है। बूढ़े, जवान, बच्चे, हर किसी की ज़ुबान पर आज एक ही बात है कि अगर श्री नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधान मंत्री न होते, तो हमारे देश का भी वही हश्र होता, जो विश्व की बड़ी-बड़ी शक्तियों का हुआ। प्रधान मंत्री जी ने सही समय पर लॉकडाउन लगा कर अपने देश को बचा लिया। जब पूरी दुनिया और दुनिया के बड़े-बड़े देश, जिनकी स्वास्थ्य सुविधाएँ बेहद विकसित होते हुए भी कोरोना से हताश और निराश थे, उस समय हमारे पास न कोरोना मेडिकेटेड हॉस्पिटल्स थे, न पीपीई किट्स थीं, न वेंटिलेटर्स थे, टैस्टिंग कैपेसिटी भी न के बराबर थी, तब इस परिस्थिति में हमारे प्रधान मंत्री जी लॉकडाउन लगा कर बैठ नहीं गए, बल्कि उन्होंने देश की जनता को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया। आज हमारे पास 1,600 कोरोना मेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं, 40 लाख से ज्यादा मेडिकेटेड बेड्स हैं। उस दिन हमारी जो टैस्टिंग कैपेसिटी 1,500 प्रतिदिन थी, वह आज 15 लाख प्रतिदिन है। उस समय हम

एक भी पीपीई किट नहीं बनाते थे, आज हमारी सरकार साढ़े चार लाख पीपीई किट्स बना कर दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर रही है।

महोदय, देश की जनता प्रधान मंत्री और उनकी सरकार की नीतियों और अपने देश के उन वैज्ञानिकों को साधुवाद दे रही है, जिनकी कुशलता व मेहनत से हम देश में सस्ती और कारगर वैक्सीन बनाने में सफल हुए। भारत सिर्फ 15 दिनों में अपने 30 लाख से ज्यादा corona warriors का टीकाकरण कर चुका है, जबकि अमेरिका जैसे समृद्ध देश को इसी काम में 18 दिन लगे थे और ब्रिटेन को 36 दिन लगे थे।

हम हेल्थ सेक्टर में कहाँ थे और अब कहाँ हैं? क्या यह देश के प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी व उनकी सरकार के कार्यों का उल्लेख करने के लिए काफी नहीं है? जो कई सालों से असंभव था, वह हमारी सरकार ने 6 साल में संभव करके दिखाया, इसलिए आज ग्लोबल रेटिंग के मुताबिक प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी एक ऐसे नेता हैं, जो कोरोना महामारी के दौरान भी ग्लोबली नंबर वन हैं। क्या इसकी प्रशंसा नहीं नहीं होनी चाहिए? अगर विश्व प्रधान मंत्री जी का लोहा मानता है, तो हम और आप क्यों नहीं? लेकिन विपक्ष को तो सत्ता सुख सत्ता रहा है, इसलिए उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ प्रधान मंत्री जी का विरोध करना आता है।

**MR. DEPUTY CHAIRMAN:** Please conclude. इंदु बाला जी, कंकलूड करें।

**श्रीमती इंदु बाला गोस्वामी :** उपसभापतिजी, मैं विशेष रूप से महिला शक्ति की ओर से अपने देश के प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने प्रधान मंत्री जी के हर आदेश को, हर संदेश को अपने में आत्मसात किया। जिस तरह से कोरोना काल में महिलाओं ने पूरे देश में मास्क्स बनाकर लोगों की सहायता की, उसके लिए मैं विशेष रूप से प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन समय कम होने के कारण मैं पुनः यह प्रस्ताव, जिसे भुबनेश्वर कालिता जी ने रखा है, उसका समर्थन करती हूँ।

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले):** डिप्टी चेयरमैन सर, इस सभागृह में माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। आपने सभी पार्टी के लोगों को बोलने का मौका दे दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जो मेरी Republican Party of India है, इस पार्टी की स्थापना डा. बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने की थी। डा. बाबा साहेब अम्बेडकर जी चाहते थे कि अपने देश में दू पार्टी सिस्टम होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने राममनोहर लोहिया जी को भी एक पत्र लिखा था। उसके पहले All India Scheduled Castes Federation पार्टी थी। बाबा साहेब अम्बेडकर जी सन् 1952 में मुंबई से लोकसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन वे हार गए थे। मैं भी उसी पार्टी से आता हूँ।

मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार के सर्वांगीण विकास की दिशा दिखाने वाला अभिभाषण है। यह अभिभाषण नेशन को मजबूत करने वाला है। जो दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, खेत-मजदूर हैं, कामगार हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, बेरोजगार हैं, यह अभिभाषण ऐसे सभी लोगों को न्याय की दिशा

दिखाने वाला है, इसीलिए इस अभिभाषण का स्वागत करने के लिए, इसका सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ।

मैंने यह माँग भी की थी कि वर्ष 2021 में जो जनगणना हो रही है, वह जनगणना जाति के आधार पर होनी चाहिए, ताकि हर जाति का परसेंटेज कितना है, इसकी जानकारी मिल सके।

अपनी पार्टी की तरफ से मेरी यह भी माँग है कि महाराष्ट्र में मराठा समाज आरक्षण माँग रहा है, हरियाणा में जाट समाज आरक्षण माँग रहा है, राजस्थान में राजपूत समाज आरक्षण माँग रहा है, उत्तर प्रदेश में ठाकुर समाज आरक्षण माँग रहा है, इसी तरह से क्षत्रिय समाज की एक बहुत बड़ी पॉप्युलेशन भी अपने देश में है, तो जिस तरह से इकोनॉमिकली वीकर सेक्षन को दस प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय माननीय प्रधान मंत्री जी ने ले लिया है...

**श्री उपसभापति :** अठावले जी, कृपया कक्षालूड करिए।

**श्री रामदास अठावले :** अभी तो एक मिनट भी नहीं हुआ है।

**श्री उपसभापति :** आपका नाम माननीय चेयरमैन साहब ने पुकारा था, लेकिन आप उस वक्त नहीं थे। अब समय कम हो गया है प्लीज़।

**श्री रामदास अठावले :** मैं सुबह 11 बजे से यहीं बैठा हूँ।

महोदय, इसलिए मेरी माँग है कि जो क्षत्रिय समाज है, उन्हें अलग से आरक्षण देना चाहिए। इसी तरह से Scheduled Castes और Scheduled Tribes को promotion में रिजर्वेशन देने के संबंध में भी विचार होना चाहिए।

इसके साथ-साथ, अभी जो किसान कानून आए हैं, उन किसान कानूनों के संबंध में मेरा कहना यह है कि नरेन्द्र मोदी जी किसानों के बोटों की वजह से दूसरी बार सत्ता में आए हैं, तो वे नरेन्द्र मोदी जी किसानों के खिलाफ कानून क्यों लाएंगे? इन कानूनों के बारे में सभी लोग बोल रहे हैं कि ये काले कानून हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि,

"जो बोलते हैं कि यह कानून है काला,  
उनके मुंह पर लगाना है क्या ताला!"

मेरे कहने का मतलब है कि यह कानून इतना अच्छा है, इस कानून का समर्थन होना चाहिए था। हममें आंदोलन करने वाले किसानों के लिए बहुत आदर है, लेकिन इतने दिन आंदोलन नहीं करना चाहिए। हमने भी आंदोलन किए हैं। हम भी आंदोलन करते-करते ही इधर तक आए हैं। किसानों को इतने दिनों से तकलीफ हो रही है।

**श्री उपसभापति :** अठावले जी, प्लीज़ कक्षालूड करें।

**श्री रामदास अठावले :** जिन 170-80 किसानों की मृत्यु हुई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मुझे लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर stay दे दिया है, तो फिर आंदोलन की क्या आवश्यकता

है, आंदोलन पीछे लेने की आवश्यकता थी। सरकार ने भी बोला है कि सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा, वह हमें मंजूर है। माननीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी बार-बार बोल रहे हैं।...(व्यवधान)...

**श्री उपसभापति :** हम दूसरे स्पीकर को बुला रहे हैं। अठावले जी, अपने पास समय कम है।...(व्यवधान)...

**श्री रामदास अठावले :** इसलिए मुझे लगता है कि इस कानून के संबंध में हमें पॉज़िटिव विचार होना चाहिए। ... (व्यवधान) ... इसको बदलने के लिए हम लोग तैयार हैं। ... (व्यवधान) ... इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपने दो शब्द खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत।

**श्री उपसभापति :** धन्यवाद। अब, डा. अनिल जैन।

**डा. अनिल जैन (उत्तर प्रदेश):** उपसभापति महोदय, आपने मुझे माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

माननीय राष्ट्रपति जी ने देश में उत्साह और ऊर्जा का संचार किया, जब उन्होंने अपने अभिभाषण में माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार की 6 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया। लेकिन दुर्भाग्य रहा, लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएँ नहीं होनी चाहिए। जिन्होंने देश पर लम्बे समय तक राज किया हो, वे पार्टियाँ राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी बहिष्कार करें, यह कर्तई अलोकतांत्रिक है, अशोभनीय है, दुःख का विषय है।

माननीय उपसभापति महोदय, नेतृत्व की क्षमता क्या है? Easy going way में तो सब लोग चला लेते हैं, लेकिन नेतृत्व की कसौटी की पहचान चुनौती के समय होती है। इस देश में किसी भी प्रकार की चुनौती हो, चाहे एलओसी पर चुनौती आई हो, तब सर्जिकल स्ट्राइक करके, एयर स्ट्राइक करके देश का मान-सम्मान बढ़ाने का काम किया गया, तो वह नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में किया गया। उस समय भी लोगों ने सवाल उठाए, उसको भी minimize करने की कोशिश की। जिसका मान-सम्मान सारी दुनिया में बढ़ा, हमारी सेना के रण-बाँकुरों का सम्मान बढ़ा, उसको भी minimize करने की कोशिश की गई। वाहे चुनौती एलएसी पर आई हो, गल्वान घाटी में आई हो, तब देश के प्रधान मंत्री ने लदाख में जाकर, सैनिकों के बीच में जाकर उनकी हौसला अफजाई की है। देश के जिन सैनिकों ने देश के ऊपर अपना बलिदान दिया है, उनकी हौसला अफजाई की है, उनका मान-सम्मान बढ़ाने का काम किया है। उस समय भी कुछ लोग चीन के साथ hobnobbing करते थे, उनके राजदूत से चर्चा-वार्ता करते थे। किसलिए, देश का मान-सम्मान गिराने के लिए? एक तरफ यह नेतृत्व है कि किसी भी चुनौती में देश का मान-सम्मान, स्वाभिमान बढ़े, इसकी चिन्ता करता है। यह नेतृत्व है। नेतृत्व की कसौटी चुनौती के समय पहचानी जाती है। देश के करोड़ों-करोड़ लोगों के जीवन में, शोषित, पीड़ित, वंचित, गाँव, गरीब, किसान, मज़दूर, इनके जीवन में उत्थान आए, इनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो, incremental नहीं, transformational परिवर्तन हो, अगर इसकी चिन्ता करने की बात आती है, तब नरेन्द्र मोदी जी ने इस देश में 135 योजनाओं में से 90 प्रतिशत योजनाएँ किसानों को समर्पित कीं। 13 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा डीबीटी के माध्यम से सीधे इस देश के गाँव, गरीब, किसान,

शोषित, पीड़ित, वंचित, इन लोगों के खाते में गया है। लोग कहते हैं यह सरमायेदारों की सरकार है! कौन कहता है कि यह सरमायेदारों की सरकार है? क्या जन-धन खाते सरमायेदारों के खुले हैं? 41 करोड़ खातों के माध्यम से यह डीबीटी संभव हो पाया है, जिससे देश का 1 लाख 37 हजार करोड़, जो बिचौलिये खा जाते थे, वह बचा है। क्या यह सरमायेदारों का काम है! लोग किस प्रकार के नारे लगाते हैं, किस प्रकार से इसको minimize करने की कोशिश करते हैं!

देश के प्रधान मंत्री ने संवेदनशीलता के साथ अपनी नीति, अपनी नीयत को स्पष्ट रखा है। जब कोई व्यक्ति किसी विचारधारा पर चलता है, तो समय आने पर वह अपनी विचारधारा को अपनी नीतियों में प्रतिपादित करता है। 'अंत्योदय' हमारा वैचारिक अधिष्ठान है। 'अंत्योदय' का अर्थ है, जो विकास की पंक्ति के अंत में खड़ा है, उसका उदय। अर्थात् सीधी भाषा में गरीब कल्याण। देश के प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी जब पहली बार नेता चुने गए थे, तब उन्होंने सेंट्रल हॉल में बड़ी करुणा के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ यह कहा था कि मेरी सरकार देश के गरीबों को समर्पित सरकार है। तब यह सारा देश देख रहा था, सारा विश्व देख रहा था। लोग कहते बहुत आए हैं, गरीबी के नाम पर लोगों ने सरकारें बनाई हैं, गरीबी हटाने के नाम पर सरकारें बनाई हैं। उन्होंने योजनाएँ नहीं लाई, क्रियान्वयन नहीं किया, फिर उनके परिणाम की बात ही क्या थी!

**2.00 P.M.**

नरेन्द्र मोदी जी ऐसे प्रधान मंत्री हैं, जो एक कार्यकाल में योजनाएं लाए, उनका क्रियान्वयन किया और उन योजनाओं के परिणाम भी देश ने देखे हैं, करोड़ों-करोड़ लोगों के जीवन में उत्थान हुआ है।

**श्री उपसभापति :** माननीय सदस्यण, दो बज चुके हैं, सदन की क्या राय है?

**SHRI V. MURALEEDHARAN:** Sir, the Discussion on the Motion of Thanks to the President's Address is going on. There are a couple of speakers still left. So, I suggest that if the House agrees, we may extend the sitting of the House up to 2.30 p.m.

**श्री उपसभापति :** क्या सबकी सहमति है?

**SOME HON. MEMBERS:** Okay, Sir.

**SHRI JAIRAM RAMESH:** Sir, when I had suggested this, this was refused, this was denied. I had suggested originally that we extend it till 2.30 p.m. so that Members from all parties can speak. But suddenly, unilaterally, the Minister has wanted to extend it up to 2.30 p.m. I have no problem, but it is very, very unfair.

SHRI V. MURALEEDHARAN: No, Sir, I want to put the records straight. As per the allotted time to our Party, BJP, we can go on for one more hour, but we are cutting short the time of all the speakers and trying to conclude it by 2.30 p.m. That is why it is up to 2.30 p.m.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, I was told that they would cut short the time so that we conclude it at 2 o'clock. This is what I was told. ...*(Interruptions)*..

SHRI V. MURALEEDHARAN: That was not the idea. ...*(Interruptions)*..

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, I have no problem because I am the only one and Kharge ji is the only other one here. We will sit here. But this is unfair, and I think this should have been told earlier. When I had made a request right in the morning to extend the time, I was refused. ...*(Interruptions)*.. And you did not allow Mr. Kharge to speak for... ...*(Interruptions)*..

SHRI V. MURALEEDHARAN: I had said that every Party should get its time. ...*(Interruptions)*.. We are ready to forego our time, half-an-hour.

**डा. अनिल जैन :** मान्यवर, मैं कह रहा था कि देश के प्रधान मंत्री जी संवेदनशीलता के साथ देश में इस प्रकार की योजनाएं लाए। 10 करोड़ परिवारों में अगर शौचालय बनता है तो वह किस सरमायेदार के घर में शौचालय बनता है? यह पैसा किसके लिए जाता है? विपक्ष के लोग यह बताएं, जो तरह-तरह के अनर्गल, आरोप और झूठ गढ़ते हैं, देश में झूठ और भ्रम फैलाने का काम करते हैं, यह किसके खाते में जाता है? 'आयुष्मान भारत योजना' के अंतर्गत डेढ़ करोड़ लोगों को लाभ मिला है, देश के गरीबों के 30 हजार करोड़ रुपये बचे हैं। ये किसके लिए है? किस सरमायेदार के लिए गये हैं? ये किस व्यापारी के घर में गये हैं? आप किस तरह की बातें करते हैं? देश के गरीबों के लिए अगर कोई काम किया जाता है तो उसको महिमा-मंडित करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए और प्रोत्साहन देना चाहिए। आप अपनी सरकारों की तरह 15 लाख करोड़ रुपये के घोटाले करके इस देश के लोगों को भ्रम में नहीं डाल सकते।...(व्यवधान)... इस देश में प्रधान मंत्री जी ने 21 करोड़ लोगों को 'प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना' का गिफ्ट दिया है, 12 रुपये के जीवन बीमा योजना का, केवल 12 रुपये का गिफ्ट, जो एक रुपया हर महीने का हो जाएगा। 90 पैसे प्रति दिन पर 'प्रधान मंत्री जीवन-ज्योति बीमा योजना' के अंतर्गत 18 करोड़ लोगों को लाभ मिला है। यह किस सरमायेदार के पास गया? इन योजनाओं से देश के गरीबों का कल्याण हो रहा है, इन योजनाओं से देश के शोषित, पीड़ित, वंचित, वनवासी, गाँव, गरीब, किसान आदि को लाभ हो रहा है। आपको यह नहीं भाता है। इसी कारण से नरेन्द्र मोदी जी दोबारा बड़े बहुमत के साथ चुनकर आए हैं, वे गरीबों की कृपा से आए हैं, आपकी खेरात से नहीं आए हैं,

देश के गरीबों के आशीर्वाद से आए हैं, किसानों के आशीर्वाद से आए हैं, मज़दूरों के आशीर्वाद से आए हैं। इस कारण से इन योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभान्वित किया जाता है। हमने अपनी विचारधारा को प्रतिपादित किया है, हमारी नीति स्पष्ट है, नीयत साफ है, इसके कारण से ये योजनाएं आ पायी हैं। देश में अगर 14 करोड़ महिलाओं के घर में एलपीजी के कनेक्शन दिए जाते हैं, जिनमें से 9 करोड़ फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, तो यह देश के गरीब के कल्याण के लिए नहीं है, तो क्या है? मैं पेशे से डॉक्टर हूं, चिकित्सक हूं और मैं जानता हूं।

**श्री उपसभापति :** माननीय अनिल जी, प्लीज conclude कीजिए।

**डा. अनिल जैन :** महोदय, अभी तो टाइम ही नहीं हुआ।

**श्री उपसभापति :** हम सबके पास जो समय है, उसमें जो स्पीकर्स बैठे हैं, उन सबके पास equal time है।

**डा. अनिल जैन :** महोदय, अभी तो मैंने शुरू किया है। मैं चुनौतियों की बात कह रहा था। चुनौती अगर देश में महामारी के रूप में आती है तो देश के प्रधान मंत्री ने front foot पर जाकर सारी दुनिया को आवाज़ लगाकर इस चुनौती का सामना किया। उन्होंने early lockdown किया, तब भी इन्होंने आवाज़ उठायी थी। Lockdown के अंदर लोगों को कैसे प्रोत्साहित किया जाता है? जो कोरोना में काम करने वाले लोग थे, मेरे साथी डॉक्टर्स थे, उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया है, तीन सौ से ज्यादा डॉक्टर्स मारे गए। उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर किया है, किसके लिए किया है? यह प्रधान मंत्री जी के आव्हान पर किया है। जब देश में महामारी आयी, तब प्रधान मंत्री जी ने सामने से ऐसे कार्यकर्ताओं को कोरोना वारियर्स कहा, उनको वारियर्स की संज्ञा दी और उनका उत्साह चरम पर पहुंचाया। चाहे वे डॉक्टर्स हों, नर्स हों, सफाई कर्मचारी हों...**(व्यवधान)...**

**श्री उपसभापति :** आपका जो समय तय है, वह खत्म हुआ, बाकी आपके और स्पीकर्स के बोलने में और समय खत्म हो जाएगा। Please conclude करें।

**डा. अनिल जैन :** कोरोना के समय में केवल देश को ही नहीं, अपितु सारी दुनिया को मार्गदर्शन देने का काम हमारे प्रधान मंत्री जी ने किया है। जो हमारी नीति है,

"सर्व भवन्तु सुखिनः सर्व सन्तु निरामयाः ।  
सर्व भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग्भवेत् ॥"

यह करके दिखाया है, केवल कहने के लिए नहीं है। "वसुधैव कुटुम्बकम्" के वाक्य से हमने 150 देशों को दवाएं पहुंचाने का काम किया है।....**(व्यवधान)...**

**श्री उपसभापति :** धन्यवाद।

**डा. अनिल जैन :** चाहे पीपीई किट पहुंचाने का काम किया हो। आज वैक्सीन के ज़माने में हमने कम समय में वैक्सीन लाकर, देश में ही नहीं ...**(व्यवधान)...**

**श्री उपसभापति :** धन्यवाद, डा. अनिल जैन जी। माननीय बृजलाल जी। अनिल जी, प्लीज़, आपका समय खत्म हो गया है। आप जल्दी conclude करें।

**डा. अनिल जैन :** मैं यह कह रहा था कि आनन्द शर्मा जी कह रहे थे वैक्सीनेशन होगा तो सात साल लगेंगे। आज की तारीख तक 40 लाख से ज्यादा का वैक्सीनेशन हो चुका है। आप अपना गणित ठीक कर लें।...**(व्यवधान)...**

**श्री उपसभापति :** धन्यवाद, अनिल जी, आपका जो समय तय है, आपने ऑलरेडी उस समय से अधिक समय लिया है। श्री बृजलाल जी।

**डा. अनिल जैन :** मैं एक छोटी सी बात शिक्षा नीति के बारे में कहना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)...** देश के प्रधान मंत्री जी को ...**(व्यवधान)...**

**श्री उपसभापति :** आपके और वक्ता छूट जाएंगे।...**(व्यवधान)...** आपके और वक्ता छूट जाएंगे।...**(व्यवधान)...**

**डा. अनिल जैन :** शिक्षा नीति लाकर भारत में अमूलचूल परिवर्तन लाने का काम किया है।...**(व्यवधान)...**

**श्री उपसभापति :** बृजलाल जी, आप अपनी बात शुरू करें।

**डा. अनिल जैन :** \*

**श्री बृजलाल:** उपसभापति महोदय, आज मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया गया है। ..**(व्यवधान)...**

**डा. अनिल जैन :** \*

\* Not recorded.

**श्री उपसभापति :** अब आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है, सिर्फ बृजलाल जी की बात रिकॉर्ड पर जा रही है। मैं बृजलाल जी से कहता हूं कि आप अपनी बात शुरू करें।

**डा. अनिल जैन :** \*

**श्री बृजलाल:** उपसभापति महोदय, ... (व्यवधान)...

**डा. अनिल जैन :** \*

**श्री उपसभापति :** अब आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है, सिर्फ बृजलाल जी की बात रिकॉर्ड पर जा रही है। प्लीज़, प्लीज़।

**डा. अनिल जैन :** \*

**श्री बृजलाल (उत्तर प्रदेश):** सभापति महोदय, आज मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया गया है, जिसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। महोदय, मेरी पृष्ठभूमि एक IPS अधिकारी की रही है और मैंने साढ़े सेंतीस वर्ष तक वर्दी पहनी है। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि देश में प्रगति तब होती है जब कानून व्यवस्था चाक-चौबंद रहती है। जब व्यापारी, किसान, उद्योगपति बिना भय के freely काम करता है, तब इस देश की प्रगति होती है। इसके साथ ही साथ जो फॉरेन निवेश है, FDI है, वह देश में आता है।

महोदय, मैंने देश की इतनी लम्बी सर्विस में आतंकवाद भी देखा है, naxalism भी देखा है, बड़ी कानून व्यवस्था भी देखी है। जो हमारे तरीके हैं, हमने उनसे कानून व्यवस्था को, terrorism को, naxalism को निपटाया है। मुझे नॉर्थ-ईस्ट का भी अनुभव रहा है। मैं करीब 37 वर्ष पहले इन्हीं दिनों में असम में NEFA border पर तैनात था। मैं लोअर असम में भी था और मैंने असम की वह हालत भी देखी है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय असम में क्या स्थिति है? आज वहां पर अमन-चैन हुआ है और इसमें और भी प्रगति हो रही है। यह परिणाम सुशासन का है, good governance का है।

महोदय, समय कम है, इसलिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो कानून व्यवस्था है, हम उससे अपने-अपने तरीके से निपट लें, लेकिन जब राजनीतिक पार्टियां भोले-भाले लोगों को गुमराह करती हैं तब बड़ी प्रॉब्लम होती है और वह बड़ा दुखद होता है। महोदय, मैं अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखता हूं। बीजेपी की सरकार दिनांक 01.01.2016 को एक Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Act लाई थी। महोदय, जहां पर पहले 22 अपराध होते थे, उनमें 25 और जोड़े हैं। पहले साउथ में देवदासी प्रथा थी, उसको खत्म किया है। पहले लोगों के बारात निकालने पर अवरोध करते थे। कभी आगरा में दंगे हुए हैं, मैं भी आगरा का SSP रहा हूं और उस समय माननीय Secretary General साहब वहां के

\* Not recorded.

DM रहे हैं। ऐसा उस समय वहां का इतिहास रहा है, उसको Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Act में लाकर के प्रधान मंत्री मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया है। पंचायतों में, रिजर्वेशन में दलित आते हैं, लेकिन उनको कभी काम नहीं दिया जाता। उन पर अवरोध उत्पन्न किया जाता है। महोदय, इसको भी मोदी जी दिनांक 01.01.2016 को Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Act में लाए थे। महोदय, अगर कहीं अपराध हो जाए, तो SC/ST Rules के अंतर्गत अनुदान दिया जाता है। इस सरकार ने उसको चार गुना से ज्यादा बढ़ाया है। महोदय, यदि किसी एससी/एसटी की मृत्यु हो जाती है, मर्डर हो जाता है, तो उसकी विधवा को एससी/एसटी एक्ट के तहत आजीवन पांच हजार रुपये महीना पेंशन with dearness allowance मिलती है, बच्चों को ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा मिलती है। यदि उनके पास मकान नहीं है, तो मकान की सुविधा और बाकी सुविधाएं भी बीजेपी गवर्नमेंट ने दी हैं। महोदय, दो साल पहले सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी। उसके बाद कुछ पार्टीज ने ऐसा गुमराह किया कि जैसे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग न हो। सुप्रीम कोर्ट हमारा शीर्षस्थ कोर्ट है। उसके बारे में ऐसा माहौल पैदा किया, जैसे कि यह माननीय मोदी जी ने किया हो। कुछ पार्टीज ऐसी थीं, जो दलितों की मसीहा बनती हैं। मैंने उस गवर्नमेंट में भी काम किया है। 19 मई, 2007 को एक आदेश हुआ था, जो दलितों की मसीहा कहलाने वाली सरकार थी, कि murder, attempt to murder और बलात्कार, इन तीनों को छोड़कर दलितों के मुकदमें में एससी/एसटी एक्ट न लगाया जाए। यह रिकॉर्ड पर है। जिन्होंने dilute किया, वे उस समय कानून व्यवस्था की समस्याएं खड़ी कर रहे थे। महोदय, मैं माननीय मोदी जी का शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने Constitution Amendment लाकर इसको form में लाए।

उपसभापति महोदय, मैं CAA पर आता हूं। CAA के genesis में बताना चाहता हूं। जोगेन्द्र नाथ मंडल जी बंगाल के नेता थे, बाबा साहेब के सहयोगी थे और जब देश का बंटवारा हुआ, तब बाबा साहेब ने कहा कि मंडल साहब, आप चले आइए। वे नहीं माने। उन्होंने जिन्ना का साथ दिया। वे पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर बने। वे लॉ मिनिस्टर तो बने, लेकिन उन्हीं की कौम के लोगों को, उन दलितों को, जिनको नमो शूद्र कहा जाता है, उनके साथ, ईस्ट पाकिस्तान, जो आज बंगलादेश है, वहां अत्याचार होने लगे। उसके बाद वे छोड़कर भागकर आ गए। जिन लोगों को अभी नागरिकता मिली है, 70 से 75 परसेंट वही नमो शूद्र हैं, वही दलित हैं, लेकिन तमाम लोग, जो दलितों की बात करते हैं, जो दलितों के नाम पर पार्टी खाते हैं, हम उनके अग्रणी हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया, दलितों का विरोध किया, उनके अधिकारों का विरोध किया। ...**(व्यवधान)**...

**श्री उपसभापति :** माननीय बृजलाल जी, कन्कलूड कीजिए।

**श्री बृजलाल:** समय कम है, इसलिए मैं आज इतना ही कहूंगा।

**श्री उपसभापति:** आपका बहुत धन्यवाद, आपने समय का पालन किया। डा. सोनल मानसिंह जी।

**डा. सोनल मानसिंह (नाम-निर्देशित):** उपसभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करती हूं। यह जो किसान आंदोलन पर चर्चा चल रही है, उस पर मेरा एक ही कहना है कि कहीं एक सिनेमा में आया था कि "जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ ऐसी बनी!"

उपसभापति महोदय, यह अच्छा होता कि प्रधान मंत्री मोदी जी की किसानों को लेकर जो अद्भुत बातें हैं, वे अच्छे से सुनी जातीं, तो बात ऐसी के बदले, अच्छे तरीके से आगे बढ़ती। Sir, I am going to speak in English because a lot of my friends like Mr. Siva, who is here, tell me that हिंदी समझ में नहीं आती है, कोई अंग्रेजी में क्यों नहीं बोलता है। हिंदी, गुजराती, असमिया, उड़िया, जो भी कहें, लेकिन मैं अंग्रेजी में बोलना चाहूंगी। From early years of my life, I heard and imbibed the sutra "मातृ देवो भवः, पितृ देवो भवः, गुरु देवो भवः।" which means revere mother as god, revere father as god and revere guru as god. I am happy to see these reflected in significant ways in the speech by the hon. President of India.

India is counted among the great civilizations of ancient times but the only one to sustain its vibrant flow till today -- flow of ideas, values, concepts, arts, sciences and indeed all the streams of knowledge which guided emergence of India as *vishwaguru*. Attacks from foreign lands may have weakened some of them but once again they are in focus now as the foundation of the New Education Policy. Need for such a policy which would collect, combine and coalesce various streams of knowledge was being felt since a long time. NEP seems to be the answer to revitalize and resurrect India's knowledge and cultural traditions which can strengthen our national fabric and ignite creative minds to greater and meaningful endeavour. Culture remains the strongest binding force in India which unfortunately was not considered important element in education in past decades. I am happy to see, Sir, for the first time, under the guidance of Prime Minister, Modiji, the NEP has blended education and culture, as they were meant to be: like flower and its fragrance. For this purpose, NEP has created traditional knowledge system in the context of contemporary times. By dethroning the colonial mindset, it seeks to utilize traditional knowledge and time-tested wisdom also for the purpose of application in research -- this has been lacking somehow -- for which National Research Foundation has been created. The aim is to boost confidence in making inventions and innovations, to boost scientific temper and create base for newer ideas to reflect and meet today's needs.

Sir, at the grassroots level, *shiksha* plus *sanskar*, that is, instilling values through education, is being emphasized through the boost given to *anganwadi* workers, the women, who take care of children's early education. This is very important because thus both the values of "मातृ देवो भवः" and "गुरु देवो भवः" come together as these ladies fulfil a child's need for care and affection while teaching the

basics of primary education through stories, toys, play, etc., which India has traditionally revered. They are being taught to very, very young kids.

**The power of Mother:** Mother is called the first guru. And I want -- I am very happy to put these ideas across after all these very heavy debates -- that we must come back to our original values which are peace-giving, loving and caring. Now, the power of Mother: she is called the first guru, whose thoughts get transmitted to the unborn child. Thereafter, from the first moments after birth, it is the Mother who bears the onus of early teaching. Witness the episode, the story of one of the great Rishis of Upanishadic times, Satyakam Jabali. Some of us may recall the film 'Satyakam', which was a take on this fascinating story of a young boy whose entry into a Gurukul was difficult as he is unable to answer questions about his father's name and Gotra. Mother Jabala takes him by the hand and appears in front of Guru Rishi Gautama declaring in ringing tone; "I am Jabala and he is my son Satyakam." And that was enough for the Guru to rise from his seat to offer reverence to मातृशक्ति। No wonder Satyakam learnt the lessons of truth and fearlessness, *nirbhikta*, to become Great Rishi himself. Hence, reposing greater faith in मातृशक्ति for *charitra nirmaan*, character building, which is very, very important, the *aanganwadi maatas* is a step in right direction. I laud it.

Following the broad and all-encompassing vision of Prime Minister Modiji, there is visible influence of women in hitherto male bastions like Coast Guard, Army, even in Air Force as fighter pilots, military police and now even in the COBRA unit of CRPF. It is very significant. I see this, Sir, as personification of the *shiva shakti* concept where the male and female principles come together in a meaningful way. It is indeed amazing to see the surge also in numbers of women entrepreneurs as never before. Mudra Yojana, one of the earliest flagship schemes of Prime Minister Modiji, has helped small-time enterprises by women bringing money, respect and usefulness to women who never dreamt of such a phenomenon in their own lives.

**MR. DEPUTY CHAIRMAN:** Please conclude, Dr. Sonal Mansingh.

**DR. SONAL MANSINGH:** Absolutely, Sir. This is my last point. Much more in the fields of tourism and culture is envisaged as the web of roads and infrastructure will open up areas and sites hitherto unapproachable.

To fulfil hon. Prime Minister's vision of five-trillion dollar economy, all such initiatives will lead to a generation of job-providers, job-creators and not job-seekers. Sir, hence, I appeal to everyone, let us strive together to create '*Ek Bharat, Shreshtha*

*Bharat*' towards achieving higher goals for India. May our spirits merge to bring love, peace and friendship.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Dr. Sonal Mansingh. Now, Shri Ram Chander Jangra from the Lok Sabha Gallery.

**श्री रामचंद्र जांगड़ा (हरियाणा):** धन्यवाद उपसभापति जी। मैं हरियाणा प्रदेश से आया हूं और पहली बार मुझे इस महान सदन में आपने बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण ऊपर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरा विषय भी भारत के श्रमिकों और शिल्पकारों के संबंध में है, लेकिन समय की मर्यादा है। उपसभापति महोदय, आप मुझे बोलने के लिए कितना समय देंगे?

**श्री उपसभापति:** आपको सात मिनट के लगभग समय मिलेगा।

**श्री रामचंद्र जांगड़ा:** सर, ठीक है। मैं सात मिनट में ही अपनी बात पूरी करूंगा। यह विषय बहुत लम्बा है। बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर जी, जो हमारे संविधान के निर्माता थे, उन्होंने एक बात कही थी। संविधान में अगर सब को Right to Equality of Opportunity, अवसर की समानता का अधिकार दे दिया जाए, तो बहुत लोग अपना विकास अपने आप भी कर लेते हैं।

भारत के शिल्पकार और श्रमिक का आपस में एक ऐसा तालमेल है जहां पर शिल्पकार काम करता है, तो वहां पर उसके साथ दो-तीन श्रमिक भी काम करते हैं। मैं भारत के प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी को साधुवाद, धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने शिल्पियों और शिल्पकारों की सुध ली। हम लोगों के हाथों में पत्थरों को तराशते-तराशते छाले पड़ गए थे, उनकी किसी ने परवाह नहीं की, अगर किसी ने परवाह की तो भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने की। उन्होंने 'Make in India' का नारा दिया, 'Vocal for Local' का नारा दिया और भारत के श्रमिकों को, शिल्पकारों को कौशल विकास योजनाओं के साथ जोड़ने की एक स्कीम चलाई, संकल्प लिया। मैं इस बात के लिए अपने प्रदेश के नेतृत्व को भी धन्यवाद देता हूं कि जब भी लोग सत्ता में आए, सब लोगों ने अपने ही बुजुर्गों का महिमा मंडन करने के लिए विभिन्न संस्थाओं के नाम के ऊपर नामकरण किया, लेकिन हरियाणा प्रदेश में हमारे मुख्य मंत्री माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पहली बार हिन्दुस्तान में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। उसके अंदर तमाम किस्म की कलाएं, आधुनिक कलाएं, जिनके कारण भारतवर्ष का दुनिया में नाम है, उनको आधुनिक प्रशिक्षण देने के लिए योजनाएं तैयार की गईं।

उपसभापति महोदय, मेरा मार्च में तकरीबन एक साल पूरा हो जाएगा। हम लोग विराजमान थे, हिन्दुस्तान के शिल्पकार कहीं बाहर महात्मा गांधी जी के स्टैच्यू के रूप में, कहीं छत्रपति शिवाजी के स्टैच्यू के रूप में, कहीं बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के स्टैच्यू के रूप में और फिर अंदर के प्रांगण में आए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी के स्टैच्यू के रूप में राम वी. सुतार की कलाकृतियां मौजूद थीं, लेकिन सदन की कुर्सियों के ऊपर बैठने का अधिकार डा.

रघुनाथ महापात्र जी, कैलाश सोनी जी और रामचंद्र जांगड़ा, जो आपके बीच में बोल रहा है, हमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने और माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने दिया है कि हम भारत के शिल्पकारों और श्रमिकों की आवाज़ इस महान सदन के अंदर सुना सकें, उनकी आवाज़ उठा सकें। मैं इसके लिए उनका जितना धन्यवाद करूं, उतना कम है। चूंकि मेरे पास बोलने के लिए समय कम है, फिर भी मैं एक-दो उदाहरणों का उल्लेख करना चाहूंगा। हमारे देश में अजंता की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं। मैंने तकरीबन पूरा हिन्दुस्तान घूमकर देखा है, लेकिन मैं एक ही बात का उल्लेख करना चाहूंगा। उपसभापति महोदय, अजंता की गुफाओं में पेंटिंग्स बनी हुई हैं और उनका जो कलर है, उसे भारत के शिल्पकारों ने पंसारी की दुकान से या जंगल की जड़ी-बूटियों से कूटकर, छानकर तैयार किया और उस पेंट की चमक 6 हजार साल से आज तक वैसी की वैसी बरकरार है। आज कितनी भी बड़ी कम्पनी का, महंगी कम्पनी का कोई भी पेंट खरीद लो, वह 6 महीने बाद खराब हो जाता है। इससे यह विदित होता है कि भारत में ज्ञान और विज्ञान की कोई कमी नहीं थी, बशर्ते कि इन लोगों को अवसर दिया जाता। एक लंबे समय से आजादी के बाद - आजादी से पहले जो कुछ हुआ, हमें उसका कोई गिला नहीं है, तब भारत के शिल्पकारों के हाथ तक कटवाए गए, भारत के श्रमिकों को बाहर ले जाकर कहीं फ़िजी में, कहीं दूसरे देशों में गुलाम के रूप में, श्रमिक के रूप में रखा गया, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आजादी के बाद महात्मा गाँधी ने ग्रामीण विकास का जो vision दिया था, उस vision को यहाँ जो भी सत्ताधारी लोग थे, उन्होंने लागू नहीं किया। भारत के शिल्पकार और श्रमिक एक किस्म से नाकारा, बिल्कुल रोजगारविहीन और गरीबी की अवस्था में आ गए और आज भारत का शिल्पकार एवं श्रमिक पिछड़े वर्ग की श्रेणी के अंदर गिना जाता है। मैं प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का, हमारे भाजपा के नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि अगर पहली बार पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, उसने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है। इनके लिए योजनाएं तैयार की गई। मैं आज कह सकता हूं कि Make In India, 'vocal for local' और प्रधान मंत्री जी ने जो किया है, वह सराहनीय है। क्योंकि भारत के श्रमिक के पास कोई जायदाद नहीं है, collateral guarantee देने के लिए उसके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि वह बैंक के अंदर गारंटी देकर अपना कोई भी रोजगार विकसित कर सके। उसके पास तो हाथ हैं और हाथों को कोई गिरवी रखता नहीं है। इसलिए प्रधान मंत्री जी ने "मुद्रा योजना" के तहत जो 10 लाख रुपये तक का ऋण without any collateral guarantee के भारत के शिल्पकारों को, श्रमिकों को और आज जो लोग पिछड़े वर्ग में गिने जाते हैं, उनको देने का काम किया है, कानून पास किया है, वह भारत को एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा करेगा क्योंकि दुनिया का इतिहास यह रहा है कि जहाँ कहीं भी, जिस भी राष्ट्र ने तरक्की की है, वहाँ पर जितना शिल्प कला के लोगों को मौका दिया गया है - चाहे वह चीन है, चाहे स्विट्जरलैंड है, चाहे जापान है, श्रमिकों और शिल्पियों को जितना भी ..(व्यवधान)।

**श्री उपसभापति :** माननीय रामचंद्र जांगड़ा जी conclude कीजिए।

**श्री रामचंद्र जांगड़ा :** मैं एक मिनट में conclude कर दूँगा। मैं भारत के प्रधान मंत्री जी के विजन को, मेरी पार्टी के विजन को जितना धन्यवाद दूँ, उतना कम है। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा। उपसभापति जी, क्योंकि किसान का मुद्दा बीच में आया है, इसलिए मैं सिर्फ एक मिनट लूँगा, ज्यादा समय नहीं लूँगा।..(व्यवधान)।।

**श्री उपसभापति :** आपका समय पूरा हो गया है, आप जल्दी बोलिए।..(व्यवधान)।।

**श्री रामचंद्र जांगड़ा :** मैं सिर्फ एक बात याद दिलवाना चाहता हूँ कि मैं हरियाणा में रहता हूँ और मैंने वे दिन देखे हैं कि जब किसान को सोसायटी से 10 हजार रुपये लोन में मिलते थे, तब उसको 5 हजार रुपये नकद दिए जाते थे और उस पर जबरदस्ती 5 हजार रुपये की खाद चिपकायी जाती थी कि तुझे रासायनिक खाद उठानी पड़ेगी। उसका ब्याज 24 परसेंट था। अगर उसकी एक किस्त भी टूट जाती थी तो गाँव में सोसायटी की जीप आती थी और किसान को उठाकर तहसील की हवालात में बंद कर दिया करती थी।..(व्यवधान)।।

**श्री उपसभापति :** धन्यवाद जांगड़ा जी।..(व्यवधान)।।

**श्री रामचंद्र जांगड़ा :** मेरी बात एक मिनट में पूरी हो जाएगी। मैं ज्यादा समय नहीं लूँगा।

**श्री उपसभापति :** अब समय नहीं है।..(व्यवधान)।।

**श्री रामचंद्र जांगड़ा :** मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अपराधी लोगों के लिए तो बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून था, लेकिन किसान को चाहे 40 दिनों तक, जब तक उसकी किस्त नहीं भरी जाती थी, तब तक हवालात में रखा जाता था। अगर इस अपमान से किसी ने उसका पीछा छुड़वाया है, तो जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधान मंत्री बने, केंद्र में पहली बार बीजेपी की सरकार आई, माननीय राजनाथ सिंह जी कृषि मंत्री बने, उस समय किसान के लिए Kisan Credit card की व्यवस्था हुई।..(व्यवधान)।।

**श्री उपसभापति :** धन्यवाद।..(व्यवधान)।।

**श्री रामचंद्र जांगड़ा :** उन्होंने किसान का इस जिल्लत से पीछा छुड़वाया, इसलिए उन लोगों को याद करना चाहिए।..(व्यवधान)।।

**श्री उपसभापति :** धन्यवाद।..(व्यवधान)।।

**श्री रामचंद्र जांगड़ा :** उपसभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Hon. Members, the Discussion on Motion of Thanks on Mahamahim Rashtrapatiji's Address has concluded and the reply will be on Monday, the 8<sup>th</sup> February, 2021. माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा संपन्न हो गई है, सोमवार को इस पर जवाब होगा। Now, Special Mention. Shri Rajmani Patel. माननीय राजमणि जी, 2.30 बज गए हैं, सदन का समय पूरा हो गया है, आप अपना Special Mention lay कर दीजिए।

---

### SPECIAL MENTION

#### **Need for giving adequate compensation to farmers whose land is being acquired for Bansagar Irrigation Project**

**श्री राजमणि पटेल (मध्य प्रदेश):** महोदय, जल संसाधन विभाग के लिए किए जा रहे भू-अर्जन के मामले प्रतिकर निर्धारण एवं अवार्ड पारित करने के लिए लम्बे समय से लंबित हैं। भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा 24(1)(क) के प्रावधान के अनुसार निर्धारण नहीं किया जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिनियम, 2013 बनाया गया था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के किसानों की जमीन अधिग्रहण करने पर मुआवजे का फार्मूला, भूमि का बाजार मूल्य एवं सोलेसियम चार गुना देने का प्रावधान किया गया था, जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी शहरी क्षेत्र के फार्मूले पर जमीन के बाजार मूल्य एवं सोलेसियम को लागू करके ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को सिर्फ दो गुना मुआवजा दिया है। राज्य सरकार द्वारा केन्द्र शासन के द्वारा पारित कानून पर अमल नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकारों, विशेषकर मध्य प्रदेश सरकार के इस रवेये के कारण किसानों को भारी नुकसान हो रहा है, जिससे मध्य प्रदेश के किसान आत्महत्या जैसे कठोर कदम उठाने के लिए विवश हो रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि कथित प्रकरण की गंभीरता से जांच करा कर केन्द्र सरकार के अधिनियम, 2013 के तहत किसानों के भू-अर्जन के मुआवजे का भुगतान शहरी क्षेत्र के फार्मूले के बजाय ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर चार गुना किया जाए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 9.00 a.m. on Monday, the 8<sup>th</sup> February, 2021.

*The House then adjourned at thirty minutes past two of the clock  
till nine of the clock on Monday, the 8<sup>th</sup> February, 2021.*

---

PUBLISHED UNDER RULE 260 OF RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF  
BUSINESS IN THE COUNCIL OF STATES (RAJYA SABHA)